



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे 2014-15



हिमाचल प्रदेश सरकार

**विनियोग लेखे**

**2014-15**

**हिमाचल प्रदेश सरकार**

विनियोजन लेखे  
2014 - 15  
विषय-सूची

	पृष्ठ
भूमिका	(iii)
विनियोग लेखों का सारांश	(iv-xvii)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र अनुदान/विनियोग का नाम और संख्या	(xix-xxi)
1. विधान सभा	1-3
2. राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद	4-7
3. न्याय प्रशासन	8-14
4. सामान्य प्रशासन	15-27
5. भू-राजस्व और जिला प्रशासन	28-38
6. आबकारी और कराधान	39-42
7. पुलिस और सम्बद्ध संगठन	43-54
8. शिक्षा	55-69
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	70-87
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन	88-103
11. कृषि	104-113
12. उद्यान	114-122
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता	123-146
14. पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	147-154
15. योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	155-165
16. वन और वन्य जीवन	166-171
17. निर्वाचन	172-174
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	175-182
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	183-203
20. ग्रामीण विकास	204-212
21. सहकारिता	213-215
22. खाद्य और नागरिक आपूर्ति	216-220
23. विद्युत विकास	221-224
24. मुद्रण और लेखन सामग्री	225-228
25. सड़क और जल परिवहन	229-231
26. पर्यटन और नागर विमानन	232-234
27. श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	235-243
28. शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास	244-250
29. वित्त	251-269

विनियोजन लेखे  
2014 - 15  
विषय-सूची

	पृष्ठ
30. विविध सामान्य सेवाएं	270-277
31. जनजातीय विकास	278-351
32. अनुसूचित जाति उपयोजना	352-401
परिशिष्ट	402
वर्ष 2014-15 के लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुदानवार विवरण	

## भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखाओं के इस संकलन में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गए हैं। लेखाओं की व्ययित राशियों की तुलना भारत के संविधान की धारा 204 व 205 के अर्न्तगत पारित विनियोग अधिनियमों में सलंगन अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से की गई है।

इन लेखाओं में:-

- मूल' का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोजन से है।
- 'पूरक' का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोजन से है।
- 'पुनर्वि0' का तात्पर्य किसी सक्षम - प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोजनों, धन -वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

**प्रभारित विनियोजन और व्यय को इटालिक में दर्शाया गया है।**

हिमाचल प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति के पत्र संख्या 2-35/97-विधान सभा दिनांक 20 दिसम्बर 2000 द्वारा निम्नलिखित मानकों को अनुमोदित किया गया, जिन्हें विनियोजन लेखे की टिप्पणियों में अपनाया गया है।

### बचत

बचत ₹ 10 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियां की जानी चाहिए।

### प्रभारित विनियोजन

यदि बचत ₹ 4 लाख से अधिक या प्रावधान का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

### आधिक्य

यदि आधिक्य ₹ 8 लाख या प्रावधान का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियाँ की जानी चाहिए।

### प्रभारित विनियोजन

यदि आधिक्य ₹ 4 लाख या प्रावधान का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, के लिए टिप्पणियां की जानी चाहिए।

---

## विनियोग लेखाओं का सारांश

---

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन		
	राजस्व	पूंजीगत	
	1	2	3
	(₹ हजार में)		
<b>1- विधान सभा-</b>			
दत्तमत		21,09,49	1,72,03
प्रभारित		43,41	..
<b>2- राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद्-</b>			
दत्तमत		10,47,28	..
प्रभारित		5,07,25	..
<b>3- न्याय प्रशासन-</b>			
दत्तमत		1,19,28,30	8,28,00
प्रभारित		32,97,66	..
<b>4- सामान्य प्रशासन-</b>			
दत्तमत		1,43,67,88	2,00,01
प्रभारित		7,70,23	..
<b>5- भू-राजस्व और जिला प्रशासन-</b>			
दत्तमत		4,93,26,43	21,41
प्रभारित		50	..
<b>6- आबकारी और कराधान-</b>			
दत्तमत		48,54,08	1,77,76
प्रभारित		..	..
<b>7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन-</b>			
दत्तमत		7,99,90,02	25,78,00
प्रभारित		9,89	..
<b>8- शिक्षा-</b>			
दत्तमत		40,86,12,18	48,73,58
प्रभारित		..	..

लेखे  
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
20,98,77	1,73,83	10,72	..	..	1,80
					(1,80,000)
43,87	..	..	..	46	..
				(46,530)	
10,60,19	..	..	..	12,91	..
				(12,91,255)	
4,77,96	..	29,29	..	..	..
1,14,76,72	8,27,39	4,51,58	61	..	..
31,97,93	..	99,73	..	..	..
1,33,61,47	..	10,06,41	2,00,01	..	..
7,57,46	..	12,77	..	..	..
4,57,05,67	21,41	36,20,76	..	..	..
50	..	..	..	..	..
50,10,67	1,77,76	..	..	1,56,59	..
				(1,56,59,480)	
..	..	..	..	..	..
7,90,76,30	25,40,98	9,13,72	37,02	..	..
9,89	..	..	..	..	..
37,00,75,16	48,73,52	3,85,37,02	6	..	..
..	..	..	..	..	..



विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
<b>9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण-</b>		
दत्तमत	12,47,35,65	50,15,00
प्रभारित	..	1,26,86
<b>10- लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन-</b>		
दत्तमत	24,45,98,48	6,23,72,61
प्रभारित	10,13	21,53,07
<b>11- कृषि-</b>		
दत्तमत	2,45,92,01	52,25,75
प्रभारित	..	..
<b>12- उद्यान-</b>		
दत्तमत	1,83,92,88	14,96,55
प्रभारित	62,00	..
<b>13- सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>		
दत्तमत	16,99,83,56	5,31,71,52
प्रभारित	..	68,60
<b>14- पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य-</b>		
दत्तमत	2,59,15,14	9,87,00
प्रभारित	..	..
<b>15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना-</b>		
दत्तमत	58,44,92	1,30,33,76
प्रभारित	..	..
<b>16- वन और वन्य जीवन-</b>		
दत्तमत	3,91,15,67	2,30,00
प्रभारित	..	..

लेखे  
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिव्यय	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
10,95,46,80	43,71,25	1,51,88,85	6,43,75	..	..
..	1,26,86	..	..	..	..
24,39,95,19	6,11,89,82	6,03,29	11,82,79	..	..
10,13	21,48,51	..	4,56	(92)	..
2,56,79,61	52,25,69	..	6	10,87,60	..
..	..	..	..	(10,87,59,570)	..
1,88,03,27	14,30,17	..	66,38	4,10,39	..
..	..	62,00	..	(4,10,38,690)	..
21,73,90,19	5,22,75,79	..	8,95,73	4,74,06,63	..
..	36,85	..	31,75	(4,74,06,63,337)	..
2,52,43,59	9,86,97	6,71,55	3	..	..
..	..	..	..	..	..
46,83,44	1,29,64,08	11,61,48	69,68	..	..
..	..	..	..	..	..
3,87,76,42	2,30,00	3,39,25	..	..	..
..	..	..	..	..	..

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
<b>17- निर्वाचन-</b>		
दत्तमत	49,78,16	..
प्रभारित	..	..
<b>18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी-</b>		
दत्तमत	72,67,74	48,93,97
प्रभारित	6,29	..
<b>19- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता-</b>		
दत्तमत	5,01,10,81	10,48,00
प्रभारित	..	..
<b>20- ग्रामीण विकास-</b>		
दत्तमत	9,48,43,09	1,35,00
प्रभारित	..	..
<b>21- सहकारिता-</b>		
दत्तमत	34,93,41	44,28,65
प्रभारित	..	..
<b>22- खाद्य और नागरिक आपूर्ति-</b>		
दत्तमत	2,41,53,73	8
प्रभारित	..	..
<b>23- विद्युत विकास-</b>		
दत्तमत	3,92,15,49	4,22,95,00
प्रभारित	..	..
<b>24- मुद्रण और लेखन सामग्री-</b>		
दत्तमत	24,22,93	..
प्रभारित	..	..

लेखे  
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिव्यय	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
49,31,02	..	47,14	..	..	..
..	..	..	..	..	..
67,48,04	51,33,87	5,19,70	..	..	2,39,90
					(2,39,90,094)
6,28	..	1	..	..	..
5,00,04,73	10,95,30	1,06,08	..	..	47,30
					(47,30,313)
1,00	..	..	..	1,00	..
				(1,00,000)	
8,38,57,10	1,35,00	1,09,85,99	..	..	..
..	..	..	..	..	..
29,67,51	44,28,64	5,25,90	1	..	..
..	..	..	..	..	..
2,13,49,70	6	28,04,03	2	..	..
..	..	..	..	..	..
3,93,40,91	4,47,75,99	..	..	1,25,42	24,80,99
				(1,25,41,978)	(24,80,99,000)
..	..	..	..	..	..
22,78,30	..	1,44,63	..	..	..
..	..	..	..	..	..

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
	(₹ हजार में)	
<b>25- सड़क और जल परिवहन-</b>		
दत्तमत	1,76,81,68	36,63,00
प्रभारित	..	..
<b>26- पर्यटन और नागर विमानन-</b>		
दत्तमत	29,29,94	2,20,01
प्रभारित	..	..
<b>27- श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण-</b>		
दत्तमत	1,87,64,20	38,98,25
प्रभारित	..	..
<b>28- शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-</b>		
दत्तमत	1,93,56,34	13,61,00
प्रभारित	..	..
<b>29- वित्त-</b>		
दत्तमत	35,46,79,26	11,02,04
प्रभारित	27,50,00,08	72,92,98,41
<b>30- विविध सामान्य सेवाएं-</b>		
दत्तमत	72,62,14	9,95,79
प्रभारित	..	..
<b>31- जनजातीय विकास-</b>		
दत्तमत	7,58,82,30	1,99,80,73
प्रभारित	..	..
<b>32- अनुसूचित जाति उप योजना</b>		
दत्तमत	6,92,60,22	6,62,47,45
प्रभारित	..	..

लेखे  
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिव्यय	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
1,75,40,76	36,62,99	1,40,92	1	..	..
..	..	..	..	..	..
28,98,40	2,20,00	31,54	1	..	..
..	..	..	..	..	..
1,25,83,30	38,98,22	61,80,90	3	..	..
..	..	..	..	..	..
1,87,98,14	12,99,91	5,58,20	61,09	..	..
..	..	..	..	..	..
29,65,30,99	5,52,67	5,81,48,27	5,49,37	..	..
28,49,14,13	82,59,81,34	..	..	99,14,05	9,66,82,93
				(99,14,04,553)	(9,66,82,93,014)
67,81,82	9,85,62	4,80,32	10,17	..	..
..	..	..	..	..	..
7,52,87,26	1,92,63,52	5,95,04	7,17,21	..	..
1,21	..	..	..	1,21	..
				(1,20,552)	
6,75,44,91	6,53,20,07	17,15,31	9,27,38	..	..
..	..	..	..	..	..

विनियोग  
विनियोग लेखाओं

अनुदान /विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	
	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3
(₹ हजार में)		
<b>जोड़</b>		
दत्तमत	2,01,77,15,41	30,06,51,95
प्रभारित	27,97,07,44	73,16,46,94
<b>सकल जोड़</b>	<b>2,29,74,22,85</b>	<b>1,03,22,98,89</b>

लेखे  
का सारांश

व्यय		कुल अनुदान/ विनियोजन के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिव्यय	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
4	5	6	7	8	9
(₹ हजार में)					
1,92,14,26,35	29,80,60,52	14,54,88,60	53,61,42	4,91,99,54	27,69,99
				(4,91,99,54,310)	(27,69,99,407)
28,94,20,36	82,82,93,56	2,03,79	36,31	99,16,72	9,66,82,93
				(99,16,71,727)	(9,66,82,93,014)
2,21,08,46,71	1,12,63,54,08	14,56,92,40	53,97,73	5,91,16,26	9,94,52,92
				(59,11,62,60,37)	(99,45,29,24,21)



**विनियोग लेखे**  
**विनियोग लेखाओं का सारांश**  
(क्रमशः)

वर्ष 2014-15 में आकस्मिक निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया गया ।

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

**राजस्व प्रवर्ग**

2. राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद
6. आबकारी और कराधान
11. कृषि
12. उद्यान
13. सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता
23. विद्युत विकास

**पूंजीगत प्रवर्ग**

1. विधान सभा
18. उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
23. विद्युत विकास

निम्नलिखित अनुदानों में भी विनियोजन से आधिक्य का नियमन अपेक्षित है:-

**राजस्व प्रवर्ग**

1. विधान सभा
10. लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन
19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
29. वित्त
31. जनजातीय विकास

**पूंजीगत प्रवर्ग**

29. वित्त

चूकिं अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के प्रति होती है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (परिशिष्टानुसार पृष्ठ संख्या 402) सम्मिलित नहीं होती है, जिन्हें लेखाओं में व्यय से कम करके समायोजित किया जाता है । शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखाओं में दर्शाए गए हैं ।

**विनियोग लेखे**  
**विनियोग लेखाओं का सारांश**  
**(समाप्त)**

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय तथा उस वर्ष के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	प्रभारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखाओं के अनुसार कुल व्यय	28,94,20,36	82,82,93,56	1,92,14,26,35	29,80,60,52
घटाएं-परिशिष्ट में दर्शाई गई कुल वसूलियां	..	..	23,21,41,31	56,64,16
शुद्ध जोड़ जैसा कि वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या-11 में दर्शाया गया है।	28,94,20,36	82,82,93,56	1,68,92,85,04	29,23,96,36

उपरोक्त वसूलियों के विवरण परिशिष्ट के पृष्ठ संख्या 402 पर दिये गये है ।



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊ चरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानको के अनुसार की गई थी। इन मानको द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाए और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 विधान सभा**

(शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल, 2216-आवास तथा 7610-  
सरकारी कर्मचारियों को ऋण इत्यादि)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	20,62,27			
		21,09,49	20,98,77	(-)10,72
पूरक	47,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015)				8,60
<b>प्रभारित</b>				
मूल	43,41			
		43,41	43,87	+ 46
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	65,00			
		1,72,03	1,73,83	+1,80
पूरक	1,07,03			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 46,530 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 1,80,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

**2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

**विधान मंडल**

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

103- विधान सभा सचिवालय-

01- विधान मण्डल/सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	11,26.55		
		11,11.05	11,11.04
			(-)0.01
पुनर्वि०	(-)15.50		

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 15.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि विद्युत, पानी, टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अधिक प्राप्त होने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

**विधान मंडल**

02- राज्य/संघ राज्य विधान मंडल-

101- विधान सभा -

01- हिमाचल प्रदेश विधान सभा/सभा-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-

**योजनेतर**

मूल	6.25		
		14.00	14.00
			..
पुनर्वि०	7.75		

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.75 लाख का आवर्धन माननीय सभाध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विवेकानुदान में बढ़ौतरी के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-1 (समाप्त)**

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

**7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि -**

201- भवन निर्माण अग्रिम-

04- भवन निर्माण अग्रिम/माननीय विधायकों  
को गृह निर्माण अग्रिम ऋण-

**योजनेतर**

मूल	15.00				
पूरक	1,07.03	1,37.03	1,38.83	+1.80	
पुनर्वि०	15.00				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख का आवर्धन माननीय विधायकों द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की अधिक माँग के कारण हुआ।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

**7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण -**

201- भवन निर्माण अग्रिम-

06- पूर्व विधायकों को भवन निर्माण अग्रिम -

**योजनेतर**

मूल	15.00				
पुनर्वि०	(-)15.00	..	..	..	

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित किया गया।

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-2 राज्यपाल और मन्त्रि परिषद्

शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मन्त्रिपरिषद् तथा 2216-आवास)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
--	-------------------------	------------------	-----------------------

(₹ हजार में )

#### राजस्व प्रवर्ग

##### दत्तमत

मूल	5,62,45		
		10,47,28	10,60,19
			+12,91
पूरक	4,84,83		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,50

##### प्रभारित

मूल	4,76,34		
		5,07,25	4,77,96
			(-)29,29
पूरक	30.91		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			27,24

#### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 12,91,255 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।  
(ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 29.29 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 30.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

#### राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	---------------	------------------	-----------------------

(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-2 (क्रमशः)**

**2013- मंत्रि परिषद-**

- 101- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन-  
01- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की परिलब्धियां-

**योजनेतर**

मूल	3,90.25			
पूरक	3,72.78	7,64.54	7,78.58	+14.04
पुनर्वि०	1.51			

₹ 14.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

- (iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2013- मंत्रि परिषद-**

- 105- मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान-  
02- अन्य उद्देश्यों हेतु-

**योजनेतर**

मूल	5.00			
		3.00	3.00	..
पुनर्वि०	2.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी विवेकानुदान के कम संवितरण के कारण हुई।

- (v) प्रभारित विनियोजन में कमी मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/**

**राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

- 03- राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-  
090- सचिवालय-  
01- राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारी वर्ग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-2 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	2,65.64			
पूरक	14.09	2,50.66	2,49.80	(-)0.86
पुनर्वि०	(-) 29.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 29.07 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

107- संविदा भत्ते से व्यय-

01- राज्यपाल के संविदा भत्ते-

**योजनेतर**

मूल	8.00			
		5.00	5.00	..
पुनर्वि०	(-)3.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 3.00 लाख की कमी पानी, विद्युत तथा टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

108- यात्रा व्यय-

01- राज्यपाल तथा उनकी स्थापना  
के लिए यात्रा व्यय-**योजनेतर**

मूल	10.00			
		7.23	7.23	..
पुनर्वि०	(-)2.77			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 2.77 लाख की कमी कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- मरम्मतें-

**योजनेतर**

मूल	3.10			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3.10			

₹ 3.10 लाख का समस्त विनियोजन मार्च 2015 में मरम्मतों पर कोई भी व्यय न होने के कारण अभ्यर्णित कर दिया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-2 (समाप्त)**

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ  
राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-**

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

104- सत्कार भत्ता-

01- राज्यपाल के सत्कार भत्ते-

**योजनेतर**

मूल	2.00			
		12.27	12.27	..
पुनर्वि०	10.27			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 10.27 लाख का आवर्धन आतिथ्य भत्तों पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

03- विद्युत-

**योजनेतर**

मूल	3.50			
		7.40	7.40	..
पुनर्वि०	3.90			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 3.90 लाख का आवर्धन विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 न्याय प्रशासन**

(शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216- आवास तथा 4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,17,79,31			
		1,19,28,30	1,14,76,72	(-)4,51,58
पूरक	1,48,99			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				4,64,99
<b>प्रभारित</b>				
मूल	32,94,02			
		32,97,66	31,97,93	(-)99,73
पूरक	3,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				99,30
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,28,00			
		8,28,00	8,27,39	(-) 61
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				62

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,51.58 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,48.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल प्रावधान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 99.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 3.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल प्रावधान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 (क्रमशः)**

- (iii) राज्य बजट में महालेखा नियन्त्रक द्वारा जारी की गई सुधार पर्ची सं0 755, 765 तथा 766 सम्मिलित नहीं की गई ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक<br>व्यय | आधिक्य (+)<br>बचत (-) |
|-------|------------|------------------|-----------------------|
|       |            |                  | (₹ लाख में)           |

**2014- न्याय प्रशासन-**

102- उच्च न्यायालय-

04- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत कोर्ट मैनेजर पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	20.00			
		13.36	13.34	(-)0.02
पुनर्वि0	(-)6.64			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 6.64 लाख की कमी कोर्ट मैनेजर के वेतन पर कम व्यय के कारण हुई।

105- सिविल और सत्र न्यायालय-

01- सिविल तथा सत्र न्यायालय स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	82,99.99			
पूरक	25.54	81,84.08	81,84.06	(-)0.02
पुनर्वि0	(-)1,41.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई जो कि टेलीफोन, पानी, विद्युत के बिलों पर अधिक व्यय व पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने तथा नये वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल व स्नेहकों पर अधिक व्यय, वाहनों की खरीद, कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने तथा दैनिक वेतन भोगियों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

04- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत सुबह तथा सांय न्यायालय इत्यादि पर व्यय-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	4,85.00			
		50.68	50.67	(-)0.01
पुनर्वि०	(-) 4,34.32			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,34.32 लाख की कमी मुख्यतः सुबह व साँय न्यायालय के कर्मचारियों को मानदेय के कम भुगतान, टेलीफोन, जल प्रभार व विद्युत प्रभार की कम अदायगी तथा स्टाफ द्वारा कम यात्रा व्यय के कारण हुई ।

- 114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कांउंसिल)-  
02- अन्य विधि अधिकारी-

**योजनेतर**

मूल	14,72.98			
		14,24.54	14,34.46	+9.92
पुनर्वि०	(-)48.44			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कांउंसिल के फीस बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशत प्रतिसंतुलित हुई।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

- 01- कार्यालय भवन-  
053- रखरखाव और मरम्मतें-  
40- तेरहवे वित्त आयोग के अन्तर्गत धरोहर न्यायलय  
भवनों का रख-रखाव -

**योजनेतर**

मूल	84.00			
		10.00	10.95	+0.95
पुनर्वि०	(-)74.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

- 58- महाधिवक्ता के कार्यालय भवन  
का रखरखाव-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 (क्रमशः)**

(i) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

86- हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायायिक अकादमी  
भवनों का रखरखाव-

**योजनेतर**

(ii) मूल 1.00

पुनर्वि० (-)1.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में ₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -**

105- विशेष जाँच आयोग-

04- हिमाचल प्रदेश मानव अधिकार आयोग-

**योजनेतर**

मूल 19.32

1.60

1.60

..

पुनर्वि० (-)17.72

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17.72 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2014- न्याय प्रशासन-**

105- सिविल और सत्र न्यायालय-

05- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत कोर्ट मेनेजर पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 50.00

57.00

57.00

..

पुनर्वि० 7.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.00 लाख का आवर्धन कोर्ट मेनेजर के वेतन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता -

01- महाधिवक्ता-

**योजनेतर**

मूल	5,63.01			
पूरक	5.00	7,40.13	7,40.13	..
पुनर्वि०	1,72.12			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,72.12 लाख का आवर्धन मुख्यतः परामर्शदाता शुल्क बिल की अधिक प्राप्ति तथा मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

05- न्यायायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय  
तेरहवें वित्तायोग के अंतर्गत न्यायायिक अकादमी-

**योजनेतर**

मूल	47.00			
		57.92	57.93	0.01
पुनर्वि०	10.92			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.92 लाख का आवर्धन मुख्यतः टेलीफोन, विद्युत तथा कार्यालय/मदों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

116- राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण-

01- राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण-

**योजनेतर**

पूरक	55.00			
		59.74	59.74	..
पुनर्वि०	4.74			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.74 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**2059- लोक निर्माण कार्य -**

01- कार्यालय भवन-

053- मरम्मत एवं रख-रखाव-

38- उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय भवनों का रख रखाव-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-3 (क्रमशः)**

मूल	29.15			
		63.36	63.85	+ 0.49
पुनर्वि०	34.21			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.21 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

053- मुरम्मत एवं रख रखाव-

01- रख रखाव-

**योजनेतर**

मूल	26.57			
		53.44	60.71	+7.27
पुनर्वि०	26.87			

₹ 7.27 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.87 लाख का आवर्धन रिहायशी भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 7.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(vi)	प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
	शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)	

**2014- न्याय प्रशासन-**

102- उच्च न्यायालय-

01- उच्च न्यायालय स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	30,10.73			
पूरक	3.64	29,27.74	29,27.32	(-)0.42
पुनर्वि०	(-)86.63			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 86.63 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-**

105- विशेष जाँच आयोग-

01- लोकायुक्त-

14  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-3 (समाप्त)

योजनेतर

मूल	2,83.29			
		2,70.62	2,70.61	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)12.67			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा विनियोजन में ₹ 12.67 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-4 सामान्य प्रशासन

(शीर्ष- 2051-लोक सेवा आयोग, 2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075- विविध सामान्य सेवाएं, 2216- आवास, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251- सचिवालय - सामाजिक सेवाएं, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3435- पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण 3451- सचिवालय- आर्थिक सेवायें, 4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,33,87,12		
पूरक	9,80,76		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)	1,43,67,88	1,33,61,47	(-)10,06,41
<b>प्रभारित</b>			
मूल	6,57,41		
पूरक	1,12,82		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)	7,70,23	7,57,46	(-)12,77
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,00,01		
पूरक	..	2,00,01	.. (-)2,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,00,01

## टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,06.41 की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 9,80.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

- (ii) राजस्व प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 12.77 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,12.82 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग में ₹ 10,06.41 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 10,16.55 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ-**

090- सचिवालय-

01- मुख्य सचिवालय-

**योजनेतर**

मूल	51,49.34			
पूरक	0.01	40,82.44	40,81.57	(-)0.87
पुनर्वि०	(-)10,66.91			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,66.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर व्यय, वाहनों की मरम्मत, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कैंटीन के कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सौर उर्जा प्लांट के संस्थापन पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- राजस्व विभाग-

**योजनेतर**

(i) मूल	4,37.25			
		4,14.50	4,14.47	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)22.75			

06- वित्त विभाग-

**योजनेतर**

(ii) मूल	5,16.63			
		4,75.23	4,75.20	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)41.40			

07- कानून विभाग-

**योजनेतर**

(iii) मूल	3,26.33			
		3,10.35	3,10.30	(-)0.05
पुनर्वि०	(-)15.98			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.13 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2075- अन्य सामान्य सेवाएँ-**

800- अन्य व्यय-

03- वीरता पुरस्कार-

**योजनेतर**

मूल 2,00.00

1,55.70

1,55.70

..

पुनर्वि० (-)44.30

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.30 लाख की कमी वीरता पुरस्कारों पर हुए कम व्यय के कारण हुई।

09- अन्य विविध संगठनों को सहायता-

**योजनेतर**

मूल 5.44

3.22

3.22

..

पुनर्वि० (-)2.22

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.22 लाख की कमी अन्य संगठनों की सहायता पर कम व्यय के कारण हुई।

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

800- अन्य व्यय-

04- सम्पदा प्रबंधन-

**योजनेतर**

मूल 73.41

पूरक 0.01

49.55

49.54

(-) 0.01

पुनर्वि० (-)23.87

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

01- सैनिक कल्याण निदेशालय-

**योजनेतर**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

मूल	43.59			
		37.64	37.64	..
पुनर्वि०	(-)5.95			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.95 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
<b>02- जिला कर्मचारी वर्ग-</b>				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	2,17.85			
		1,21.51	1,22.65	+1.14
पुनर्वि०	(-)96.34			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
<b>04- विशेष रोजगार कार्यालय-</b>				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	25.17			
		17.77	17.77	..
पुनर्वि०	(-)7.40			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा टेलीफोन, पानी व विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-</b>				
<b>60- अन्य -</b>				
<b>001- निदेशन और प्रशासन-</b>				
<b>02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग -</b>				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1,43.00			
		17.52	17.52	..
पुनर्वि०	(-)1,25.48			
मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,25.48 लाख की कमी मुख्यतः संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा लेखों के मुद्रण पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>03- विश्व बैंक की सहायता से पर्यावरण को बनाये रखने हेतु परियोजना-</b>				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता-

01- कार्यरत अभिकरणों को  
सहायता अनुदान -

**योजनागत**

(i) मूल	2,98.00			
		2,42.75	2,42.75	..
पुनर्वि०	(-)55.25			

**3435- पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-**

03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा  
पारिस्थितिक पुनर्जनन-

103- अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनर्जनन-

01- पारिस्थितिक विकास कार्यक्रम-

**योजनेतर**

(ii) मूल	7.71			
		3.40	3.40	..
पुनर्वि०	(-)4.31			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59.56 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

**3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-**

090- सचिवालय-

04- पशु पालन विभाग-

**योजनेतर**

(i) मूल	83.62			
		74.48	74.48	..
पुनर्वि०	(-)9.14			

05- एकीकृत ग्रामीण विकास तथा  
पंचायती राज विभाग-

**योजनेतर**

(ii) मूल	81.19			
		68.41	68.41	..
पुनर्वि०	(-)12.78			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

06- वन फार्म एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग-

**योजनेतर**

(iii)	मूल	2,22.54			
			2,08.16	2,08.16	..
	पुनर्वि०	(-)14.38			

08- परिवहन एवं पर्यटन विभाग-

**योजनेतर**

(iv)	मूल	96.14			
			88.09	88.09	..
	पुनर्वि०	(-)8.05			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.35 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2051- लोक सेवा आयोग-**

103- कर्मचारी चयन आयोग-

01- हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ  
सेवाएं चयन बोर्ड-

**योजनेतर**

मूल	3,39.24			
		4,61.80	4,61.81	+ 0.01
पुनर्वि०	1,22.56			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,22.56 लाख का आवर्धन मुख्यतः विभिन्न परिक्षाओं के संचालन हेतु अधिक व्यवसायिक सेवाओं की नियुक्ति, मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, लम्बित पड़े चिकित्सा दावों, टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों का भुगतान तथा विज्ञापनों व प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएँ -**

090- सचिवालय-

04- गृह विभाग-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

(i) मूल	2,82.93			
		3,16.24	3,16.24	..
पुनर्वि०	33.31			

05- लोक निर्माण विभाग-  
**योजनेतर**

(ii) मूल	3,41.43			
		3,65.09	3,65.08	(-) 0.01
पुनर्वि०	23.66			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.97 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

091- संलग्न कार्यालय-  
01- आवासीय आयुक्त-  
**योजनेतर**

मूल	1,67.83			
		1,96.74	1,97.20	+0.46
पुनर्वि०	28.91			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.91 लाख का आवर्धन मुख्यतः मरम्मत, पेट्रोल, तेल, स्नेहक, टैनीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों को न भरने तथा कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**2053- जिला प्रशासन-**

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल दिवस, गणतन्त्र दिवस  
तथा स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों  
पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	17.05			
		46.42	46.41	(-)0.01
पुनर्वि०	29.37			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.37 लाख का आवर्धन हिमाचल दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों में अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2059-लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- मरम्मत तथा रखरखाव -

27- सचिवालय भवनों के रख  
रखाव पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	18.55			
		41.02	41.02	..
पुनर्वि०	22.47			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.47 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश सचिवालय भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 39- लोक सेवा आयोग के भवनों  
का रख रखाव-

**योजनेतर**

(i) मूल	3.50			
		6.50	6.50	..
पुनर्वि०	3.00			

- 45- हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ  
चयन बोर्ड के भवनों पर  
रख रखाव व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	2.00			
		8.00	8.00	..
पुनर्वि०	6.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख का आवर्धन भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -**

- 105- विशेष जाँच आयोग-  
03- राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समीति-

**योजनेतर**

मूल	0.42			
		2.73	2.73	..
पुनर्वि०	2.31			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.31 लाख का आवर्धन सभाओं तथा सम्मेलनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 115- अतिथि गृह, सरकारी  
होस्टल इत्यादि-  
01- आतिथ्य संगठन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	62.77			
		70.21	1,37.08	..
पुनर्वि०	7.44			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.44 लाख का आवर्धन सभाओं व सम्मेलनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि रिक्त पदों का न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

- 02- नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन का प्रबन्धन--

**योजनेतर**

मूल	2,30.00			
		3,00,00	3,00,00	..
पुनर्वि०	70.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख का आवर्धन नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के लम्बित दायित्वों के निपटान के कारण हुआ।

**2075-विविध सामान्य सेवाएँ-**

- 101- जागीर भूमि, राज्य क्षेत्र आदि के स्थान पर पेंशन-
- 01- जागीरदारों को प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति भुगतान-

**योजनेतर**

..	..	5.82	+5.82	
----	----	------	-------	--

बिना प्रावधान ₹ 5.82 लाख के व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 800- अन्य व्यय-

- 10- 65 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन-

**योजनेतर**

मूल	2,20.00			
पूरक	1,30.73	4,19.96	4,19.96	..
पुनर्वि०	69.23			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.23 लाख का आवर्धन भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

- 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

200- अन्य कार्यक्रम-

08- स्वतन्त्रता सैनानियों की कन्याओं/  
प्रपौत्रियों के विवाह हेतु सहायता-

**योजनेतर**

मूल	4.62			
		14.56	14.56	..
पुनर्वि०	9.94			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.94 लाख का आवर्धन स्वतन्त्रता सेनानियों की कन्याओं और प्रपौत्रियों के विवाह के अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

09- मृतक स्वतन्त्रता सैनानियों के  
अन्तिम संस्कार हेतु अनुग्रह अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	1.10			
		2.10	2.10	..
पुनर्वि०	1.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन मृतक स्वतन्त्रता सैनानियों के अन्तिम संस्कारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ-**

090- सचिवालय-

01- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-

**योजनेतर**

(i)	मूल	2,47.91			
			2,90.42	2,90.41	(-)0.01
	पुनर्वि०	42.51			

02- स्थानीय स्वशासन विभाग-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	91.64			
			1,09.40	1,09.40	..
	पुनर्वि०	17.76			

03- शिक्षा विभाग-

**योजनेतर**

(iii)	मूल	2,45.78			
			2,62.90	2,62.90	..
	पुनर्वि०	17.12			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

04- भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं  
कल्याण विभाग-

**योजनेतर**

(iv)	मूल	1,27.53			
			1,46.25	1,46.24	(-) 0.01
	पुनर्वि०	18.72			

05- आवास विभाग-

**योजनेतर**

(v)	मूल	66.41			
			73.15	73.15	..
	पुनर्वि०	6.74			

उपरोक्त पांच मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.85 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-**

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- पर्यावरण एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग-

**योजनेतर**

	मूल	1,82.47			
			1,95.00	1,94.99	(-) 0.01
	पुनर्वि०	12.53			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.53 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ**

090- सचिवालय-

07- उद्योग विभाग-

**योजनेतर**

(i)	मूल	1,83.14			
			1,93.61	1,93.61	..
	पुनर्वि०	10.47			

11- लोक वित्त और लोक  
उद्यम सैल की स्थापना-

**योजनेतर**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-4 (क्रमशः)**

(ii)	मूल	28.73			
			31.37	31.37	..
	पुनर्वि०	2.64			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.11 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

(vi) प्रभासित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2051- लोक सेवा आयोग-**

102- राज्य लोक सेवा आयोग-

01- राज्य लोक सेवा आयोग-

**योजनेतर**

मूल	6,57.41			
		7,57.50	7,57.46	(-) 0.04
पुनर्वि०	(-)12.73			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 12.73 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, टेलीफोन, पानी प्रभासों, विद्युत बिलों, विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय के कारण हुई जोकि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में अधिक व्यवसायिक सेवाओं की नियुक्ति, पेट्रोल, तेल व स्नेहकों, वाहनों की मुरम्मत पर अधिक व्यय, लंबित पड़े चिकित्सा दावों का भुगतान तथा सभाओं व सम्मेलनों पर हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- समाजिक कल्याण-

800- अन्य व्यय-

03- धर्मशाला युद्ध स्मृति स्मारक संग्रहालय -

**योजनेतर**

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-4 (समाप्त)

मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	(-),2,00.00	..	..	..

मार्च 2015 में ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूर्ण न किये जाने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-5 भू-राजस्व और जिला प्रशासन

(शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2053- जिला प्रशासन, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत, 2401- फसल कृषि कर्म, 2506- भू-सुधार, 2702- लघु सिंचाई, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी तथा 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में )		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,70,58,59		
पूरक	22,67,84		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)	4,93,26,43	4,57,05,67	(-)36,20,76
<b>प्रभारित</b>			
मूल	..		
पूरक	50	50	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	..		
पूरक	21,41	21,41	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 36,20.76 लाख की अन्तिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 22,67.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 55,19.10 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

29  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

राजस्व प्रवर्ग

(ii)	राजस्व प्रवर्ग में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-			
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				( ₹ लाख में)

**2029- भू-राजस्व-**

- 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य-  
02- वन बन्दोबस्त तथा सीमाकंन-

**योजनेतर**

मूल	6,04.58			
		4,02.43	4,00.79	(-)1.64
पुनर्वि०	(-)2,02.15			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,02.15 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 03- बन्दोबस्त अधिकारी शिमला-

**योजनेतर**

मूल	19,32.30			
पूरक	13.39	17,03.22	17,05.06	+1.84
पुनर्वि०	(-)2,42.47			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,42.47 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण, किराया दर, कर के कम बिलों की प्राप्ति तथा उपकरणों व मशीनों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 04- बन्दोबस्त अधिकारी कांगड़ा-

**योजनेतर**

मूल	18,92.72			
पूरक	8.60	15,41.88	15,42.04	+0.16
पुनर्वि०	(-)3,59.44			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,59.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारी वर्ग से कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, पानी, बिजली तथा टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

30  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

103- भू-अभिलेख-  
01- अधीक्षण-

**योजनेतर**

मूल	2,06.75			
		1,92.17	2,04.67	+12.50
पुनर्वि०	(-)14.58			

₹ 12.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.58 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि कर्मचारी वर्ग से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने तथा अधिक दौरे के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 12.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- जिला स्थापना प्रभार-

**योजनेतर**

मूल	1,02,21.53			
		87,05.53	88,12.20	+1,06.67
पुनर्वि०	(-)15,16.00			

₹ 1,06.67 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,16.00 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जो कि पानी, विद्युत तथा टेलीफोन बिलों आदि और नये वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 1,06.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- प्राथमिक तथा सर्वेक्षण भू-अभिलेख  
अभिकरणों का सुदृढीकरण जिला कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	20,40.34			
		15,99.43	15,95.85	(-)3.58
पुनर्वि०	(-)4,40.91			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,40.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा पानी, विद्युत एवं टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि मुख्यतः कर्मचारी वर्ग के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

31  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

- 2053- जिला प्रशासन-**  
093- जिला स्थापनाएं-  
01- सामान्य स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	1,06,92.03			
		94,29.60	96,51.32	+2,21.72
पुनर्वि०	(-)12,62.43			

₹ 2,21.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,62.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों के अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने तथा किराया, कर बिलों की कम प्राप्ति से हुई जो कि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, पानी टेलीफोन व विद्युत बिलों तथा पेट्रोल तेल व स्नेहक प्रभारों आदि पर अधिक व्यय, नये खुले उप मण्डलों हेतु नये वाहनों की खरीद तथा काउंसिल फीस बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

₹ 2,21.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 094- अन्य स्थापनाएँ-  
04- भू-अर्जन कर्मचारी -

**योजनेतर**

मूल	1,53.80			
		99.36	1,05.63	+6.27
पुनर्वि०	(-)54.44			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-**  
02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि-  
106- सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना-  
01- सड़कों तथा पुलों की मरम्मत पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,58,94.71			
		57,16.45	57,16.45	..
पुनर्वि०	(-)1,01,78.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01,78.26 लाख की कमी मुख्यतः सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)**

80- सामान्य-

102- आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय-

02- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 4,00.00

.. 4,00.00 +4,00.00

पुनर्वि० (-)4,00.00

₹ 4,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भवनों पर कम व्यय होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

₹ 4,00.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2401- फसल, कृषि कर्म-**

111- कृषि, अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

06- फलो, सब्जियों तथा फसलों पर सर्वेक्षण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल 21.31

.. ..

पुनर्वि० (-)21.31

₹ 21.31 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया था ।

**2506- भूमि-सुधार**

102- चकबन्दी-

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

मूल 3,49.11

3,50.11 2,45.47 (-)1,04.64

पुनर्वि० 1.00

₹ 1,04.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)**

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई आँकड़ों की सुधार योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

पूरक	96.16	96.16	84.87	(-)11.29
------	-------	-------	-------	----------

वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार से ₹ 1,54.76 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ जबकि अनुपूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 96.16 लाख का प्रावधान अपर्याप्त था ।

₹ 11.29 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
	व्यय	बचत (-)
	(₹ लाख में)	

**2029- भू-राजस्व-**

103- भू-अभिलेख-

03- प्राथमिक और सर्वेक्षण भू-अभिलेख  
अभिकरणों का सुदृढीकरण मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	3,29.00	3,29.00	15,34.13	+12,05.13
-----	---------	---------	----------	-----------

₹ 12,05.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनेतर**

मूल	97.33			
		1,79.31	1,76.55	(-)2.76

पुनर्वि०	81.98			
----------	-------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.98 लाख का आवर्धन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पटवारियों के वजीफों पर अधिक व्यय, मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अधिक व्यय, पानी, विद्युत एवं टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।



34  
**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)**

**2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण-**

02- स्टाम्प न्यायिकेतर-

101- स्टाम्पों की लागत-

01- केन्द्रीय भण्डार नासिक-

**योजनेतर**

मूल 1,06.98

.. 1,66.00 +1,66.00

पुनर्वि० (-)1,06.98

₹ 1,66.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,06.98 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,66.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2053- जिला प्रशासन-**

094- अन्य स्थापनाएँ-

01- उप मण्डलीय स्थापनाएँ-

**योजनेतर**

मूल 10,43.58

9,85.11 10,67.25 +82.14

पुनर्वि० (-)58.47

₹ 82.14 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.47 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जो कि पानी, विद्युत तथा टेलीफोन बिलों आदि पर अधिक व्यय, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभागों पर अधिक व्यय तथा कर्मचारियों के अधिक स्थानांतरण से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

₹ 82.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

05- जिलाधीश कार्यालय की स्थापना पर व्यय

(राहत एवं पुनर्वास)-

**योजनेतर**

मूल 40.77

58.77 58.77 ..

पुनर्वि० 18.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.00 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

35  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)

**2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-**

02- बाढ़, चक्रवात आदि-

101- आनुग्राहिक राहत-

01- नकद निर्वह दान-

**योजनेतर**

मूल 0.01

24,90.00 24,90.00 ..

पुनर्वि0 24,89.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,89.99 लाख का आवर्धन नकद निर्वाह दान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

107- क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन-

01- सरकारी भवनों को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 0.01

5,76.00 5,76.00 ..

पुनर्वि0 5,75.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,75.99 लाख का आवर्धन क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की मरम्मत एवं पुनः स्थापन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

108- क्षतिग्रस्त सरकारी आवासीय भवनों

की मरम्मत एवं पुनःस्थापन-

01- सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 0.01

70.00 70.00 ..

पुनर्वि0 69.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.99 लाख का आवर्धन सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

109- क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन-

01- पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं को हुए नुकसान की मरम्मत पर व्यय-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)**

मूल	0.01			
		17,00.00	17,00.00	..

पुनर्वि० 16,99.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,99.99 लाख का आवर्धन क्षतिग्रस्त पेयजल तथा सीवरेज योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान-

01- अनुग्रहपूर्वक अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		25,00.00	25,00.00	..

पुनर्वि० 24,99.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24,99.99 लाख का आवर्धन शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

113- घरों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन हेतु अनुदान-

01- घरों की मरम्मत/निर्माण पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		10,00.00	10,00.00	..

पुनर्वि० 9,99.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,99.99 लाख का आवर्धन घरों की मरम्मत एवं पुनःस्थापन हेतु अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

114- किसानों की कृषि आगतों खरीदने हेतु सहायता-

01- कृषि आगतों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		1,00.00	1,00.00	..

पुनर्वि० 99.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 99.99 लाख का आवर्धन किसानों की कृषि आगतों खरीदने हेतु अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

193- स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान-

01- स्थानीय निकायों और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-5 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	0.01			
पूरक	11,44.84	17,52.00	17,52.00	..
पुनर्वि०	6,07.15			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,07.15 लाख का आवर्धन स्थानीय निकायों तथा गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2401- फसल कृषि कर्म-**

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

04- कृषि गणना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल	25.20			
		1,42.48	35.20	(-)1,07.28
पुनर्वि०	1,17.28			

₹ 1,07.28 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,17.28 लाख का आवर्धन कृषि गणना के मानदेय पर अधिक व्यय तथा मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1,07.28 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2506- भू-सुधार-**

102- चकबंदी-

01- मुख्यालय स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	1,96.62	1,96.62	2,20.22	+23.60
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 23.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- सिंचाई आंकड़ों की सुधार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल	25.58			
		1,11.57	26.43	(-)85.14
पुनर्वि०	85.99			

₹ 85.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.99 लाख का आवर्धन सिंचाई आंकड़ों की सुधार पर अधिक व्यय तथा मार्च 2015 के वेतन उसी माह में देने के कारण हुआ, जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 85.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## विनियोग लेखे अनुदान संख्या-5 (समाप्त)

### (iv) आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना संख्या न0 रेव (डी.एम.सी.) (एफ) 4-2/2000-VII दिनांक 21/2/2011 को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार से सहायता लेने के उद्देश्य से राज्य आपदा प्रबंधन निधि का संगठन किया जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग लगने और सूखा इत्यादि पर राहत दिलवा सके। भारत सरकार और राज्य सरकार से निधि में क्रमशः 90 : 10 की औसत से अंशदान दिया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार से निधि हेतु अंशदान लोक लेखा में लेखा शीर्ष 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड तथा 122- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन अन्य प्राप्त घटकों से अलग पहचान बनाने के लिए वर्गीकरण किया गया है। इसलिए यह फण्ड राज्य सरकार के सामान्य स्रोतों का हिस्सा नहीं है। निधि से किसी भी प्रकार का अप्रयुक्त अग्रिम शेष या अन्य कोई भी प्राधिकार भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विधि से रखा जाता है। पदेन अध्यक्ष होने के नाते इस फण्ड का संचालन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा मुख्य सचिव के साथ किया जाता है।

कमेटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष सिफारिश की गई राशि की मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05- राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 101- रिजर्व फण्ड और जमा लेख का अंतरण राज्य आपदा प्रबंधन निधि, 8121- सामान्य और अन्य रिजर्व फण्ड, 122- आपदा प्रबंधन निधि से स्थानान्तरण द्वारा इस फण्ड में 01 अप्रैल 2014 को ₹ 9,05.05 लाख अथ शेष लिया गया और ₹ 1,58,93.45 लाख (भारत सरकार से ₹ 1,47,06.00 लाख और राज्य सरकार से ₹ 11,87.45 लाख वर्ष के दौरान) क्रेडिट किए गए और इस प्रकार निधि योग ₹ 11.00 लाख कम हो गया। मार्च 2015 के अन्त में निधि में ₹ 8,94.05 लाख जमा रहे। (विवरण हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 15 में दर्शाया गया है) ₹ 1,59,04.45 लाख का डेबिट (भारत सरकार से ₹ 1,43,14.01 लाख और राज्य सरकार से ₹ 15,90.44 लाख) हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों की विवरणी संख्या 21 में दर्शाया गया है।

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-6 आबकारी और कराधान

(शीर्ष- 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2216- आवास, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	44,32,72			
		48,54,08	50,10,67	+1,56,59
पूरक	4,21,36			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,00,00			
		1,77,76	1,77,76	..
पूरक	77,76			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

### टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,56,59,480 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,56.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 4,21.36 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

### राजस्व प्रवर्ग

- दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)**

**2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-**

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय  
कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल 0.01

1,16.00 1,16.00 ..

पुनर्वि0 1,15.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.99 लाख का आवर्धन मूल्यवर्धित कर (वैट) के कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव एवं मरम्मत-

02- रख रखाव व्यय-

**योजनेतर**

मूल 1.29

1.29 6.29 +5.00

₹ 5.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज**  
**संस्थाओं को क्षतिपूर्ति**  
**तथा समनुदेशन-**

107- स्थानीय क्षेत्रों में माल लाने पर कर-

01- स्थानीय शहरी निकायों को  
सहायता अनुदान-**योजनेतर**

मूल 1,21.00

पूरक 1,21.06 3,23.20 3,55.49 +32.29

पुनर्वि0 80.14

₹ 32.29 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.14 लाख का आवर्धन विकास गतिविधियों हेतु स्थानीय निकायों को अधिक अनुदान देने के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (क्रमशः)**

₹ 32.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- पंचायतों/ग्रामीण निकायों को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	2,26.27				
		5,25.57	5,57.20	+31.63	
पुनर्वि०	2,99.30				

₹ 31.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)

**2039- राज्य उत्पाद शुल्क-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- जिला स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	4,18.07				
		3,78.87	3,90.48	+ 11.61	
पुनर्वि०	(-)39.20				

₹ 11.61 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 11.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-**

101- संग्रहण प्रभार-

01- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	2,06.30				
		1,78.39	1,81.75	+3.36	
पुनर्वि०	(-)27.91				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मुख्यतः मूल्यवर्धित कर (वैट) के कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-6 (समाप्त)**

**2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य**

कर तथा शुल्क-

104- संग्रहण प्रभार-माल तथा यात्रियों पर कर-

01- मुख्यालय स्थापना-

**योजनेतर**

मूल 4,55.72

3,91.29

4,35.45

+44.16

पुनर्वि० (-)64.43

₹ 44.16 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा विज्ञापनों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि लेखों के प्रकाशन पर अधिक व्यय, व्यवसायिक सेवाओं को भाडे पर अधिक लेने तथा टेलीफोन, विद्युत बिलों आदि पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 44.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

मूल 29,98.65

29,34.01

29,62.56

+28.55

पुनर्वि० (-)64.64

₹ 28.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.64 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल और स्नेहक प्रभारों, पानी टेलीफोन तथा विद्युत आदि पर अधिक व्यय तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 28.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 पुलिस और सम्बद्ध संगठन**

शीर्ष- 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय)।

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,31,46,56			
		7,99,90,02	7,90,76,30	(-)9,13,72
पूरक	68,43,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				8,82,88
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		9,89	9,89	..
पूरक	9,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	23,73,00			
		25,78,00	25,40,98	(-)37,02
अनुपूरक	2,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 9,13.72 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 68,43.46 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 37.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 2,05.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) महालेखा नियन्त्रक द्वारा जारी की गई सुधार पर्ची संख्या 755, 765 और 766 को राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**2055-पुलिस-**

001-निदेशन और प्रशासन-

01-निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	16,11.58			
		12,62.13	12,62.13	..
पुनर्वि०	(-)3,49.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,49.45 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण तथा व्यावसायिक सेवाओं को भाड़े पर कम लेने के कारण हुई जो कि विभाग के लिए नए वाहनों के क्रय, अधिक खेलकूद गतिविधियों, पेट्रोल, तेल और स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय, उपकरणों की खरीद पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

003- शिक्षा और प्रशिक्षण-

01- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र-

**योजनेतर**

मूल	11,08.56			
		10,42.22	10,42.22	..
पुनर्वि०	(-)66.34			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 66.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण तथा व्यावसायिक सेवाओं को भाड़े पर कम लेने के कारण हुई जो कि विद्युत तथा टेलीफोन प्रभारों पर अधिक व्यय, खुराक तथा वर्दी पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

01- आपराधिक अन्वेषण-

**योजनेतर**

मूल	29,71.75			
पूरक	5.99	29,39.00	29,39.00	..
पुनर्वि०	(-)38.74			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.74 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल और स्नेहक प्रभारों, खुराक व वर्दी विद्युत एवं टेलीफोन प्रभारों, मुखबिर सेवाओं पर अधिक व्यय तथा किराया कर प्रभार की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

02- अन्य सरकारी संगठनों हेतु पुलिस-

**योजनेतर**

मूल	24,91.81			
पूरक	2,13.05	26,36.29	26,36.29	..
पुनर्वि०	(-)68.57			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि विद्युत एवं टेलीफोन प्रभारों पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों की अधिक प्राप्ति तथा वर्दी व खुराक पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

109- जिला पुलिस-

01- जिला कार्यकारिणी बल-

**योजनेतर**

मूल	3,32,27.37			
पूरक	3,02.50	3,27,85.37	3,27,85.37	..
पुनर्वि०	(-)7,44.50			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,44.50 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारियों के कम दौरे, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, किराया व कर प्रभारों की कम प्राप्ति, कर्मचारियों के कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कर्मचारियों के कम स्थानांतरण के कारण हुई जो कि खुराक एवं वर्दी, विद्युत एवं टेलीफोन प्रभारों पर अधिक व्यय, व्यावसायिक सेवाओं को अधिक भाड़े पर लेने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभारों, खुराक एवं वर्दी पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

03- पुलिस के साथ कानून व्यवस्था हेतु  
तैनात गृह रक्षकों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	22,25.62			
पूरक	3,48.17	25,12.24	25,12.24	..
पुनर्वि०	(-)61.55			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 61.55 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

111- रेल पुलिस-

01- अपराध पुलिस-

**योजनेतर**

मूल	3,30.88			
		3,03.61	3,03.61	..
पुनर्वि०	(-)27.27			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.27 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

114- बेतार तथा कम्प्यूटर-

01- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	15,93.35			
पूरक	2,82.44	17,11.61	17,11.61	..
पुनर्वि०	(-)1,64.18			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,64.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि विद्युत एवं टेलीफोन प्रभारों पर अधिक व्यय, कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने, खुराक एवं वर्दी पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

01- जिला कार्यकारिणी फोर्स-

**योजनेतर**

मूल	0.04			
पूरक	1,89.69	1,76.37	1,76.37	..
पुनर्वि०	(-)13.36			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.36 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

02- सुरक्षा संबंधी व्यय -  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल	2,21.05			
पूरक	72.26	2,78.85	2,78.85	..
पुनर्वि०	(-)14.46			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.46 लाख की कमी टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों पर कम व्यय तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

**योजनेतर**

पूरक	49.20	49.20	23.88	(-)25.32
------	-------	-------	-------	----------

₹ 25.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

116- फॉरेंसिक विज्ञान-

01- राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला-

**योजनेतर**

मूल	4,92.48			
		4,75.39	4,78.94	+3.55
पुनर्वि०	(-)17.09			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि प्रयोगशाला के लिए उपकरण व सामग्री की अधिक खरीद, भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय, टेलीफोन व विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2056- जेल-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	1,29.59			
		1,06.02	1,06.02	..
पुनर्वि०	(-)23.57			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.57 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-**

104- सतर्कता-

01- राज्य सतर्कता तथा भ्रष्टाचार  
निरोधी ब्यूरो (परिक्षण वर्ग)-

**योजनेतर**

मूल	18,94.10			
		18,40.82	18,40.76	(-)0.06
पुनर्वि०	(-)53.28			

मार्च 2014 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराये तथा कर बिलों की कम प्राप्ति, कर्मचारियों के कम दौरे करने तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय, अधिक वस्तुओं तथा अन्य मदों की अधिक खरीद, टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

106- सिविल रक्षा-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	33.08			
		22.23	23.86	+1.63
पुनर्वि	(-)10.85			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि किराया तथा कर बिलों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

107- गृह रक्षक-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-  
केन्द्रीय प्रयोजित योजना

**योजनेतर**

(i) मूल	39.88			
		14.92	14.91	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)24.96			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

(ii)	मूल	1,64.09			
			1,49.32	1,49.21	(-)0.11
	पुनर्वि०	(-)14.77			

02- जिला कर्मचारी वर्ग-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

(iii)	मूल	4,28.19			
			3,39.48	3,40.43	+0.95
	पुनर्वि०	(-)88.71			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,28.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजनेतर**

मूल	15,75.30			
पूरक	2,00.00	15,34.44	15,35.92	+1.48
पुनर्वि०	(-)2,40.86			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,40.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि गृह रक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक आयोजनों तथा चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- प्रशिक्षण केन्द्र-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल	36.39			
		22.57	22.54	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)13.82			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.82 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

108- अग्नि संरक्षण तथा नियंत्रण-

01- मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	98.73			
		69.11	61.55	(-)7.56
पुनर्वि०	(-)29.62			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.62 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय तथा वस्तुओं तथा कार्यालय मदों की अधिक खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 02- जिला कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	19,52.33			
		16,21.73	16,19.47	(-)2.26
पुनर्वि०	(-)3,30.60			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,30.60 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2055- पुलिस-**

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

01- राज्य रिजर्व पुलिस-

**योजनेतर**

मूल	46,19.05			
पूरक	4,81.70	55,68.66	55,68.66	..
पुनर्वि०	4,67.91			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,67.91 लाख का आवर्धन खुराक तथा वर्दियों पर अधिक व्यय, मार्च के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, टेलीफोन व विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने के कारण हुआ।

05- इन्डिया रिजर्व वाहिनी-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	1,32,39.04			
पूरक	44,27.63	1,84,97.85	1,84,97.83	(-)0.02
पुनर्वि०	8,31.18			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,31.18 लाख का आवर्धन मार्च का वेतन भुगतान उसी माह में करने, वर्दियों तथा खुराक पर अधिक व्यय, कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने, पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय विद्युत और टेलीफोन प्रभारों पर अधिक व्यय, अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा कर्मचारियों के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के कारण हुआ जो कि उपकरणों की कम खरीद पर हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

**2056- जेल-**

101- जेल -

01- जेलों की स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	17,19.55			
पूरक	2,40.00	20,50.53	20,50.50	(-)0.03
पुनर्वि०	90.98			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90.98 लाख का आवर्धन मार्च के वेतन का भुगतान उसी माह में किये जाने के कारण तथा वाहनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- जेलों के प्रशासन का आधुनिकीकरण-

**योजनेतर**

मूल	1,89.56			
		2,04.86	2,04.64	(-)0.22
पुनर्वि०	15.30			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.30 लाख का आवर्धन मार्च के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

102- जेल उत्पाद-

01- जेल उद्योग -

**योजनेतर**

मूल	64.84			
		79.98	80.62	+0.64
पुनर्वि०	15.14			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.14 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, खुराक पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि खाली पदों को न भरने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

62- तेरहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत सर्तकता  
विभाग के भवनों का रख रखाव-

**योजनेतर**

मूल	3.31			
		62.16	62.16	..
पुनर्वि०	58.85			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.85 लाख का आवर्धन पुलिस विभाग के भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -**

107- गृह रक्षक-

03- प्रशिक्षण केन्द्र-

**योजनेतर**

मूल	1,50.61			
		1,74.60	1,74.60	..
पुनर्वि०	23.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.99 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर तथा टेलीफोन व विद्युत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि खाली पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**2216- आवास-**

06- पुलिस आवास-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

02- राज्य फोरेसिक प्रयोगशाला के  
आवासीय भवनों की मरम्मत-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		1.01	1.01	..
पुनर्वि०	1.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ -**

800- अन्य व्यय-

02- धार्मिक संस्थाओं को सहायता-

**योजनेतर**

मूल	0.50			
		5.50	2.12	(-)3.38
पुनर्वि०	5.00			

₹ 3.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख का आवर्धन धार्मिक संस्थानों को सहायता अनुदान देने में अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 3.38 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

800- अन्य व्यय-

02- अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण-

**योजनागत**

मूल	3,00.00			
		1,70.00	1,70.00	..
पुनर्वि०	(-)1,30.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.00 लाख की कमी के कार्यालयी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

18- राज्य फारेंसिक आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला के आवासीय भवनों का निर्माण-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-7 (समाप्त)**

मूल	37.00	37.00	..	(-)37.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 37.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

800- अन्य व्यय-

01- गृह रक्षक विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण-

**योजनागत**

पुनर्वि0	1,30.00	1,30.00	1,30.00	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,30.00 लाख का आवर्धन गृह रक्षकों के कार्यालय भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान के पुनर्विनियोजन अनुचित था।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 शिक्षा**

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)			
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	39,08,46,62		
		40,86,12,18	(-)3,85,37,02
पूरक	1,77,65,56		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,85,40,24
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
मूल	44,30,01		
		48,73,58	(-)6
पूरक	4,43,57		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			6

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,85,37.02 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,77,65.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान पर्याप्त मात्रा से अप्रयुक्त रहा।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (ii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			
शीर्ष			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**2059- लोक निर्माण कार्य--**

01- कार्यालय भवन -

053- मुरम्मत एवं रख-रखाव -

70- तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत  
प्रारंभिक शिक्षा भवनों का रख रखाव-**योजनागत**

मूल	4,49 .00			
पूरक	4,49 .00	4,43.82	4,43.82	..
पुनर्वि०	(-)4,54.18			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,54.18 लाख की कमी सहिताओं की औपचारिकताओं के पूरा न किये जाने तथा प्राथमिक पाठशालाओं के भवनों के रख-रखाव पर हुए कम व्यय के कारण हुई।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	10,83,09.01			
		10,65,14.33	10,65,14.40	+0.07
पुनर्वि०	(-)17,94.68			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,94.68 लाख की कमी खाली पदों को न भरने के कारण, सामग्री की खरीद व आपूर्ति तथा छात्रवृत्तियों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जो कि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति, कर्मचारियों के अधिक चिकित्सा दावों के प्राप्त होने, पानी, विद्युत व टेलीफोन बिलों पर अधिक व्यय तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरों के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में शिक्षा पर व्यय न होने तथा संहितागत की औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

03- माध्यमिक पाठशाला-

**योजनेतर**

मूल	10,06,26.59			
पूरक	1,25.60	7,79,01.10	7,79,01.08	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)2,28,51.09			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,28,51.09 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, दैनिक वेतन भोगियों की नियुक्ति न करने, कर्मचारियों से कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त होने, माध्यमिक पाठशाला हेतु सामग्री व आपूर्ति पर कम व्यय, छात्रवृत्तियों/शिष्यावृत्तियों के भुगतान पर कम व्यय, पानी, टेलीफोन व विद्युत बिलों पर कम व्यय तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे किये जाने के कारण हुई।

11- उर्दू तथा पंजाबी अध्यापकों पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	1,00.00			
		95.31	95.31	..
पुनर्वि०	(-)4.69			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.69 लाख की कमी मानदेय भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।

12- महात्मा गाँधी वर्दी योजना-

**योजनागत**

मूल	22,83.00			
		22,57.95	22,57.95	..
पुनर्वि०	(-)25.05			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.05 लाख की कमी संहितागत का औपचारिकताएं पूरा न किये जाने के कारण हुई।

102- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-

01- गैर सरकारी प्राथमिक पाठशाला -

**योजनागत**

(i) मूल	1,30.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,30.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

02- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय-

**योजनागत**

(ii) मूल 1,40.00

पुनर्वि० (-)1,40.00

03- निजी पाठशालाओं में कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति-

**योजनागत**

(iii) मूल 17.00

पुनर्वि० (-)17.00

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 2,87.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताएं पूरा न किये जाने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया ।

104- निरीक्षण-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

**योजनेतर**

मूल 16,18.96

पूरक 33.90 12,21.09 12,21.43 +0.34

पुनर्वि० (-)4,31.77

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,31.77 लाख की कमी खाली पदों को न भरने के कारण, कर्मचारियों से चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने के कारण तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे किये जाने के कारण हुई जो कि पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी-

**योजनेतर**

मूल 29,31.44

पूरक 52.50 28,33.59 28,33.59 .

पुनर्वि० (-)1,50.35

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.35 लाख की कमी कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे किये जाने, कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने के कारण, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा पानी, टेलीफोन व विद्युत प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

111- सर्व शिक्षा अभियान-

01- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत  
सहायता अनुदान-

**योजनागत**

मूल 59,22.00

44,38.71

44,38.71

..

पुनर्वि० (-)14,83.29

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,83.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

01- मध्यांतर भोजन-

**योजनागत**

मूल 15,24.00

11,18.89

11,18.88

(-)0.01

पुनर्वि० (-)4,05.11

मार्च 2015 में अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,05.11 लाख की सारभूत कमी संहितागत की औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों के अनुदान के भुगतान पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल 11,81.28

पूरक 19.50

11,30.39

11,30.39

..

पुनर्वि० (-)70.39

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.39 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दौरो पर कम खर्च करने के कारण हुई।

101- निरीक्षण-

01- निरीक्षणालय-

**योजनेतर**

मूल 10,10.42

पूरक 16.00

8,80.71

8,80.62

(-)0.09

पुनर्वि० (-)1,45.71

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,45.71 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दौरो पर कम खर्च करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई।

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

01- माध्यमिक पाठशालाएं-

**योजनेतर**

मूल	11,69,75.96			
पूरक	80.00	11,32,34.56	11,32,35.33	+0.77
पुनर्वि०	(-)38,21.40			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 38,21.40 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे कम प्रस्तुत करना, पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय तथा दौरो पर कम व्यय करने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	14,48.00			
		13,27.51	13,27.51	..
पुनर्वि०	(-)1,20.49			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.49 लाख की कमी छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों के भुगतान पर कम व्यय, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई।

05- सूचना एवं संचार तकनीकी  
कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	8,55.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)8,55.00			

₹ 8,55.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सूचना एवं संचार तकनीकी कार्यक्रम के अर्न्तगत व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

**योजनागत**

मूल	10,85.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)10,85.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

₹ 10,85.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सूचना एवं संचार तकनीकी कार्यक्रम के अन्तर्गत संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत कम व्यय न करने के कारण के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

06- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 29,37.10

8,51.33

8,51.33

..

पुनर्वि० (-)20,85.77

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,85.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 36,09.39 लाख प्राप्त हुए थे।

**योजनागत**

मूल 11,19.00

2,83.78

2,83.78

..

पुनर्वि० (-)8,35.22

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,35.22 लाख की कमी सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

09- सूचना एवं संचार तकनीकी फेज-III

**योजनागत**

मूल 1,00.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत की औपचारिकताओं को पूर्ण न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

10- उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण-

**योजनागत**

मूल 2,08.00

पूरक 3,70.06

4,78.06

4,78.06

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

110- माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-

01- गैर सरकारी उच्चतर विद्यालय-

**योजनेतर**

मूल 1,00.00

पुनर्वि० (-)1,00.00

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत की औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया ।

800- अन्य व्यय-

01- उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत अभिभावक

शिक्षक संघ को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल 16,00.00

पूरक 7,50.00 22,54.68 22,54.68 ..

पुनर्वि० (-)95.32

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 95.32 लाख की कमी कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

103- राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान-

01- राजकीय महाविद्यालय-

**योजनेतर**

मूल 1,96,29.92

पूरक 30.00 1,69,13.97 1,69,13.97 ..

पुनर्वि० (-)27,45.95

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27,45.95 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण, कर्मचारी वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन, छात्रवृत्तियों/शिष्यवृत्तियों पर कम व्यय, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल 4,64.00

1,99.70 1,99.71 +0.01

पुनर्वि० (-)2,64.30

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,64.30 लाख की कमी मुख्यतः छात्रवृत्तियों के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जो कि पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- प्रशिक्षण महाविद्यालय-

**योजनेतर**

मूल	3,84.30			
		3,15.86	3,15.85	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)68.44			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

800- अन्य व्यय-

01- सरकारी महाविद्यालयों को अभिभावक/  
शिक्षक संघ के अन्तर्गत सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	1,00.00			
पूरक	1,00.00	1,20.00	1,19.12	(-)0.88
पुनर्वि०	(-)80.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की कमी सरकारी महाविद्यालयों में कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

04- प्रौढ शिक्षा-

103- ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम-

05- साक्षर भारत योजना-

**योजनागत**

मूल	33.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)33.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 33.00 लाख की कमी संहितागत की औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

05- भाषा विकास-

103- संस्कृत शिक्षा-

01- संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	4,04.05				
पूरक	4.00	3,68.46	3,68.46	..	
पुनर्वि०	(-)39.59				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39.59 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

80- सामान्य-

107- छात्रवृत्तियां-

15- प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना-

**योजनागत**

मूल	1,00.00				
		...	...	..	
पुनर्वि०	(-)1,00.00				

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

800- अन्य व्यय-

01- राष्ट्रीय कैडेट कोर की  
सामान्य स्थापना-**योजनेतर**

मूल	5,03.73				
पूरक	33.50	3,72.13	3,72.14	+0.01	
पुनर्वि०	(-)1,65.10				

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.10 लाख की कमी रिक्त पदों का न भरने तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई।

17- शिक्षा अनुसंधान राज्य परिषद  
एवं प्रशिक्षण समिति सोलन-**योजनेतर**

मूल	2,21.94				
पूरक	9.53	1,98.92	1,98.92	..	
पुनर्वि०	(-)32.55				

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.55 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

**2205- कला एवं संस्कृति-**

- 105- सार्वजनिक पुस्तकालय-  
01- राज्य व जिला स्तरीय पुस्तकालय-

**योजनेतर**

मूल	3,61.46			
		2,97.60	2,97.59	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)63.86			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.86 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों को कम नियुक्ति के कारण हुई।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

- 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-  
277- शिक्षा-  
06- अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	3,29.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3,29.00			

₹ 3,29.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में छात्रवृत्तियों पर व्यय न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 94.32 लाख प्राप्त हुआ।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2202- सामान्य शिक्षा-**

- 01- प्रारम्भिक शिक्षा-  
001- निदेशन और प्रशासन-  
01- निदेशालय-

**योजनेतर**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

पूरक	12,13.05			
		15,53.54	15,53.55	+0.01
पुनर्वि०	3,40.49			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,40.49 लाख का आवर्धन खेल गतिविधियों पर अधिक व्यय, टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों की अधिक प्राप्ति, मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, बाहरी स्रोतों से लिये गये कर्मचारियों के वेतन पर अधिक व्यय, कर्मचारी वर्ग के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति तथा पेट्रोल, तेल और स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

107- अध्यापक प्रशिक्षण-

04- जिला शिक्षा प्रशिक्षण  
संस्थानों पर व्यय -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	5,26.00			
		7,74.89	7,74.89	..
पुनर्वि०	2,48.89			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,48.89 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में किये जाने के कारण हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 5,38.50 लाख प्राप्त हुआ।

**योजनागत**

मूल	2,71.00			
		5,84.39	5,84.40	+0.01
पुनर्वि०	3,13.39			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,13.39 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

111- सर्व शिक्षा अभियान-

01- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	77,27.38			
		82,40.30	82,43.30	+3.00
पुनर्वि०	5,12.92			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,12.92 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिक सहायता अनुदान की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 1,25,47.30 लाख प्राप्त हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- मध्याह्न भोजन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	46,07.00			
		46,26.86	46,26.87	+0.01
पुनर्वि०	19.86			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण/पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.86 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति, उपकरणों एवं मशीनों की खरीद पर अधिक व्यय तथा पानी, टेलीफोन व विद्युत पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि इस योजना के अन्तर्गत सामग्री की खरीद पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 74,60.91 लाख प्राप्त हुआ।

05- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत

प्रारम्भिक शिक्षा सहायता अनुदान-

**योजनागत**

मूल	17,23.00			
		24,34.86	24,34.86	..
पुनर्वि०	7,11.86			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,11.86 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-

10- उच्च माध्यमिक शिक्षा का

व्यावसायीकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	6,58.00			
पूरक	9,80.87	17,35.80	17,35.80	..
पुनर्वि०	96.93			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.93 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 13,51.24 लाख प्राप्त हुई ।

- 16- अध्यापकों का शिक्षा कार्यक्रम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01			
पूरक	11,09.77	11,34.26	11,34.26	..
पुनर्वि०	24.48			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.48 लाख का आवर्धन अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 03- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-  
103- राजकीय उच्चतर विद्यालय तथा संस्थान-  
07- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i)	मूल	0.01			
	पूरक	9,15.47	13,14.79	13,14.79	..
	पुनर्वि०	3,99.31			

**योजनागत**

(ii)	मूल	1.00			
	पूरक	1,01.72	1,46.09	1,46.09	..
	पुनर्वि०	43.37			

उपरोक्त दोनों मामलों में 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,42.68 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान की अधिक प्राप्तियों के कारण हुआ। जबकि पहले मामले में केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 8,07.75 लाख प्राप्त हुआ ।

- 80- सामान्य-  
004- अनुसंधान-  
02- शिक्षा प्रौद्योगिक कार्यक्रम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-8 (समाप्त)**

मूल	0.01			
		8.91	8.91	..
पुनर्वि०	8.90			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.90 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

107- छात्रवृत्तियाँ-

09- अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ-

**योजनागत**

पुनर्वि०	25.00	25.00	25.00	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन अधिक छात्रवृत्तियों के मामले प्राप्त होने के कारण हुआ। निधियों को मूल या पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

800- अन्य व्यय-

16- स्कूली शिक्षा हेतु पर्यावरण अभिविन्यास-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i) मूल	0.01			
		7.69	7.69	..
पुनर्वि०	7.68			

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

02- समाजिक कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

01- विकलांग बच्चों का कल्याण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii) मूल	0.01			
		29.87	29.87	..
पुनर्वि०	29.86			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.54 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		( ₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,20,15,06			
		12,47,35,65	10,95,46,80	(-)1,51,88,84
पूरक	1,27,20,59			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,52,42,35
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	45,00,00			
		50,15,00	43,71,25	(-)6,43,75
पूरक	5,15,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,23,35
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		1,26,86	1,26,86	..
पूरक	1,26,86			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,51,88.85 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2015 में ₹ 1,27,20.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त रहा।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,43.75 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि में मार्च 2015 में ₹ 5,15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त रहा ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- मरम्मत और रखरखाव-

52- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय  
के भवन की मरम्मत-

**योजनागत**

मूल	1,31.00	1,31.00	96.46	(-) 34.54
-----	---------	---------	-------	-----------

₹ 34.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-  
एलोपैथी-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

(i) मूल	20,92.96			
		12,25.91	12,25.91	..
पुनर्वि०	(-)8,67.05			

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

(ii) मूल	15,68.22			
		14,40.89	14,40.88	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,27.33			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/ अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,94.38 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन, पानी प्रभागों तथा बिजली बिलों पर कम व्यय और संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने से हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

04- दंत स्वास्थ्य सेवाएं-निदेशालय-  
योजनेतर

(i)	मूल	1,03.94			
			83.82	83.81	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)20.12			

109- विद्यालय स्वास्थ्य योजनाएं-  
01- विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं-

योजनेतर

(ii)	मूल	30.52			
			26.90	26.90	..
	पुनर्वि०	(-) 3.62			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 23.74 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने से हुई।

110- अस्पताल और औषधालय-  
03- शहरी स्वास्थ्य-

योजनेतर

मूल	1,68,87.87			
		1,28,34.67	1,28,01.98	(-)32.69
पुनर्वि०	(-)40,53.20			

₹ 32.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 40,53.20 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन, पानी, विद्युत बिलों पर कम व्यय, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, बाह्य स्त्रोंतों से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

योजनागत

मूल	41,60.00			
		40,57.90	40,57.90	..
पुनर्वि०	(-)1,02.10			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.10 लाख की कमी टेलीफोन, पानी, विद्युत बिलों पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किए जाने के कारण हुई जो कि मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में किये जाने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

07- जैव चिकित्सा अपशिष्ट -

**योजनेतर**

मूल	65.37			
		54.24	54.38	+0.14

पुनर्वि० (-)11.13

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.13 लाख की कमी बाह्य स्रोतों से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय, उपकरणों तथा वस्तुओं की कम खरीद के कारण हुई।

08- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए

एक मुश्त प्रावधान-

**योजनागत**

मूल	1.00			
		..	..	..

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-

अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	61,86.88			
		50,16.73	50,11.34	(-)5.39

पुनर्वि० (-)11,70.15

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,70.15 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराया तथा कर बिलों की कम प्राप्ति तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जो कि दैनिक वेतन दरों की बढ़ोतरी तथा कर्मचारी वर्ग के लिए अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

**योजनेतर**

मूल	7,33.55			
		7,03.71	7,06.87	+3.16

पुनर्वि० (-)29.84



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 29.84 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

03- आयुर्वेदिक फार्मसी-

**योजनेतर**

मूल	3,91.54			
		3,28.51	3,26.83	(-)1.68
पुनर्वि०	(-)63.03			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 63.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी -

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

**योजनेतर**

मूल	2,66,83.00			
		2,27,36.88	2,27,36.90	+0.02
पुनर्वि०	(-)39,46.12			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 39,46.12 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय, दवाईयों की कम खरीद, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जो कि रोगी कल्याण समिति को अधिक अनुदान देने तथा बाह्य स्त्रोंतों से नियुक्त कर्मचारियों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**योजनागत**

मूल	48,10.00			
		43,42.75	43,42.76	+0.01
पुनर्वि०	(-)4,67.25			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,67.25 लाख की कमी मुख्यतः उपकरणों तथा मशीनों पर कम व्यय, टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय, दवाईयों की कम खरीद तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

05- नये स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक मुश्त प्रावधान -

**योजनागत**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ  
अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक अस्पताल-

**योजनेतर**

मूल 2,48.16

1,71.68

1,76.18

+4.50

पुनर्वि० (-)76.48

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.48 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

**योजनेतर**

मूल 78,15.91

66,33.11

67,19.11

+86.00

पुनर्वि० (-)11,82.80

₹ 86.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11,82.80 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराया तथा करों की कम प्राप्ति तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 86.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

103- यूनानी-

01- यूनानी औषधालय-

**योजनेतर**

मूल 36.15

26.19

27.86

+1.67

पुनर्वि० (-)9.96

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.96 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेदिक महाविद्यालय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	11,40.76			
		10,61.68	10,61.93	+0.25
पुनर्वि०	(-) 79.08			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई जोकि छात्रवृत्तियों तथा शिष्यवृत्तियों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 03- भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान-

**योजनेतर**

मूल	51.52			
		24.67	24.36	(-)0.31
पुनर्वि०	(-)26.85			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.85 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## 105- एलोपैथी पद्धति-

## 03- विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण-

**योजनेतर**

मूल	3,08.14			
		2,46.72	2,46.71	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)61.42			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.42 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

## 05- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-

**योजनेतर**

मूल	1,19.76			
		86.70	86.68	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)33.06			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.06 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहकों पर अधिक व्यय तथा वाहनों की अधिक मरम्मत पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

## 07- राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का उन्नयन-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मूल 5,17.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)5,17.00

₹ 5,17.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

08- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-॥ -

**योजनागत**

मूल 1,31.00

15.99 15.99 ..

पुनर्वि0 (-)1,15.01

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.01 लाख की कमी योजना के अर्न्तगत प्रत्याशित व्यय से कम खर्च के कारण हुई।

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- खाद्य सुरक्षा तथा औषध प्रशासन-

**योजनेतर**

मूल 95.00

79.30 66.29 (-)13.01

पुनर्वि0 (-)15.70

₹ 13.01 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.70 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा पेट्रोल, तेल, स्नेहक पर कम व्यय तथा वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 13.01 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-

02- क्षय रोग अस्पताल-

**योजनेतर**

मूल 6,79.89

6,61.79 6,61.80 +0.01

पुनर्वि0 (-)18.10

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.10 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

मूल	1,50.00			
		1,11.50	1,11.50	..

पुनर्वि० (-)38.50

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.50 लाख की कमी मुख्यतः दवाईयों की कम खरीद करने के कारण हुई।

**05- मानसिक चिकित्सा एवं पुनर्वास चिकित्सालय-**

**योजनेतर**

मूल	1,12.88			
		8.12	8.11	(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,04.76

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.76 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन, पानी के प्रभारों, किराया, दर तथा कर बिलों पर कम व्यय तथा दवाईयों की कम खरीद के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	2,00.00			
		92.39	92.39	..

पुनर्वि० (-)1,07.61

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.61 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा दवाईयों की कम खरीद के कारण हुई।

**07- कुष्ठ रोग अस्पताल-**

**योजनेतर**

मूल	5,16.08			
		3,61.64	3,61.63	(-)0.01

पुनर्वि० (-)1,54.44

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,54.44 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, दवाईयों की कम खरीद तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	20.00			
		12.78	12.78	..

पुनर्वि० (-)7.22

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.22 लाख की कमी टेलीफोन, पानी प्रभारों तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

10- राष्ट्रीय अंधपन नियन्त्रण कार्यक्रम-  
योजनेतर

मूल 4.71

पुनर्वि० (-)4.71

₹ 4.71 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में रिक्त पदों को न भरने के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

21- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम -  
योजनागत

मूल 1,65.00

96.06

96.06

..

पुनर्वि० (-)68.94

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.94 लाख की कमी दवाईयों की कम खरीद के कारण हुई।

**2211- परिवार कल्याण-**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- राज्य मुख्यालय-

योजनेतर

(i) मूल 2,29.69

1,95.07

1,95.07

..

पुनर्वि० (-)34.62

02- जिला मुख्यालय-

योजनेतर

(ii) मूल 6,60.50

5,34.84

5,34.84

..

पुनर्वि० (-)1,25.66

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,60.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, पानी प्रभारों तथा टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

003- प्रशिक्षण-

01- सहायक नर्स, दाई/स्त्री स्वास्थ्य कार्यकर्ता  
का प्रशिक्षण आदि-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	3,20.92			
		2,32.19	2,32.18	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)88.73			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 88.73 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ-

01- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण केन्द्र -

**योजनेतर**

मूल	73,68.07			
		69,21.89	69,21.89	..
पुनर्वि०	(-)4,46.18			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,46.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने तथा टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

102- शहरी परिवार कल्याण  
सेवाएँ-

01-शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण  
केन्द्र-

**योजनेतर**

मूल	13,25.84			
		10,43.45	10,43.45	..
पुनर्वि०	(-)2,82.39			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,82.39 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

800- अन्य व्यय -

01- इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना-

**योजनेतर**

मूल	46.37			
		0.26	0.26	..
पुनर्वि०	(-)46.11			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 46.11 लाख की कमी बाह्य स्रोतों से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		50.55	50.55	..
पुनर्वि०	(-)49.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.45 लाख की कमी इस योजना के अन्तर्गत प्रत्याशित से कम व्यय होने के कारण हुई।

- 02- उत्कृष्ट महिला जन्म दर अनुपात हेतु  
पंचायतों को अतिरिक्त विकास अनुदान-

**योजनागत**

मूल	60.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)60.00			

₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में बाह्य स्रोतों से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

- 03- भ्रूण हत्या के सूचकों को प्रोत्साहन-

**योजनागत**

मूल	2.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)2.00			

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में इस योजना के अन्तर्गत प्रत्याशित से कम व्यय होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

- 04-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
के अन्तर्गत प्रावधान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	1,25,24.89			
		93,33.02	93,33.02	..
पुनर्वि०	(-)31,91.87			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 31,91.87 लाख की कमी भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि केन्द्र से प्राप्त कुल अनुदान ₹ 1,27,75.40 लाख था।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	19,75.00			
		17,07.00	17,07.00	..
पुनर्वि०	(-)2,68.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,68.00 लाख की कमी भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई ।

## 06- मातृ सेवा योजना-

**योजनागत**

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख के समस्त प्रावधान को मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

## 07- राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-

**योजनागत**

मूल	11,85.00			
		9,43.53	9,43.53	..
पुनर्वि०	(-)2,41.47			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,41.47 लाख की कमी इस योजना के अर्न्तगत कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

## 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

## 200- अन्य कार्यक्रम-

## 10- स्वतन्त्रता सेनानियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति-

**योजनेतर**

मूल	9.93			
		8.23	8.23	..
पुनर्वि०	(-) 1.70			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1.70 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

50- आयुर्वेद विभाग के भवनों का रख-रखाव-

**योजनेतर**

मूल 0.01

1,50.01

1,50.01

..

पुनर्वि० 1,50.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रखरखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

52- इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

के भवनों का रख-रखाव-

**योजनेतर**

मूल 0.01

..

34.54

+ 34.54

पुनर्वि० (-) 0.01

₹ 34.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-

200- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-

01- दन्त क्लीनिक (शहरी)-

**योजनेतर**

मूल 21,09.63

23,19.16

23,30.87

+11.71

पुनर्वि० 2,09.53

₹ 11.71 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,09.53 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ जोकि रोगी कल्याण समिति को कम अनुदान देने तथा कर्मचारी वर्ग के लिए कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 11.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

105- एलोपैथी -

01- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,  
शिमला-

**योजनेतर**

मूल	1,11,33.57			
		1,21,01.93	1,21,03.93	+2.00

पुनर्वि०	9,68.36			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,68.36 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, टेलीफोन, पानी, विद्युत बिलों पर अधिक व्यय, निगम कर की अधिक प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रभारों के लम्बित दायित्वों के समाशोधन तथा पेट्रोल, तेल, स्नेहक व वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**योजनागत**

मूल	6,60.00			
		9,45.95	9,45.96	+0.01

पुनर्वि०	2,85.95			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,85.95 लाख का आवर्धन छात्रवृत्तियों, शिष्यवृत्तियों पर अधिक व्यय तथा दवाईयों की अधिक खरीद के कारण हुआ।

04- दंत चिकित्सा महाविद्यालय-

**योजनेतर**

मूल	10,70.18			
		11,81.25	11,81.21	(-)0.04

पुनर्वि०	1,11.07			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.07 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा निगम करों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

06- डा० राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान

महाविद्यालय, टांडा-

**योजनेतर**

मूल	54,73.41			
		58,50.30	58,46.96	(-)3.34

पुनर्वि०	3,76.89			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,76.89 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने तथा टेलीफोन, पानी व विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा मानदेय बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	2,40.00			
		4,37.35	4,37.85	(-)1.50
पुनर्वि०	1,97.35			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,97.35 लाख का आवर्धन छात्रवृत्तियों व शिष्यवृत्तियों पर अधिक व्यय तथा कार्यालयी भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन-

**योजनेतर**

मूल	47.05			
		91.00	91.47	+0.47
पुनर्वि०	43.95			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.95 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

101- रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण-

21- राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.02			
		6,12.75	6,12.75	..
पुनर्वि०	6,12.73			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,12.73 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत वस्तुओं की अधिक खरीद तथा रोगी कल्याण समिति को अधिक अनुदान देने के कारण हुआ।

**2211- परिवार कल्याण-**

800- अन्य व्यय-

05- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	1,95.69			
		3,01.93	3,01.93	..
पुनर्वि०	1,06.25			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,06.25 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक अनुदान देने के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (क्रमशः)**

**2216- आवास-**

05- सामान्य पूल आवास-

053- रख-रखाव और मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय -

**योजनेतर**

मूल	11.00			
		29.97	29.97	..
पुनर्वि०	18.97			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.97 लाख का आवर्धन रिहायशी भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यत निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4210- चिकित्सा तथा लोक****स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-**

01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

01- शहरी स्वास्थ्य-

**योजनागत**

मूल	17,00.00			
		16,56.99	16,56.99	..
पुनर्वि०	(-)43.01			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.01 लाख की कमी चिकित्सा के मूलभूत ढांचे के उन्नयन पर कम व्यय के कारण हुई।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-

110- अस्पताल और औषधालय-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य

**योजनागत**

मूल	15,95.00			
पूरक	5,15.00	21,01.26	19,80.87	(-) 1,20.39
पुनर्वि०	(-)8.74			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-9 (समाप्त)**

₹ 1,20.39 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.74 लाख की कमी चिकित्सा के मूलभूत ढाँचे के उन्नयन पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,20.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान-

101- आयुर्वेद-

01- आयुर्वेद (निर्माण)-

**योजनागत**

मूल	7,96.00			
		3,24.40	3,24.40	..
पुनर्वि०	(-)4,71.60			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,71.60 लाख की कमी चिकित्सा के मूलभूत ढाँचे के उन्नयन पर कम व्यय के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3054-सड़क तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	24,45,80,07			
		24,45,98,48	24,39,95,19	(-)6,03,29
पूरक	18,41			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,60,81,47
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		10,13	10,13	..
पूरक	10,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,14,91,00			
		6,23,72,61	6,11,89,82	(-)11,82,79
पूरक	1,08,81,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				9,95,40
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		21,53,07	21,48,51	(-)4,56
पूरक	21,53,07			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**  
**टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 92 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित हैं ।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,03.29 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 18.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान भी पर्याप्त मात्रा में अप्रयुक्त रहा तथा ₹ 2,60,81.47 लाख का अभ्यर्ण अत्याधिक सिद्ध हुआ जो कि बेहतर बजट बनाने और व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,82.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,08,81.61 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 9,95.40 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

**योजनेतर**

मूल	18,85.93			
		13,85.92	13,04.84	(-)81.08
पुनर्वि०	(-)5,00.01			

₹ 81.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.01 लाख की कमी मुख्यतः खाली पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 81.08 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- वास्तुकला-

**योजनेतर**

मूल	2,27.62			
		1,45.95	1,45.83	(-)0.12
पुनर्वि०	(-)81.67			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

052- मशीनरी तथा उपस्कर-  
02- मरम्मतें तथा भार ढुलाई-

**योजनेतर**

मूल	38.39			
		30.00	27.01	(-).2.99
पुनर्वि०	(-).8.39			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.39 लाख की कमी मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर कम व्यय के कारण हुई ।

053- रख-रखाव तथा मरम्मत -  
03- निष्पादन-

**योजनेतर**

मूल	1,05,64.77			
		89,31.32	89,31.38	+0.06
पुनर्वि०	(-).16,33.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,33.45 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

04- गैर आवासीय भवनों के  
रख रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	25,37.04			
		14,98.88	16,61.81	+1,62.93
पुनर्वि०.	(-).10,38.16			

₹ 1,62.93 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 10,38.16 लाख की कमी कार्यालयी भवनों के रख-रखाव कार्यों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,62.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतू  
रखरखाव का प्रावधान-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	74,02.11			
		76,21.16	63,88.12	(-)12,33.04
पुनर्वि०.	2,19.05			

₹ 12,33.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.05 लाख का आवर्धन रख-रखाव कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 12,33.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

053- मरम्मत तथा रख-रखाव-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

**योजनेतर**

मूल	3,97.13			
		3,12.25	3,17.50	+5.25
पुनर्वि०.	(-)84.88			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 84.88 लाख की कमी रिहायशी भवनों के रख-रखाव कार्यों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

**3054- सड़क तथा सेतु-**

03- राज्य उच्च मार्ग-

103- रख-रखाव तथा मरम्मत-

04- अन्य रख-रखाव व्यय मशीनरी

तथा उपस्कर-

**योजनेतर**

मूल	3,90.72			
		2,48.23	1,96.10	(-)52.13
पुनर्वि०	(-)1,42.49			

₹ 52.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.49 लाख की कमी रख-रखाव कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 52.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

मूल	3,00.00	3,00.00	2,82.74	(-)17.26
-----	---------	---------	---------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

- ₹ 17.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।
- 05- अन्य रख-रखाव व्यय सेतु-
- योजनेतर**
- |          |            |         |         |            |
|----------|------------|---------|---------|------------|
| मूल      | 5,99.13    |         |         |            |
|          |            | 3,46.19 | 2,23.67 | (-)1,22.52 |
| पुनर्वि० | (-)2,52.94 |         |         |            |
- ₹ 1,22.52 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.94 लाख की कमी रख-रखाव कार्यों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- ₹ 1,22.52 लाख का अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।
- 10- निष्पादन-
- योजनेतर**
- |          |             |            |            |            |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| मूल      | 1,37,39.00  |            |            |            |
|          |             | 1,07,36.22 | 1,05,73.24 | (-)1,62.98 |
| पुनर्वि० | (-)30,02.78 |            |            |            |
- ₹ 1,62.98 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 30,02.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- ₹ 1,62.98 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।
- 11- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-
- योजनेतर**
- |          |            |            |            |             |
|----------|------------|------------|------------|-------------|
| मूल      | 1,91,65.92 |            |            |             |
|          |            | 1,81,74.59 | 1,43,90.19 | (-)37,84.40 |
| पुनर्वि० | (-)9,91.33 |            |            |             |
- ₹ 37,84.40 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,91.33 लाख की कमी सड़कों के रख-रखाव कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।
- ₹ 37,84.40 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।
- 13- स्थाई स्थापना में बदले गए कामगार-सेतु-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

(i) मूल	50,29.95			
		46,29.57	45,85.96	(-)43.61
पुनर्वि०	(-)4,00.38			

- 14- स्थाई स्थापना में बदले गए  
कामगार-सड़क निर्माण कार्य-

**योजनेतर**

(ii) मूल	94,64.62			
		84,65.71	82,63.46	(-)2,02.25
पुनर्वि०	(-)9,98.91			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,45.86 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,99.29 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 2,45.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 15- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत  
सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	59,15.00	59,15.00	58,24.41	(-) 90.59
-----	----------	----------	----------	-----------

₹ 90.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें-  
105- रख रखाव तथा मरम्मत-  
02- अन्य रख रखाव व्यय-  
सड़क निर्माण कार्य-

**योजनेतर**

मूल	1,23,09.98			
		1,01,59.98	1,08,25.68	+6,65.70
पुनर्वि०	(-)21,50.00			

₹ 6,65.70 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 21,50.00 लाख की कमी रख रखाव कार्यों पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 6,65.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	15,77.00	15,77.00	14,57.63	(-)1,19.37
-----	----------	----------	----------	------------

₹ 1,19.37 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 03- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत सड़कों के रख-रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	41,61.51			
-----	----------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)41,61.51	..	..	..
----------	-------------	----	----	----

₹ 41,61.51 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

- 05- लोक निर्माण विभाग कार्यशाला नाहन फाउण्डरी-

**योजनेतर**

मूल	6,88.78			
-----	---------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)5,94.66	94.12	64.07	(-)30.05
----------	------------	-------	-------	----------

₹ 30.05 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5,94.66 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 30.05 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव प्रावधान-

**योजनेतर**

मूल	5,00,99.76			
-----	------------	--	--	--

पुनर्वि०	(-)49,84.90	4,51,14.86	4,11,15.50	(-)39,99.36
----------	-------------	------------	------------	-------------

₹ 39,99.36 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 49,84.90 लाख की कमी सड़कों के रख रखाव कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 39,99.36 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 07- स्थाई स्थापना में बदले कामगार-सड़क निर्माण कार्य-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

(i) मूल	5,00,99.76			
		4,51,14.86	4,48,21.61	(-)2,93.25
पुनर्वि०	(-)49,84.90			

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन और पर्यवेक्षण-

**योजनेतर**

(ii) मूल	46,15.66			
		37,21.68	35,89.71	(-)1,31.97
पुनर्वि०	(-)8,93.98			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 4,25.22 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 58,78.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई, अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4,25.22 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

05- वास्तुकार-

**योजनेतर**

मूल	4,58.16			
		3,80.69	3,80.02	(-)0.67
पुनर्वि०	(-)77.47			

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 77.47 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में)

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

80- सामान्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- डिजाईन-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

मूल	3,60.07			
		4,05.62	4,04.75	(-)0.87
पुनर्वि०	45.55			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.55 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।				
053- रख रखाव एवं मरम्मत-				
01- कामगार स्थापना-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	0.05			
		..	3.65	+3.65
पुनर्वि०	(-)0.05			
₹ 3.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।				
05- स्थाई स्थापना में बदले गये कामगार-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	74,02.11			
		76,21.16	75,97.37	(-)23.79
पुनर्वि०	2,19.05			
₹ 23.79 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,19.05 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 23.79 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।				
104- पट्टा प्रभार -				
01- पट्टा प्रभार-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	3.83			
		13.83	13.67	(-)0.16
पुनर्वि०	10.00			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन किराया, दर तथा कर बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।				
799- उचंत -				
01- स्टॉक-				

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)

योजनेतर					
(i)	मूल	90,00.00	90,00.00	2,65,77.67	+1,75,77.67
02- स्टॉक निर्माण-					
योजनेतर					
(ii)	मूल	40,00.00	40,00.00	49,92.04	+9,92.04
03- विभिन्न लोक निर्माण					
विभाग अग्रिम-					
योजनेतर					
(iii)	मूल	50,00.00	50,00.00	2,10,82.36	+1,60,82.36
<b>3054- सड़क तथा सेतु-</b>					
03- राज्य राजमार्ग-					
103- रख-रखाव और मरम्मत-					
01- कार्य प्रभारित स्थापना-					
मशीनरी और उपस्कर-					
योजनेतर					
(iv)	मूल	0.04			
			..	20.06	+20.06
	पुनर्वि०	(-)0.04			
03- कार्य प्रभारित स्थापना-					
सड़क निर्माण कार्य-					
योजनेतर					
(v)	मूल	0.04			
			..	3.18	+3.18
	पुनर्वि०	(-)0.04			
06- अन्य रख रखाव व्यय-					
सड़क निर्माण कार्य-					
योजनेतर					
(vi)	मूल	23,34.51			
			23,34.50	24,37.77	+1,03.27
	पुनर्वि०	(-)0.01			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

08- तेरहवे वित्तायोग के अन्तर्गत सड़कों  
के रख रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

(vii) मूल	13,19.51			
		13,19.50	15,60.94	+2,41.44
पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त सात मामलों में ₹ 3,50,20.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

12- स्थाई स्थापना में बदले गए  
कामगार मशीनरी एवं उपस्कर-

**योजनेतर**

मूल	46,71.35			
		50,79.31	50,78.02	(-)1.29
पुनर्वि०	4,07.96			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,07.96 लाख का आवर्धन मार्च 2015 माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

16- तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत  
पुलों के रख रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	5,91.00	5,91.00	5,99.45	+8.45
-----	---------	---------	---------	-------

₹ 8.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे ( जुलाई 2015)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई: --

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में)

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

03- राज्य उच्चमार्ग-

052- मशीनरी तथा उपस्कर-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

01- राज्य उच्चमार्ग-

**योजनागत**

मूल	45.00	45.00	36.26	(-)8.74
-----	-------	-------	-------	---------

₹ 8.74 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे ( जुलाई 2015)।

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण  
विकास बैंक के अन्तर्गत सड़क निर्माण-

**योजनागत**

मूल	1,75,80.00			
		1,60,94.15	1,60,71.67	(-)22.48

पुनर्वि0. (-)14,85.85

₹ 22.48 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14,85.85 लाख की कमी इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 22.48 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

06- प्रतिपूरक पौधारोपण (वन भूमि की लागत  
और शुद्ध वर्तमान मूल्य का भुगतान)-

**योजनागत**

मूल	10,00.00	10,00.00	9,49.71	(-)50.29
-----	----------	----------	---------	----------

₹ 50.29 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षण कार्यक्रम-

**योजनागत**

मूल	10.00			
		0.46	0.41	(-)0.05

पुनर्वि0. (-)9.54

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.54 लाख की कमी कर्मचारी वर्ग के लिए कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

01- विभिन्न जिलों में रिहायशी भवनों का निर्माण-

**योजनागत**

(i)	मूल	15,98.00	15,98.00	16,52.02	+54.02
-----	-----	----------	----------	----------	--------

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

03- राज्य राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

04- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत

सड़कों का निर्माण-

**योजनागत**

(ii)	मूल	33,00.00	33,00.00	33,43.39	+43.39
------	-----	----------	----------	----------	--------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 97.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

**योजनागत**

मूल 22,14.00

पूरक 9,58.00

पुनर्वि०. 5,00.00

36,72.00

34,62.03

(-)2,09.97

₹ 2,09.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख का आवर्धन सड़कों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,09.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

(viii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

02- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

**योजनेतर**

पूरक	21,53.07	21,53.07	21,48.51	(-)4.56
------	----------	----------	----------	---------

₹ 4.56 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (क्रमशः)**

**(ix) उचन्त लेन देन-**

इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में लघु-शीर्ष 'उचन्त' के अंतर्गत लेखांकित किए गए ₹ 5,26,52.07 लाख (₹ 5,26,52.07 लाख राजस्व प्रवर्ग में तथा पूंजीगत प्रवर्ग में शून्य व्यय) सम्मिलित है।

यह शीर्ष अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है जबकि यह उन कुछ अंतरिम लेन देनों को समायोजन के लिए है जिनके संबन्ध में लेनदेन को पूर्ण तथा अंतिम रूप से लेखांकित मानने के पूर्व आगामी अदायगी या मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार इस शीर्ष के अंतर्गत लेन-देनों को, यदि उन्हें अंतिम लेखा शीर्ष के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जाता तो, उसे वर्षानुवर्ष आगे ले जाया जाता है।

उचन्त शीर्ष के तीन उप-खंड हैं:-

- (1) स्टॉक
- (2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा
- (3) कार्यशाला उचन्त।

इन प्रत्येक उपखंडों के अंतर्गत लेनदेनों के स्वरूप तथा उनके लेखांकन का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

**(1) स्टॉक:-** इस शीर्ष को ऐसी सामग्री के मूल्य को डेबिट किया जाता है जिसे किसी विशेष कार्य हेतु नहीं बल्कि मंडलों के सामान्य उपयोग के लिए प्राप्त किया गया हो। इसमें निर्माण कार्यों की जारी की गई सामग्री अथवा अन्य मंडलों को अंतरित अथवा अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। अतः यह उप शीर्ष स्टॉक में पड़ी सामग्री तथा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों, यदि कोई हो, के मूल्य के संदर्भ में डेबिट बकाया दर्शाएगा।

**(2) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम:-** यह उप-शीर्ष, क्रेडिट पर बेचे गए स्टॉक, निक्षेप-निर्माण कार्यों पर प्राप्त निक्षेपों से अधिक किए गए व्यय, भंडार, जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, हेतु की गई अदायगी, अपलेखित न किए गए रोकड या भंडारों की क्षति तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूल की जाने वाली राशि से संबंधित मूल्य के संदर्भ में डेबिटों के समायोजन के लिए है। इस प्रकार डेबिट-शेष, वसूली योग्य राशि को दर्शाता है।

**(3) कार्यशाला उचन्त:-** इस उप-शीर्ष को, विभागीय कार्यशालाओं में कार्यों या अन्य संचालनों पर किए गए सभी प्रभारों को डेबिट किया जाता है। कार्य की पूर्णता पर, उस कार्य से संबद्ध प्रभारों को जो इस उप-शीर्ष को डेबिट किए गए हों, को वसूली अथवा संबंधित अंतिम शीर्ष को अंतरण द्वारा समाशोधित किया जाता है। इस प्रकार इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट-शेष अपूर्ण कार्यों/संचालनों या कार्यों पर किए गए व्यय आदि से संबद्ध प्रभारों, जो वसूल या समायोजित नहीं किए गए हैं, को दर्शाता है।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-10 (समाप्त)**

विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन अथ तथा अन्त शेषों सहित, वर्ष 2014-15 के दौरान इस अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए 'उचन्त' लेनदेनों का विश्लेषण, निम्नवत् दिया जाता है:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को अथ शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग (₹ लाख में)</b>				
<b>2059- लोक निर्माण कार्य</b>				
80- सामान्य				
799- उचन्त				
01- स्टॉक	(-)1,16,19.56	2,65,77.67	3,07,50.91	(-)1,57,92.80*
02- स्टॉक विनिर्माण	+8,05.91	49,92.04	47,77.62	+10,20.33
03- विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+3,48,93.31	2,10,82.36	1,74,30.33	+3,85,45.34
04- कार्यशाला उचन्त	+0.07	0.00	0.00	+0.07
<b>कुल</b>	<b>+2,40,79.73</b>	<b>5,26,52.07</b>	<b>5,29,58.86</b>	<b>+2,37,72.94</b>
<b>कुल राजस्व प्रवर्ग +2,40,79.73 5,26,52.07 5,29,58.86 +2,37,72.94</b>				
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>5054- सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
03- राज्य उच्च मार्ग				
799- उचन्त				
01- स्टॉक	(-)15.03	0.00	0.00	(-)15.03*
02- स्टॉक विनिर्माण	(-)16.87	0.00	0.00	(-)16.87*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)22.98	0.00	0.00	(-)22.98*
04- कार्यशाला उचन्त	(-)1,99.52	0.00	0.00	(-)1,99.52*
<b>कुल पूंजीगत प्रवर्ग</b>	<b>(-)2,54.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)2,54.40*</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>+2,38,25.33</b>	<b>5,26,52.07</b>	<b>5,29,58.86</b>	<b>+2,35,18.54</b>

\* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 कृषि**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2810-नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
(₹ हजार में )				
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,44,89,79			
	2,45,92,01	2,56,79,61	+10,87,60	
पूरक	1,02,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	52,25,75			
	52,25,75	52,25,69	(-)6	
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,87,59,570 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 10,87.60 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,02.22 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iii) दत्तमत अनुदान में अधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-)	
(₹ लाख में )				
शीर्ष				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

109- कृषकों को प्रशिक्षण तथा विस्तार-

25- सामान्य कृषि विस्तार कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	7,58.92	7,58.92	7,58.92	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 7,58.92 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजनों के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

27- तकनीक विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.01	77.50	77.50	..
------	------	-------	-------	----

पुनर्वि० 77.49

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान के ₹ 77.49 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक माँग प्राप्त होने के कारण हुआ।

111- कृषि आर्थिकी तथा सांख्यिकी-

01- कृषि सांख्यिकी अनुभाग

(समय प्रतिवेदन योजना)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01	42.54	42.54	..
-----	------	-------	-------	----

पुनर्वि० 42.53

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.53 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते के भुगतान, कर्मचारियों को मानदेय देने तथा कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ।

02- नमूना सर्वेक्षण का निदान तथा

अध्ययन (फसल सांख्यिकी का सुधार)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	24.99	24.99	24.99	..
----------	-------	-------	-------	----



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 24.99 लाख का आवर्धन मुख्यतः मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

113- कृषि अभियान्त्रिकी-

04- कृषि मशीनीकरण उपमिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	80.02	80.02	77.60	(-).2.42
----------	-------	-------	-------	----------

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन बिना द्वारा प्रावधान के ₹ 80.02 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		22.00	21.99	+0.01
पुनर्वि०	21.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.99 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय-

15- स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(i)	पुनर्वि०	5,92.89	5,92.89	5,92.89	..
-----	----------	---------	---------	---------	----

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii)	पुनर्वि०	1,73.45	1,73.45	1,73.45	..
------	----------	---------	---------	---------	----

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 7,66.34 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था। केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 9,46.92 लाख प्राप्त हुआ। उपरोक्त क्रम संख्या दो में राज्य सरकार द्वारा राज्य का अंश उपलब्ध नहीं करवाया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

16- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक 0.01

12,46.89

12,46.89

..

पुनर्वि० 12,46.88

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,46.88 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ।

**2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-**

01- फसल कृषि-कर्म-

004- अनुसंधान-

02- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय  
को अनुसंधान हेतु सहायता अनुदान-

**योजनागत**

मूल 25,00.00

41,34.05

50,47.84

+9,13.79

पुनर्वि० 16,34.05

₹ 9,13.79 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,34.05 लाख का आवर्धन स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 9,13.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

277- शिक्षा-

01- हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय  
की शिक्षा हेतु सहायता अनुदान-

**योजनागत**

मूल 14,61.00

पूरक 1,02.19

18,31.00

18,31.00

..

पुनर्वि० 2,67.81

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,67.81 लाख का आवर्धन स्थापना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2810- नई तथा नवीकरणीय उर्जा-**

01- बायो-उर्जा-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

103- बायो गैस-

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

**योजनागत**

पुनर्वि०	16.50	16.50	16.50	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 16.50 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था। जबकि केन्द्रीय सरकार से कुल अनुदान ₹ 31.63 लाख प्राप्त हुआ।

(iv) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	11,69.81			
		8,19.46	8,26.12	+6.66
पुनर्वि०	(-)3,50.35			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,50.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा किराया, दर और कर बिलों के कम भुगतान के कारण हुई।

02- जिला एवं क्षेत्रीय कर्मचारी-

**योजनेतर**

मूल	18,95.22			
		15,97.53	17,50.20	+1,52.67
पुनर्वि०	(-)2,97.69			

₹ 1,52.67 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,97.69 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,52.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

103- बीज-

01- बीजों का वितरण-

**योजनेतर**

मूल 10,58.70

9,10.27

9,12.10

+1.83

पुनर्वि० (-)1,48.43

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

105- खाद तथा उर्वरक-

02- उर्वरकों का वितरण-

**योजनागत**

मूल 5,37.00

1,80.51

1,80.41

(-)0.10

पुनर्वि० (-)3,56.49

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,56.49 लाख की सारभूत कमी मुख्यतः लाभार्थियों से कम माँग प्राप्त होने के कारण हुई।

04- मृदा विज्ञान तथा रसायन-

**योजनेतर**

(i) मूल 3,59.17

3,30.58

3,30.31

(-)0.27

पुनर्वि० (-)28.59

07- गुणवत्ता नियंत्रण की आगतों का विकास-  
(उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला)-**योजनेतर**

(ii) मूल 59.61

42.04

42.03

(-)0.01

पुनर्वि० (-)17.57

109- कृषकों का विस्तार तथा प्रशिक्षण -

25- सामान्य कृषि विस्तार कार्यक्रम-

**योजनेतर**

(iii) मूल 20,54.85

15,81.69

15,81.66

(-)0.03

पुनर्वि० (-)4,73.16

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,19.32 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	3,52.00			
		2,54.88	2,54.90	+0.02
पुनर्वि०	(-)97.12			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 97.12 लाख की कमी कैम्पों तथा सेमीनारों के कम आयोजन तथा मरम्मत, पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभागों पर कम व्यय के कारण हुई।

26- कृषि विकास परियोजना-

**योजनागत**

मूल	3,75.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)3,75.00			

₹ 3,75.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में कैम्पों तथा सेमीनारों के आयोजन न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

110- फसल बीमा-

01- फसल बीमा योजना-

**योजनागत**

मूल	1,70.00			
		1,12.21	1,12.21	..
पुनर्वि०	(-)57.79			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.79 लाख की कमी कैम्पों तथा सेमीनारों के कम आयोजन के कारण हुई।

111- कृषि आर्थिकी तथा सांख्यिकी-

01- कृषि सांख्यिकी अनुभाग (समय प्रतिवेदन योजना)-

**योजनेतर**

मूल	67.02			
		41.15	48.19	+ 7.04
पुनर्वि०	(-)25.87			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.87 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल 5.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में कैम्पों तथा सेमीनारों के आयोजन न करने, मुरम्मत, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर व्यय न करने तथा विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजित किया गया।

05- सब्जियों तथा गौण फसलों के सर्वेक्षण एवं फसल अनुमान -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i) मूल 66.00

पुनर्वि० (-)66.00

**योजनागत**

(ii) मूल 22.00

पुनर्वि० (-)22.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 88.00 लाख का समस्त प्रावधान कैम्पों तथा सेमीनारों के आयोजन न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित किया गया।

113- कृषि अभियान्त्रिकी-

01- कृषि उपकरण तथा संयंत्र-

**योजनेतर**

मूल 1,05.60

57.83

58.04

+0.21

पुनर्वि० (-)47.77

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.77 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

13- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	36,19.00			
		23,38.53	23,38.53	..
पुनर्वि०	(-)12,80.47			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,80.47 लाख की कमी कैम्पों तथा सेमीनारों के कम आयोजन तथा लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई जो कि विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 15- चिरस्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	8,55.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)8,55.00			

₹ 8,55.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 कैम्पों तथा सेमीनारों के आयोजन न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**योजनागत**

मूल	95.00			
		50.40	50.40	..
पुनर्वि०	(-)44.60			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.60 लाख की कमी कैम्पों तथा सेमीनारों के कम आयोजन के कारण हुई।

**2402- मृदा तथा जल संरक्षण-**

- 101- मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-

- 01- कृषि योग्य बंजर भूमि का  
सर्वेक्षण (कृषि विभाग)-

**योजनेतर**

मूल	1,66.11			
		1,51.60	1,51.36	(-)0.24
पुनर्वि०	(-)14.51			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 102- मृदा-संरक्षण -

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-11 (समाप्त)**

01- कृषि भूमि मृदा-संरक्षण (कृषि विभाग)-

प्रधानमन्त्री ग्रामीण योजना

**योजनेतर**

मूल 16,19.00

13,75.00

13,83.59

+8.59

पुनर्वि० (-)2,44.00

₹ 8.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,44.00 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 8.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- नदी घाटी परियोजना में मृदा-संरक्षण-

(कृषि विभाग)-

**योजनेतर**

(i) मूल 1,40.43

1,00.35

1,01.88

+1.53

पुनर्वि० (-)40.08

**2407- बागान-**

01- चाय-

800- अन्य व्यय-

01- हिमाचल प्रदेश में चाय विकास-

**योजनेतर**

(ii) मूल 1,25.55

78.48

78.47

(-)0.01

पुनर्वि० (-)47.07

**2810- नई तथा नवीकरणीय उर्जा-**

01- बायो- ऊर्जा-

103- बायो गैस -

01- गोबर गैस संयंत्र की स्थापना-

**योजनेतर**

(iii) मूल 3,79.86

3,52.75

3,51.92

(-)0.83

पुनर्वि० (-)27.11

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.26 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 उद्यान**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6401- फसल कृषि-कर्म के लिए ऋण)

		कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,40,73,63			
		1,83,92,88	1,88,03,27	+4,10,39
पूरक	43,19,25			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		62,00	..	(-)62,00
पूरक	62,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	4,96,55			
		14,96,55	14,30,17	(-)66,38
पूरक	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015 )				70,03

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,10,38,690 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,10.39 के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 43,19.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 62.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 62.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। वर्ष के दौरान किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 66.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख-रखाव तथा मरम्मत-

14- उद्यान विभाग के रख-रखाव  
पर व्यय-

**योजनेतर**

(i) मूल	0.01			
		1.51	2.00	+ 0.49
पुनर्वि०	1.50			

**2216- आवास-**

05- सामान्य पूल आवास-

053- रख-रखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	1.60			
		4.78	2.26	(-)2.52
पुनर्वि०	3.18			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.68 लाख का आवर्धन रख-रखाव कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

10- पुष्प कृषि विकास-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	5.00			
		7.35	7.35	..
पुनर्वि०	2.35			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.35 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

## 22- विपणन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण-

**योजनेतर**

मूल	51.84			
		58.24	1,10.55	+52.31
पुनर्वि०	6.40			

₹ 52.31 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.40 लाख का आवर्धन स्थापनाओं पर अधिक व्यय, लाभार्थियों से अधिक माँग प्राप्त होने तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 52.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

## 26- फल प्रसंस्करण योजना-

**योजनागत**

मूल	0.01			
		11.37	11.37	..
पुनर्वि०	11.36			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.36 लाख का आवर्धन मुख्यतः सामग्री की अधिक खरीद तथा किराया, दर तथा कर बिलों के अधिक भुगतान के कारण हुआ।

## 35- आर्थिकी तथा सांख्यिकी-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01			
		11.01	9.34	(-)1.67
पुनर्वि०	11.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

50- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)  
**योजनागत**

मूल	7,24.00			
पूरक	1,97.55	11,74.04	11,74.04	..
पुनर्वि०	2,52.49			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.49 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

56- उद्यान एकीकृत विकास मिशन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	21,03.15			
		28,77.24	36,03.02	+7,25.78
पुनर्वि०	7,74.09			

₹ 7,25.78 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,74.09 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक माँग प्राप्त होने के कारण हुआ जो अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 7,25.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

58- फार्म में जल प्रबन्धन योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	1,12.50	1,12.50	1,12.50	..
----------	---------	---------	---------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 1,12.50 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक माँग प्राप्त होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था ।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

01- निदेशालय-  
योजनेतर

मूल	9,62.65			
		7,92.66	7,92.66	..
पुनर्वि०	(-)1,69.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,69.99 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, विद्युत, पानी, टेलीफोन तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई जो कि पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला तथा क्षेत्रीय कर्मचारी-  
योजनेतर

मूल	24,00.36			
		21,35.18	20,93.70	(-)41.48
पुनर्वि०	(-)2,65.18			

₹ 41.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,65.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

05- उद्यान विकास-  
योजनेतर

मूल	3,23.55			
		3,28.90	3,20.42	(-)8.48
पुनर्वि०	5.35			

₹ 8.48 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

06- वनस्पति पोषण कार्यक्रम-  
योजनेतर

(i) मूल	1,04.34			
		84.40	79.76	(-)4.64
पुनर्वि०	(-)19.94			

09- मधुमक्खी पालन योजना-  
योजनेतर

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

(ii) मूल	2,53.29			
		2,18.37	2,08.73	(-)9.64
पुनर्वि०	(-)34.92			

10- पुष्प कृषि विकास-  
**योजनेतर**

(iii) मूल	1,22.11			
		1,07.57	1,00.75	(-)6.82
पुनर्वि०	(-)14.54			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.40 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

11- राजकीय उद्यानों तथा पौधशालाओं की  
स्थापना/रखरखाव -  
**योजनेतर**

मूल	8,08.49			
		6,27.01	6,17.86	(-)9.15
पुनर्वि०	(-)1,81.48			

₹ 9.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,81.48 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई

₹ 9.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

15- मशरूम खेती परियोजना-  
**योजनेतर**

मूल	2,13.77			
		2,14.10	1,82.33	(-)31.77
पुनर्वि०	0.33			

₹ 31.77 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

18- कृषक प्रशिक्षण-  
**योजनागत**

मूल	30.00			
		14.76	14.76	..
पुनर्वि०	(-)15.24			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.24 लाख की कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम कम आयोजित किए जाने से हुई।

19- प्रशिक्षण तथा विस्तार-  
योजनेतर

मूल	19,71.14			
		17,62.86	17,18.52	(-)44.34
पुनर्वि०	(-)2,08.28			

₹ 44.34 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,08.28 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 44.34 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

26- फल प्रसंस्करण योजना-

**योजनेतर**

मूल	5,94.45			
पूरक	2.00	5,41.62	4,48.49	(-)93.13
पुनर्वि०	(-)54.83			

₹ 93.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 54.83 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 93.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

52- सूक्ष्म सिंचाई राष्ट्रीय मिशन के  
अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना-

**योजनागत**

मूल	90.00			
		73.03	63.23	(-)9.80
पुनर्वि०	(-)16.97			

₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.97 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

53- उत्तरी पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के  
लिए उद्यान मिशन के अंतर्गत संरक्षित  
खेती योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	5,50.00			
		3,73.49	2,64.33	(-)1,09.16
पुनर्वि०	(-)1,76.51			

₹ 1,09.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,76.51 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,09.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

55- मिनी मिशन-III के अन्तर्गत उद्यान विकास के लिए विपणन सुविधा हेतु आधारिक संरचना-

**योजनागत**

मूल	18.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)18.00			

₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में लाभार्थियों से कोई भी मांग प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

(vii) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2401- फसल कृषि कर्म-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-  
22- विपणन और गुणवत्ता नियन्त्रण-

**योजनेतर**

पूरक	62.00	62.00	..	(-)62.00
------	-------	-------	----	----------

मार्च 2015 में पूरक अनुदान द्वारा प्राप्त ₹ 62.00 लाख का विनियोजन अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(viii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-12 (समाप्त)**

- 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-  
04- फल विधायन केन्द्रों हेतु कच्चे माल  
की खरीद आदि-

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		30.00	33.65	+3.65
पुनर्वि०	(-)70.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति तथा स्वच्छता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701- मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	16,99,83,51		
	16,99,83,56	21,73,90,19	+4,74,06,63
पूरक	5		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			49,77,76
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,61,46,00		
	5,31,71,52	5,22,75,79	(-)8,95,73
पूरक	2,70,25,52		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			8,61,86
<b>प्रभारित</b>			
मूल	..		
	68,60	36,85	(-)31,75
पूरक	68,60		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,74,06,63,337 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है तथा ₹ 49,77.76 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 8,95.73 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 2,70,25.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में प्रभारित विनियोजन में ₹ 31.75 लाख की अंतिम बचत हुई जबकि वर्ष के दौरान विभाग द्वारा किसी भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 31.75 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 68.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ: -

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

## 2215- जलापूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति -

101- शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-

02- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का अनुरक्षण और मरम्मतें-

## योजनेतर

मूल	1,55,84.00			
		1,65,79.05	1,66,85.60	+1,06.55
पुनर्वि०	9,95.05			

₹ 1,06.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,95.05 लाख का आवर्धन उर्जा प्रभारों की अधिक अदायगी, महंगाई भत्तों व वेतन की अदायगी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे तथा यात्रा भत्तों के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण था जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 1,06.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

04- वसूलियों के समायोजन हेतु रखरखाव में प्रावधान-

## योजनेतर

मूल	74,24.00			
		71,51.78	77,28.50	+5,76.72
पुनर्वि०	(-)2,72.22			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 5,76.72 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.22 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम रख-रखाव के कारण थी जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई ।

₹ 5,76.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

05- सामग्री तथा दैनिक  
मजदूरों पर व्यय-

## योजनेतर

मूल	16,89.75			
		19,98.96	19,42.92	(-)56.04
पुनर्वि०	3,09.21			

₹ 56.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,09.21 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण था जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 56.04 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-  
03- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम का रख-रखाव  
व मरम्मत-

## योजनेतर

मूल	3,77,98.95			
		3,86,95.51	3,89,13.22	+2,17.71
पुनर्वि०	8,96.56			

₹ 2,17.71 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,96.56 लाख का आवर्धन उर्जा प्रभारों की अधिक अदायगी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों दावे तथा यात्रा व्ययों के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण था जोकि रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ, अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 2,17.71 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

12- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान-

## योजनेतर

मूल	2,50,90.69			
		2,35,28.02	3,13,26.20	+77,98.18
पुनर्वि०	(-)15,62.67			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

₹ 77,98.18 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15,62.67 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम रख-रखाव के कारण हुई जोकि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई ।

13- ₹ 77,98.18 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।  
सामग्री तथा दैनिक मजदूरी पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	24,38.18			
		40,44.85	39,97.43	(-)47.42
पुनर्वि०	16,06.67			

₹ 47.42 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,06.67 लाख का सारभूत आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण था जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

14- ₹ 47.42 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।  
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.02			
		19,69.91	20,64.71	+94.80
पुनर्वि०	19,69.89			

₹ 94.80 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19,69.89 लाख का सारभूत आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव तथा लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग किये जाने के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 94.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		10,50.82	10,53.95	+3.13
पुनर्वि०	10,50.81			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,50.81 लाख का सारभूत आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण हुआ ।

127  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

799- उचन्त-

01- उचन्त स्टॉक पर व्यय -

योजनागत

(i) मूल	51,75.00	51,75.00	1,54,34.33	+1,02,59.33
---------	----------	----------	------------	-------------

02- स्टॉक विनिर्माण-

योजनागत

(ii) मूल	4,60.00	4,60.00	5,29.51	+69.51
----------	---------	---------	---------	--------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(iii) मूल	47,15.00	47,15.00	1,97,76.87	+1,50,61.87
-----------	----------	----------	------------	-------------

**2700- मुख्य सिंचाई-**

01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

799- उचन्त-

01- स्टॉक विनिर्माण -

योजनागत

(iv) मूल	2,53.00	2,53.00	4,57.23	+2,04.23
----------	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,55,94.94 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**2701- मध्यम सिंचाई -**

12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

101- रख-रखाव तथा मरम्मतें -

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-

योजनेतर

मूल	50.00			
-----	-------	--	--	--

		2,00.00	2,00.00	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि0	1,50.00			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,50.00 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रखरखाव के कारण हुआ ।

128  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

101- रख-रखाव तथा मरम्मतें -

01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	27.48			
		54.24	1,38.27	+84.03
पुनर्वि०	26.76			

₹ 84.03 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.76 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 84.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- कार्य प्रभारित कामगारों का नियमित स्थापना में परिवर्तन-

**योजनेतर**

मूल	1,50,20.50			
		1,25,78.02	1,55,85.59	+30,07.57
पुनर्वि०	(-)24,42.48			

₹ 30,07.57 लाख के अंतिम सारभूत आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24,42.48 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अधिक दावों तथा यात्राओं पर हुए अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई; अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 30,07.57 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

06- वसूलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव का प्रावधान -

**योजनेतर**

मूल	1,50,20.50			
		1,46,86.54	1,54,18.38	+7,31.84
पुनर्वि०	(-)3,33.96			

₹ 7,31.84 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,33.96 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम रख-रखाव के कारण हुई जोकि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई।

129  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

₹ 7,31.84 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

07- सामग्री तथा दैनिक मजदूरों पर व्यय-  
योजनेतर

मूल	8,36.24			
		10,40.44	9,74.42	(-)66.02
पुनर्वि०	2,04.20			

₹ 66.02 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,04.20 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण था जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 66.02 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-

01- बाढ़ नियंत्रण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशन-

योजनेतर

पूरक	0.01			
		3,78.95	2,50.48	(-)1,28.47
पुनर्वि०	3,78.94			

₹ 1,28.47 लाख की अंतिम सारभूत बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,78.94 लाख का आवर्धन मुख्यतः महंगाई भत्ते तथा वेतन की अदायगी, वाहन, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अधिक दावों के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 1,28.47 लाख की सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

799- उचन्त-

01- स्टॉक-

योजनागत

(i) मूल 3,45.00 3,45.00 1,58,55.98 +1,55,10.98

02- स्टॉक निर्माण-

योजनागत

(ii) मूल 80.50 80.50 1,81.17 +1,00.67



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

**योजनागत**

(iii) मूल	69.00	69.00	7,45.13	+6,76.13
-----------	-------	-------	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,62,87.78 लाख के सारभूत अन्तिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति -

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशन-

**योजनेतर**

मूल	32,27.70			
		22,00.13	21,82.57	(-)17.56
पुनर्वि०	(-)10,27.57			

₹ 17.56 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,27.57 लाख की सारभूत कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 17.56 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

02- निष्पादन -

**योजनेतर**

मूल	1,08,25.12			
		83,10.68	91,30.14	+8,19.46
पुनर्वि०	(-)25,14.44			

₹ 8,19.46 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25,14.44 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 8,19.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

131  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

005- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण-

01- सर्वेक्षण एवं अन्वेषण इकाइयाँ-

**योजनेतर**

मूल	7,80.37			
		3,91.22	3,89.69	(-)1.53
पुनर्वि०	(-)3,89.15			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,89.15 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

102- ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम -

13- सामग्री तथा दैनिक मजदूरों की मजदूरी पर व्यय-

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		12.00	..	(-)12.00
पुनर्वि०	11.99			

₹ 12.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.99 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक रख-रखाव के कारण था जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि समस्त प्रावधान अनुप्रयुक्त रहा ।

₹ 12.00 लाख के समस्त प्रावधान के अनुप्रयुक्त रहने के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**2700- मुख्य सिंचाई-**

01- शाह नहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	11,26.06			
		7,47.13	6,70.16	(-)76.97
पुनर्वि०	(-)3,78.93			

₹ 76.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,78.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 76.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

799- उचन्त-

02- स्टाक विनिर्माण-

132  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजनागत

(i) मूल	1,84.00	1,84.00	71.57	(-)1,12.43
---------	---------	---------	-------	------------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(ii) मूल	1,32.25	1,32.25	0.68	(-)1,31.57
----------	---------	---------	------	------------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,44.00 लाख के सारभूत अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2701- मध्यम सिंचाई-**

01- गिरी बाटा परियोजना- (गैर वाणिज्यिक)-

799- उचंत-

01- स्टॉक-

योजनागत

मूल	40.00	40.00	4.17	(-)35.83
-----	-------	-------	------	----------

₹ 35.83 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

इस उप मुख्य शीर्ष को गलत संचालित किया था। यह 11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक) होना चाहिए था।

11- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

मूल	44.93			
		31.74	44.78	+13.04

पुनर्वि0 (-)13.19

₹ 13.04 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 13.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

12- बल्ह घाटी परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

133  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

योजनेतर

(i) मूल	1,17.09			
		1,01.40	82.82	(-)18.58
पुनर्वि०	(-)15.69			

15- चंगर क्षेत्र सिंचाई परियोजना  
(गैर वाणिज्यिक)-

001- निदेशन तथा प्रशासन -  
01- स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

(ii) मूल	2,00.42			
		1,22.76	92.20	(-)30.56
पुनर्वि०	(-)77.66			

₹ 49.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 49.14 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**2702- लघु सिंचाई-**

01- सतही जल-

799- उचन्त-

01- स्टॉक-

योजनागत

(i) मूल	32,00.00	32,00.00	15,54.90	(-)16,45.10
---------	----------	----------	----------	-------------

02- स्टॉक विनिर्माण-

योजनागत

(ii) मूल	7,00.00	7,00.00	1,31.32	(-)5,68.68
----------	---------	---------	---------	------------

03- विविध लोक निर्माण अग्रिम-

योजनागत

(iii) मूल	6,60.00	6,60.00	2,18.36	(-)4,41.64
-----------	---------	---------	---------	------------

03- रख-रखाव-

102- उठाऊ सिंचाई योजनाएं-

01- रख-रखाव एवं मरम्मत -

योजनेतर

134  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(iv) मूल	27,95.80			
		27,95.79	27,72.49	(-)23.30
पुनर्वि०	(-)0.01			

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 26,78.72 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

80- सामान्य-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,14,22.79			
		78,71.97	83,51.82	+4,79.85
पुनर्वि०	(-)35,50.82			

₹ 4,79.85 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35,50.82 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों तथा यात्रा भत्तों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

₹ 4,79.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(vii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति -

102- ग्रामीण जलापूर्ति -

01- विभिन्न जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमें-

**योजनागत**

मूल	8,29.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)8,29.00			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

मार्च 2015 में ₹ 8,29.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया ।

08- हैंड पम्प-

## योजनागत

मूल 8,28.00

.. 45.59 +45.59

पुनर्वि० (-)8,28.00

₹ 45.59 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 8,28.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण कम कर दिया गया जोकि अविवेकपूर्ण था ।

₹ 45.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

16- एकीकृत ग्रामीण विकास निधि/राष्ट्रीय  
कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-

## योजनागत

मूल 41,05.00

23,24.00 23,51.01 +27.01

पुनर्वि० (-)17,81.00

₹ 27.01 लाख के अन्तिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17,81.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 27.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

20- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना-

## योजनागत

मूल 11,34.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)11,34.00

मार्च 2015 में ₹ 11,34.00 लाख के समस्त प्रावधान को पुनर्विनियोजन द्वारा कार्य के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया ।

22- एकीकृत ग्रामीण विकास निधि के अन्तर्गत  
हैण्ड पम्प स्थापना/राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण  
विकास बैंक-

136  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

**योजनागत**

मूल	11,61.00			
		10,51.53	10,07.99	(-)43.54
पुनर्वि०	(-)1,09.47			

₹ 43.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.47 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 43.54 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

800- अन्य व्यय-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

**योजनागत**

मूल	22,44.00			
		10,44.00	10,44.02	+ 0.02
पुनर्वि०	(-)12,00.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई ।

23- कौंसिल झरेड़ा मंडप परियोजना-

800- अन्य व्यय-

01- कौंसिल झरेड़ा मंडप परियोजना

पर व्यय-

**योजनागत**

(i) मूल	7.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)7.00			

24- पारछू खडड परियोजना पर वर्षा  
जल संचयन-

800- अन्य व्यय-

01- पारछू खडड के बाएँ और दाएँ किनारों पर  
वर्षा संचयन संरचना का निर्माण-

**योजनागत**

(ii) मूल	14.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)14.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

25- मध्यम सिंचाई परियोजना (सुका हार)-

800- अन्य व्यय-

01- जिला काँगड़ा में सुका हार मध्यम  
सिंचाई परियोजना का निर्माण-

**योजनागत**

(iii) मूल 7.00

पुनर्वि० (-)7.00

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28.00 लाख के समस्त प्रावधान को कार्य के निष्पादन न करने के कारण कम कर दिया गया ।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत  
परिव्यय-**

101- सतही जल-

04- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत  
विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई परियोजनाओं  
में पथांतर योजना-

**योजनागत**

मूल 7,20.00 7,20.00 5,83.25 (-)1,36.75

₹ 1,36.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियंत्रण-

800- अन्य व्यय-

09- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जाहू से  
बोम तक सीर खड्ड का तटीयकरण-

**योजनागत**

मूल 5,82.40

3,19.60 3,19.60

पुनर्वि० (-)2,62.80

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,62.80 लाख की कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई ।

10- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला  
मंडी तथा हमीरपुर में बरशावड़ से जाहू तक  
सीर खड्ड का तटीयकरण-



138  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

<b>योजनागत</b>				
मूल	7.28			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)7.28			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.28 लाख का समस्त प्रावधान कार्य के निष्पादन न करने के कारण कम कर दिया गया ।				
11-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुंकर बाटा का तटीयकरण-			
<b>योजनागत</b>				
(i) मूल	5,09.60			
		2,50.05	2,50.06	+0.01
पुनर्वि०	(-)2,59.55			
12-	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सीमा के III चरण के लिए स्वाँ के निचली तरफ का तटीयकरण-			
<b>योजनागत</b>				
(ii) मूल	3,31.31			
		82.83	82.83	..
पुनर्वि०	(-)2,48.48			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,08.03 लाख की सारभूत कमी कार्य के कम निष्पादन के कारण हुई ।				
13-	दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वाँ तथा इसकी सहायक नदियों IV का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत तटीयकरण-			
<b>योजनागत</b>				
(i) मूल	29,27.21			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)29,27.21			
14-	जिला उन्ना में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत लुंखरी खड्ड का तटीयकरण-			
<b>योजनागत</b>				
(ii) मूल	7.28			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)7.28			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

16- जिला कुल्लू में पलछन से औट का तटीयकरण-

**योजनागत**

(iii) मूल 72.81

पुनर्वि० (-)72.81

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में ₹ 30,07.30 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कार्य के निष्पादन न होने के कारण कम कर दिया गया ।

(viii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर  
पूँजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

102- ग्रामीण जलापूर्ति-

23- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक 59,54.65

59,78.99      62,41.36      +2,62.37

पुनर्वि० 24.34

₹ 2,62.37 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.34 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 2,62.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

पूरक 0.01

59,54.65      56,21.47      (-)3,33.18

पुनर्वि० 59,54.64

₹ 3,33.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 59,54.64 लाख का सारभूत आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

₹ 3,33.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

**4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

20- फिना सिंह नहर परियोजना  
(गैर वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

02- अन्य व्यय-

**योजनागत**

मूल 47.00

12,47.00 12,47.00

..

पुनर्वि0 12,00.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,00.00 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ ।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

101- सतही जल-

03- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास  
बैंक के अर्न्तगत विभिन्न जिलों  
में उठाऊ सिंचाई योजना-

**योजनागत**

मूल 21,60.00

21,60.00 22,97.33

+1,37.33

₹ 1,37.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियंत्रण -

800- अन्य व्यय-

13- दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वाँ तथा  
इसकी सहायक नदियों (IV) का बाढ़  
प्रबंधन कार्यक्रम के अर्न्तगत तटीयकरण-

**योजनागत**

पूरक 51,63.43

68,17.47 68,16.98

(-)0.49

पुनर्वि0 16,54.04

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16,54.04 लाख का आवर्धन कार्य के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)**

(ix) प्रभारित विनियोजन में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर</b>			
<b>पूंजीगत परिव्यय-</b>			
01- जलापूर्ति-			
101- शहरी जलापूर्ति-			
01- विभिन्न जिलों में शहरी जलापूर्ति योजनाएं-			
<b>योजनागत</b>			
पूरक	68.60	68.60	36.85      (-)31.75

₹ 31.75 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

142  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

(x) उचन्त लेन-देन

- (i) इस अनुदान के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय ₹ 5,49,86.57 लाख में (राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत ₹ 5,49,86.57 लाख और पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ शून्य) 'उचन्त' लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गये हैं।
- (ii) उचन्त लेन-देनों के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य- सड़के, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा नं0- (ix) में किया गया है।
- (iii) इस अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान लेखाबद्ध किए गए 'उचन्त' लेन-देनों का विश्लेषण विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों सहित नीचे दिया है:-

शीर्ष	01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>				
01- जलापूर्ति-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक	(-)30,41.52	1,54,34.33	1,53,08.84	(-)29,16.03*
02- स्टॉक विनिर्माण	+11,87.89	5,29.51	4,08.83	+13,08.57
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+4,77,62.13	1,97,76.87	1,80,90.27	+4,94,48.73
<b>कुल योग 2215-</b>	<b>+4,59,08.50</b>	<b>3,57,40.71</b>	<b>3,38,07.94</b>	<b>+4,78,41.27</b>
<b>2700- मुख्य सिंचाई-</b>				
01- शाह नहर परियोजना-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+5,11.67	4,57.23	4,30.26	+5,38.63
02- स्टॉक विनिर्माण	(-)1,33.63	71.57	21.57	(-)83.62*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)30.58	0.68	0.68	(-)30.58*
<b>कुल योग 2700-</b>	<b>+3,47.46</b>	<b>5,29.48</b>	<b>4,52.51</b>	<b>+4,24.43</b>

143  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>2701- मध्यम सिंचाई-</b>				
01- गिरी बाटा परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	0.00	4.17	0.87	+3.30
02- स्टॉक विनिर्माण	0.00	8.66	18.83	(-)10.17*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.00	16.68	0.35	+16.33
<b>कुल योग 01-</b>	<b>+0.00</b>	<b>29.51</b>	<b>20.05</b>	<b>+9.46</b>
80- सामान्य-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+1,85.80	0.00	0.00	+1,85.80
02- स्टॉक विनिर्माण	(-) 26.20	0.00	0.00	(-) 26.20*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,24.24	0.00	0.00	+1,24.24
<b>कुल योग 80-</b>	<b>+2,83.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,83.84</b>
<b>कुल योग 2701-</b>	<b>+2,83.84</b>	<b>29.51</b>	<b>20.05</b>	<b>+2,93.30</b>
<b>2702- लघु सिंचाई-</b>				
01- सतही जल-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	0.00	15,54.90	19,95.68	(-)4,40.78*
02- स्टॉक विनिर्माण	0.00	1,31.33	1,49.09	(-)17.76*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	0.00	2,18.36	2,21.20	(-)2.84*
<b>कुल योग 01-</b>	<b>+0.00</b>	<b>19,04.59</b>	<b>23,65.97</b>	<b>(-)4,61.38*</b>
80- सामान्य-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	(-) 6,28.73	0.00	0.00	(-)6,28.73*
02- स्टॉक विनिर्माण	+5,53.79	0.00	0.00	+5,53.79
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+3,15.57	0.00	0.00	+3,15.57
<b>कुल योग 80-</b>	<b>+2,40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,40.63</b>
<b>कुल योग 2702-</b>	<b>+2,40.63</b>	<b>19,04.59</b>	<b>23,65.97</b>	<b>(-)2,20.75*</b>

144  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>2711-</b> बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास-				
01- बाढ़. नियंत्रण-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+7,53.79	1,58,55.98	1,24,81.89	+41,27.88
02- स्टॉक विनिर्माण	+1,43.84	1,81.17	44.46	+2,80.55
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-)23.36	7,45.13	6,38.67	+83.10
<b>कुल योग 2711-</b>	<b>+8,74.27</b>	<b>1,67,82.28</b>	<b>1,31,65.02</b>	<b>+44,91.53</b>
<b>कुल योग राजस्व प्रवर्ग-</b>	<b>+4,76,54.70</b>	<b>5,49,86.57</b>	<b>4,98,11.49</b>	<b>+5,28,29.78</b>
<b>पूँजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>4215-</b> जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- जलापूर्ति-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक	+30.71	0.00	0.00	+30.71
<b>कुल योग 4215-</b>	<b>+30.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+30.71</b>
<b>4700-</b> मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- शाहनहर परियोजना (गैर वाणिज्यिक)				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+38.42	0.00	0.00	+38.42
02- स्टॉक विनिर्माण-	+37.54	0.00	0.00	+37.54
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+96.89	0.00	0.00	+96.89
<b>कुल योग 4700-</b>	<b>+1,72.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+1,72.85</b>
<b>4701-</b> मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-				
01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	(-)0.15	0.00	0.00	(-)0.15*
02- स्टॉक विनिर्माण	+10.82	0.00	0.00	+10.82
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+13.54	0.00	0.00	+13.54
<b>कुल योग 01-</b>	<b>+24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+24.21</b>

145  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (क्रमशः)

शीर्ष	01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
			(₹ लाख में )	
15- चंगर क्षेत्र परियोजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+83.49	0.00	0.00	+83.49
02- स्टॉक विनिर्माण-	+2.98	0.00	0.00	+2.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	(-)2.72	0.00	0.00	(-)2.72*
<b>कुल योग 15-</b>	<b>+83.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(+)83.75</b>
16- सिधाता बहाव सिंचाई योजना (गैर वाणिज्यिक) -				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	+68.54	0.00	0.00	+68.54
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)14.71	0.00	0.00	(-)14.71*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+32.91	0.00	0.00	+32.91
<b>कुल योग 16-</b>	<b>+86.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+86.74</b>
80- सामान्य-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	(-)1,32.94	0.00	0.00	(-)1,32.94*
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)0.83	0.00	0.00	(-)0.83*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+1,55.24	0.00	0.00	+1,55.24
<b>कुल योग 80-</b>	<b>+21.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+21.47</b>
<b>कुल योग 4701-</b>	<b>+2,16.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+2,16.17</b>
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	(-)6,08.15	0.00	0.00	(-)6,08.15*
02- स्टॉक विनिर्माण-	(-)12.72	0.00	0.00	(-)12.72*
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+5,64.43	0.00	0.00	+5,64.43
<b>कुल योग 4702-</b>	<b>(-)56.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)56.44*</b>



विनियोग लेखे  
अनुदान विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-13 (समाप्त)

शीर्ष	01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
			(₹ लाख में )	
<b>4711- बाढ़ नियन्त्रण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
799- उचन्त-				
01- स्टॉक-	(-)8.77	0.00	0.00	(-)8.77*
02- स्टॉक विनिर्माण-	+9.98	0.00	0.00	+9.98
03- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-	+27.88	0.00	0.00	+27.88
<b>कुल योग 4711-</b>	<b>+29.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+29.09</b>
<b>कुल योग पूंजीगत प्रवर्ग-</b>	<b>+3,92.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+3,92.38</b>
<b>कुल योग मांग 13-</b>	<b>+4,80,47.08</b>	<b>5,49,86.57</b>	<b>4,98,11.49</b>	<b>+5,32,22.16</b>

टिप्पणी:\* ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-14 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2403-पशु पालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ हजार में)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,49,22,95		
	2,59,15,14	2,52,43,59	(-)6,71,55
पूरक	9,92,19		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			5,44,76
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,27,01		
	9,87,00	9,86,97	(-)3
पूरक	6,59,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)2

## टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 6,71.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 9,92.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक और ₹ 5,44.76 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

**2216- आवास-**

05- साधारण पूल आवास-

053- रख रखाव और मरम्मत-

03- मतस्य विभाग का अन्य रख-रखाव व्यय-

**योजनेतर**

मूल	2.66			
		..	2.66	+2.66
पुनर्वि०	(-)2.66			

₹ 2.66 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 2.66 लाख के समस्त प्रावधान की कमी रख रखाव कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी जो अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 2.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2403- पशु पालन-**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	4,47.44			
		3,50.83	3,50.59	(-)0.24
पुनर्वि०	(-)96.61			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 96.61 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि नये वाहनों की खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- क्षेत्रीय स्थापना-

**योजनेतर**

(i) मूल	1,09.30			
		77.46	77.46	..
पुनर्वि०	(-)31.84			

03- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

(ii)	मूल	8,33.01			
			7,01.61	7,01.68	+0.07
	पुनर्वि०	(-)1,31.40			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,63.24 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा  
पशु स्वास्थ्य-  
01- अस्पताल तथा औषधालय-

**योजनेतर**

मूल	1,70,25.24			
		1,63,02.08	1,61,67.18	(-)1,34.90
पुनर्वि०	(-)7,23.16			

₹ 1,34.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7,23.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1,34.90 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

102- पशु तथा भैंस विकास-  
02- पशु प्रजनन फार्म स्कीमें-

**योजनेतर**

(i)	मूल	3,20.28			
			3,08.19	3,08.17	(-)0.02
	पुनर्वि०	(-)12.09			

103- कुक्कुट विकास-  
02- केन्द्रीय तथा जिला मुर्गी  
पालन फार्म-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	2,93.01			
			2,46.32	2,47.19	+0.87
	पुनर्वि०	(-)46.69			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

**2404- डेरी विकास-**

001- निदेशालय और प्रशासन-

01- मुख्यालय स्थापना-

**योजनेतर**

(iii) मूल	47.95			
		23.15	23.15	..
पुनर्वि०	(-)24.80			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 83.58 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	9,21.00			
		..	..	..
पुनर्वि	(-)9,21.00			

₹ 9,21.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में गलत वर्गीकरण के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया।

**2405- मछली पालन-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय स्तर-

**योजनेतर**

(i) मूल	1,31.39			
		1,14.49	1,15.49	+1.00
पुनर्वि०	(-)16.90			

02- जिला स्तर-

**योजनेतर**

(ii) मूल	10,16.84			
		7,81.22	7,81.19	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)2,35.62			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,52.52 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

03- जलचर पालन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	9.00			
		5.05	5.05	..
पुनर्वि०	(-)3.95			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.95 लाख की कमी स्थापनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- मछुवारा दुर्घटना बीमा योजना-

**योजनागत**

मूल	3.30			
		1.24	123	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2.06			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.06 लाख की कमी अभ्यर्थियों द्वारा कम मांग के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2403- पशु पालन-**

101- पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा

पशु स्वास्थ्य-

02- रोग अनुसंधान योजना-

**योजनेतर**

मूल	69.00			
		77.35	77.35	..
पुनर्वि०	8.35			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.35 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

06- पशु महामारी उन्मूलन कार्यक्रम पर राष्ट्रीय परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

मूल	0.01			
		8.81	8.81	..
पुनर्वि०	8.80			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 11.81 लाख था।

- 10- पशु रोगों पर नियन्त्रण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	98.00			
पूरक	1,54.50	3,27.55	3,27.55	..
पुनर्वि०	75.05			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.05 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 68.98 लाख था।

- 102- पशु तथा भैंस विकास-  
06- वीर्य प्रयोगशाला की स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	2,88.04			
		3,29.24	3,29.38	+0.14
पुनर्वि०	41.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.20 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ता के भुगतान के कारण हुआ। केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 5,71.00 लाख था तथा केन्द्रीय हिरसे में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

- 104- भेड़ और ऊँट विकास-  
04- भेड़ प्रजनन फार्म केन्द्र-

**योजनेतर**

मूल	3,12.55			
		3,71.50	3,73.88	+2.38
पुनर्वि०	58.95			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.95 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (क्रमशः)**

106- अन्य पशुधन विकास-  
02- खरगोश प्रजनन योजना-

**योजनेतर**

मूल	26.18			
		37.25	37.25	..
पुनर्वि०	11.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.07 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

**2404- डेरी विकास-**

191- सहकारी समितियों तथा अन्य  
निकायों को सहायता-  
02- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संगठन  
को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

(i) मूल	0.01			
		91.61	91.61	..
पुनर्वि०	91.60			

**योजनागत**

(ii) पूरक	0.01			
		9,21.00	9,21.00	..
पुनर्वि०	9,20.99			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,12.59 लाख का आवर्धन स्थापनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)

**4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-**

101- अन्तर्देशीय मछली पालन-  
04- मछली बीज फार्मों का विकास  
एवं रख-रखाव-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-14 (समाप्त)**

**योजनागत**

मूल 15.95

पुनर्वि० (-)15.95

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.95 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

(v) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-**

101- अन्तर्देशीय मछली पालन-

03- मत्स्य क्रीडा का विकास एवं रख-रखाव-

**योजनागत**

मूल 18.77

पुनर्वि० 15.95

34.72

34.72

..

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.95 लाख का आवर्धन कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-15 योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2401-फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशु-पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य जीवों पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में )		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	58,26,06		
	58,44,92	46,83,44	(-)11,61,48
पूरक	18,86		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			11,63,02
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,24,12,00		
	1,30,33,76	1,29,64,08	(-)69,68
पूरक	6,21,76		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			69,62

## टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 11,61.48 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 18.86 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ जबकि मूल अनुदान पर्याप्त रूप से अप्रयुक्त रहा।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 69.68 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 6,21.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------	-----------------------

(₹ लाख में)

**2202-सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय-

01- शिक्षा पर व्यय-

**योजनेतर**

(i)	मूल	1,55.64			
			76.74	76.74	..
	पुनर्वि०	(-)78.90			

03- माध्यमिक विद्यालय-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	2,01.03			
			1,07.53	1,07.53	..
	पुनर्वि०	(-)93.50			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा ₹ 1,72.40 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद और प्रतिस्पर्धाओं के कम आयोजन के कारण हुई।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा-एलोपैथी-

101- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

01- स्वास्थ्य उप-केन्द्र-

**योजनेतर**

	मूल	10,95.57			
			8,44.14	8,44.14	..
	पुनर्वि०	(-)2,51.43			

मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा ₹ 2,51.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, यात्राओं पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-

**योजनेतर**

(i) मूल	3,85.56			
		2,73.45	2,73.44	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)1,12.11			

104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

01- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-

**योजनेतर**

(ii) मूल	1,57.50			
		91.73	91.71	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)65.77			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,77.88 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ  
अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

101- आयुर्वेद-

02- आयुर्वेदिक औषधालय-

**योजनेतर**

मूल	9,07.13			
		8,38.48	8,41.36	+ 2.88
पुनर्वि०	(-)68.65			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.65 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराया, दर तथा करों पर कम व्यय तथा उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

06- लोक स्वास्थ्य-

101- रोगों की रोकथाम निवारण तथा नियंत्रण-

13- बहुउद्देशीय श्रमिक योजना (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)-

**योजनेतर**

मूल	1,24.21			
		81.32	81.32	..
पुनर्वि०	(-)42.89			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 42.89 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

05- बागवानी विकास-

**योजनेतर**

मूल 16.87

12.78

12.78

..

पुनर्वि० (-)4.09

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.09 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री की कम खरीद व उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

**2851- ग्राम और लघु उद्योग-**

102- लघु उद्योग-

05- लघु उद्योगों को उपदान-

**योजनेतर**

मूल 5.00

1.90

1.90

..

पुनर्वि० (-)3.10

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3.10 लाख की कमी उपदान पर कम व्यय के कारण हुई।

**3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं-**

101- नीति आयोग-

01- मुख्यालय-

**योजनागत**

मूल 2,56.10

पूरक 8.86

2,07.71

2,07.72

+0.01

पुनर्वि० (-)57.25

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 57.25 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, उपहारों पर कम व्यय, पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय तथा आतिथ्य व मनोरंजन पर कम व्यय के कारण हुई जो कि वाहनों की अधिक खरीद तथा मुख्यालय की साज सज्जा पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- मुल्यांकन-

**योजनागत**

मूल 1,44.90

1,21.92

1,21.92

..

पुनर्वि० (-)22.98

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 22.98 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों पर कम व्यय करने के कारण हुई।

03- क्षेत्रीय और जिला योजना  
की स्थापना-

**योजनागत**

मूल	3,94.25			
		3,11.38	3,09.30	(-)2.08
पुनर्वि०	(-)82.87			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 82.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने तथा कर्मचारियों के कम स्थानांतरणों के कारण हुई।

07- जनशक्ति एवं रोजगार हेतु  
परिप्रेक्ष्य योजना-

**योजनागत**

मूल	59.44			
		36.26	36.26	..
पुनर्वि०	(-)23.18			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.18 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, राज्य के अतिथियों पर कम व्यय तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

08- परियोजना-I व्यवस्थापना तथा  
लोक वित्त सैल की स्थापना-

**योजनागत**

मूल	19.01			
		13.97	13.97	..
पुनर्वि०	(-)5.04			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 5.04 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई।

09- 20 सूत्री कार्यक्रम-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

मूल	26.30			
		16.98	16.98	..
पुनर्वि०	(-)9.32			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.32 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, किराया, पानी, टेलीफोन व विद्युत प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने के कारण अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

19- कौशल विकास परिषद-

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		4.00	4.00	..
पुनर्वि०	(-)96.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 96.00 लाख की सारभूत कमी कौशल विकास क्रियाकलापों पर कम व्यय के कारण हुई।

20- राज्य नवप्रवर्तन निधि-

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		74.00	74.00	..
पुनर्वि०	(-)26.00			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की कमी नवप्रवर्तन पर कम व्यय के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-**

101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-

03- क्षेत्रीय और जिला योजना की स्थापना-

**योजनेतर**

..	..	2.02	+2.02
----	----	------	-------

बिना प्रावधान के ₹ 2.02 लाख के व्यय करने के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
01- सामान्य शिक्षा-			
202- माध्यमिक शिक्षा			
06- विद्यालय भवनों का निर्माण-			
<b>योजनागत</b>			
(i) मूल	4,00.00		
	3,29.15	3,29.15	..
पुनर्वि०	(-)70.85		
<b>4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र-			
01- प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र (निर्माण कार्य)-			
<b>योजनागत</b>			
(ii) मूल	4,50.00		
	1,85.99	1,86.000	+0.01
पुनर्वि०	(-)2,64.01		
<b>4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-			
03- भवन-			
<b>योजनागत</b>			
(iii) मूल	50.00		
	16.85	16.85	..
पुनर्वि०	(-)33.15		



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

800-	अन्य व्यय-				
01-	भवन-				
	<b>योजनागत</b>				
(iv)	मूल	20.00			
			5.82	5.82	..
	पुनर्वि०	(-)14.18			
<b>4402-</b>	<b>मृदा तथा जल संरक्षण</b>				
	<b>पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
800-	अन्य व्यय-				
01-	कृषि-				
	<b>योजनागत</b>				
(v)	मूल	30.00			
			19.89	19.89	..
	पुनर्वि०	(-)10.11			
<b>4406-</b>	<b>वानिकी और वन्य जीवों</b>				
	<b>पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
01-	वानिकी-				
800-	अन्य व्यय-				
02-	वानिकी-				
	<b>योजनागत</b>				
(vi)	मूल	50.00			
			29.89	29.91	+0.02
	पुनर्वि०	(-)20.11			
<b>4851-</b>	<b>ग्राम तथा लघु उद्योगों</b>				
	<b>पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
102-	लघु उद्योग-				
09-	ग्राम तथा लघु उद्योग-				
	<b>योजनागत</b>				
(vii)	मूल	20.00			
			2.12	2.12	..
	पुनर्वि०	(-)17.88			

उपरोक्त सात मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,30.29 लाख की सारभूत कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

**5002- भारतीय रेल वाणिज्यिक लाईनों पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- पूंजीगत लाभांश दायित्व-  
120- नई लाइनें (निर्माण)-  
01- रेल लाईनों का निर्माण-

**योजनागत**

मूल 3,00.00

2,00.00

2,00.00

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की सारभूत कमी रेलवे लाईन के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

**5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 800- अन्य व्यय-  
05- कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण-

**योजनागत**

मूल 53.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)53.00

₹ 53.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में भवनों के निर्माण पर व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

(vi) उपरोक्त बचत निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- सामान्य शिक्षा-  
201- प्रारंभिक शिक्षा-  
03- प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण-

**योजनागत**

(i) मूल 75.00

1,40.93

1,40.93

..

पुनर्वि० 65.93

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-15 (क्रमशः)**

07-	भवन निर्माण-					
	योजनागत					
(ii)	मूल	75.00				
			1,01.97	1,01.97		..
	पुनर्वि०	26.97				
<b>4403-</b>	<b>पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
101-	पशु चिकित्सा सेवा तथा					
	पशु स्वास्थ्य-					
01-	भवन-					
	योजनागत					
(iii)	मूल	13.00				
			22.58	22.57		(-)0.01
	पुनर्वि०	9.58				
<b>4702-</b>	<b>लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
101-	सतही जल-					
01-	विभिन्न जिलों में उठाऊ					
	सिंचाई परियोजनाएं-					
	योजनागत					
(iv)	मूल	17.00				
			1,67.76	1,67.76		..
	पुनर्वि०	1,50.76				
<b>5054-</b>	<b>सड़कों और सेतुओं पर</b>					
	<b>पूंजीगत परिव्यय-</b>					
04-	जिला और अन्य सड़के-					
800-	अन्य व्यय-					
06-	पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें-					
	योजनागत					
(v)	मूल	21,60.00				
			23,38.07	23,38.07		..
	पुनर्वि०	1,78.07				
<b>5475-</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं</b>					
	<b>पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
800-	अन्य व्यय-					
01-	विकेन्द्रीयकृत नियोजन-					

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-15 (समाप्त)

योजनागत

(vi)	मूल	30,93.00			
	पूरक	1,21.76	32,98.10	32,98.10	..
	पुनर्वि०	83.34			

उपरोक्त छः मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,14.65 लाख का आवर्धन भवन निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 वन और वन्य जीवन**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4406-वानिकी और वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ हजार में)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,82,11,04			
		3,91,15,67	3,87,76,42	(-)3,39,25
पूरक	9,04,63			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,39,74
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,30,00			
		2,30,00	2,30,00	..
पूरक	...			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 3,39.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 9,04.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
				(₹ लाख में )
शीर्ष				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

**2402- मृदा तथा जल संरक्षण-**

102- मृदा संरक्षण-

12- संरक्षक वनरोपण मृदा संरक्षण  
तथा प्रदर्शन (वन विभाग) -**योजनेतर**

(i)	मूल	10,10.14			
			8,74.63	8,74.68	+0.05
	पुनर्वि०	(-)1,35.51			

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

20- भू-संरक्षण प्रशिक्षण (वन विभाग)-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	31.34			
			18.24	18.24	...
	पुनर्वि०	(-)13.10			

**2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-**

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

(iii)	मूल	9,84.54			
			9,44.03	9,44.02	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)40.51			

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

**योजनेतर**

(iv)	मूल	2,52,87.41			
			2,23,69.87	2,23,69.94	+0.07
	पुनर्वि०	(-)29,17.54			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2015 में प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा ₹ 31,06.66 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- परिमण्डल/मण्डलीय स्थापना-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

मूल	6,75.00			
		6,08.30	6,08.30	..
पुनर्वि०	(-)66.70			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.70 लाख की कमी कार्यालयी मदों पर कम व्यय के कारण हुई।

101- वन संरक्षण, विकास और पुर्नउत्पादन-  
01- वनों की चकबन्दी और  
सीमांकन-

**योजनेतर**

(i)	मूल	14.88			
			5.76	5.76	..
	पुनर्वि०	(-)9.12			

03- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

**योजनागत**

(ii)	मूल	41.00			
			27.72	27.72	..
	पुनर्वि०	(-)13.28			

04- प्रबन्धादि योजना संस्थान-

**योजनागत**

(iii)	मूल	20.00			
			14.55	14.55	..
	पुनर्वि०	(-)5.45			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.85 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

105- वन उत्पाद-

02- उपभोक्ताओं और खरीदारों द्वारा वनों  
से प्राप्त इमारती लकड़ी और अन्य उत्पाद को हटाना-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

मूल	23.53			
		14.89	14.89	...
पुनर्वि०	(-)8.64			

मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 8.64 लाख की कमी कार्यालय सामग्री की कम आवश्यकता तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

06- नई जनआधारित वनीकरण योजना (सांझी वन योजना)-

**योजनागत**

मूल	42.00			
		18.70	18.70	..
पुनर्वि०	(-)23.30			

मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.30 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा विभिन्न मदों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

02- पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव-

110- वन्य जीव परिरक्षण-

01- वन्य जीवन-

**योजनेतर**

मूल	9,26.12			
		8,42.78	8,42.77	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)83.34			

मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 83.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि दैनिक वेतनभोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई।

111- चिड़ियाघर-

01- हिमालयन प्राणी उप वन विकास-

**योजनेतर**

मूल	1,52.38			
		1,37.60	1,37.60	..
पुनर्वि०	(-)14.78			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में प्रावधान में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा ₹ 14.78 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2406- वानिकी और वन्य प्राणी-**

01- वानिकी-

101- वन संरक्षण, विकास और पुनरुत्पादन-

03- एकीकृत वन संरक्षण योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	1,32.00			
पूरक	21.18	3,06.97	3,06.98	+0.01
पुनर्वि०	1,53.79			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,53.79 लाख का आवर्धन विभिन्न मदों एवं सामग्री की अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ जबकि वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹ 81.49 लाख था ।

102- सामाजिक और फार्म वानिकी-

30- विश्व बैंक के द्वारा सहायता  
प्राप्त हिमालय जलागम विकास  
परियोजना-

**योजनागत**

मूल	29,92.00			
पूरक	7,35.18	64,33.83	64,33.84	+0.01
पुनर्वि०	27,06.65			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27,06.65 लाख का आवर्धन दैनिक भोगी कर्मियों की अधिक नियुक्ति, रख रखाव व मुरम्मत पर अधिक व्यय तथा विभिन्न मदों व वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण हुआ जो कि लाभार्थियों द्वारा कम मांग प्राप्त होने, पेशेवर तथा मुख्य सेवाओं पर कम व्यय, कार्यालयी वस्तुओं व विज्ञापन पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-16 (समाप्त)**

- 32- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत  
संरक्षण तथा प्रबंधन-

**योजनागत**

मूल	16,56.00			
		17,18.34	17,18.11	(-)0.23
पुनर्वि०	62.34			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 62.34 लाख का आवर्धन मशीनों तथा उपकरणों के रख रखाव पर हुए अधिक व्यय तथा विभिन्न मदों के विज्ञापनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि सामग्री की आपूर्ति पर कम व्यय, वाहनों की कम मरम्मत, दैनिक वेतन भोगियों की कम आवश्यकता तथा साज-सज्जा पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 105- वन उत्पाद-  
03- प्रवाहित काष्ठ तथा  
समपूहित वनोत्पादन-

**योजनेतर**

मूल	16.42			
		33.42	33.42	..
पुनर्वि०	17.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.00 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।

- 02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-  
110- वन्य जीव परिक्षण-

- 10- राष्ट्रीय पार्को एवं शरणस्थलों  
के विकास हेतु सहायता-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	1,97.00			
		2,54.99	2,55.00	+0.01
पुनर्वि०	57.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.99 लाख का आवर्धन विभिन्न मदों की अधिक मांग तथा अधिक कार्य निष्पादन के कारण हुआ जो कि कार्यालयी मदों के रख-रखाव पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-17 निर्वाचन**

(शीर्ष- 2015-निर्वाचन, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ)				
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ हजार में )
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	31,26,51			
		49,78,16	49,31,02	(-)47,14
पूरक	18,51.65			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				47,19

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 47.14 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 18,51.65 लाख की अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)

**2015- निर्वाचन-**

101- निर्वाचन आयोग-

01- राज्य निर्वाचन आयोग-

**योजनेतर**

मूल	1,35.73			
		1,10.87	1,10.87	..
पुनर्वि0	(-)24.86			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.86 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि कार्यालय भवनों के रख रखाव पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-17 (क्रमशः)**

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-  
01- संसद-

**योजनेतर**

मूल	15,00.00			
पूरक	18,12.49	32,67.96	32,67.96	..
पुनर्वि०	(-)44.53			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.53 लाख की कमी पिछले चुनावों के लम्बित पड़े यात्रा भत्ते बिलों की प्राप्ति न होने, रिक्त पदों को न भरने, सेमीनार/कैम्पों के कम आयोजन तथा चुनावी लेखन-सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

109- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव आयोजन के लिए प्रभार-  
01- पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव आयोजन के लिए प्रभार--

**योजनेतर**

मूल	66.00			
पूरक	15.48	44.22	44.48	+0.26
पुनर्वि०	(-)37.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 37.26 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2015- निर्वाचन-**

103- मतदाता सूचियों का निर्माण और मुद्रण-  
01- विधान सभा-

**योजनेतर**

मूल	3,93.16			
पूरक	4.67	4,06.43	4,06.43	...
पुनर्वि०	8.60			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-17 (समाप्त)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.60 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने पर अधिक व्यय, मतदाता सूचियों के मुद्रण पर अधिक व्यय तथा मतदाता सूची में हुए संशोधन के कारण हुआ जो कि पेशेवरों द्वारा फीस के दावों की प्राप्ति न होने तथा विज्ञापनों पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 104- लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रभार-
- 01- लोक सभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के लिए संयुक्त चुनाव कराने के लिए प्रभार-

**योजनेतर**

मूल	0.07			
पूरक	18.24	25.89	25.89	..
पुनर्वि०	7.58			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.58 लाख का आवर्धन नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने तथा सुजानपुर में उपचुनावों तथा लोक सभा चुनावों में यात्रा भत्ते पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 108- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना-
- 01- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना-

**योजनेतर**

मूल	0.39			
		50.17	50.17	..
पुनर्वि०	49.78			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा अभ्यर्षण में ₹ 49.78 लाख का आवर्धन पाली बालियन शीट पर मतदाता कार्ड के मुद्रण हेतु पाली बालियन रंगीन प्रिंटर की खरीद के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-18 उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

(शीर्ष- 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6885- उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज )

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में )		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	72,67,73		
पूरक	1	72,67,74	67,48,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,19,70
<b>प्रभारित</b>			
मूल	..		
पूरक	6.29	6.29	6.28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	15,11,98		
पूरक	33,81,99	48,93,97	51,33,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+2,39,90
			..

## टिप्पणियां तथा अभियुक्तियां

- पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 2,39,90,094 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,19.70 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 3,07.93 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 2,39.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 33,81.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**2057- पूर्ति तथा निपटान-**

101- क्रय-

01- भंडार क्रय संगठन की स्थापना-

**योजनेतर**

(i) मूल	1,85.57			
		1,26.60	1,26.42	(-)0.18
पुनर्वि०	(-)58.97			

**2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	67.62			
		44.65	44.62	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)22.97			

102- लघु उद्योग-

13- जिला उद्योग केन्द्र-

**योजनेतर**

(iii) मूल	15,30.52			
		11,91.80	11,90.54	(-)1.26
पुनर्वि०	(-)3,38.72			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,20.66 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा वाहनों की कम मुरम्मत के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	1,46.00			
		2,15.55	1,39.95	(-)75.60
पुनर्वि०	69.55			

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

₹ 75.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.55 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिक मांग के कारण हुआ जो अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 75.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

19- सूचना प्राद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस -

**योजनेतर**

मूल	5.76			
		7.95	0.07	(-)7.88
पुनर्वि०	2.19			

₹ 7.88 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.19 लाख का आवर्धन विद्युत, टेलीफोन तथा पानी के बिलों के भुगतान के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 7.88 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

21- विशेष पहचान हेतु तेरहवें वित्त आयोग  
के अन्तर्गत अनुदान-

**योजनागत**

मूल	85.00	85.00	..	(-)85.00
-----	-------	-------	----	----------

₹ 85.00 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

103- हथकरघा उद्योग-

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	66.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)66.00			

₹ 66.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया। जबकि ₹ 5,09.08 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ।

107- रेशम उद्योग-

01- रेशम उद्योग का विकास-

**योजनेतर**



**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

मूल	6,30.63			
		4,74.42	4,74.08	(-)0.34
पुनर्वि०	(-)1,56.21			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,56.21 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	60.00			
		1,07.22	57.09	(-)50.13
पुनर्वि०	47.22			

₹ 50.13 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.22 लाख का आवर्धन सामग्री, मशीनरी व उपकरणों व विविध मदों की अधिक माँग तथा कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जो अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 50.13 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत  
रेशम उद्योग का विकास-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)  
**योजनागत**

मूल	1,50.00			
		70.77	70.77	..
पुनर्वि०	(-)79.23			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 79.23 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत कम लाभार्थियों के होने के कारण हुई जबकि ₹ 86,11.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ।

**2852- उद्योग-**

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

(i) मूल	3,16.48			
		2,94.65	2,93.80	(-)0.85
पुनर्वि०	(-)21.83			

102- औद्योगिक उत्पादकता-

01- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तथा  
संवर्धन योजनाएं-

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

(ii)	मूल	78.54			
			64.88	64.87	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)13.66			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.49 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

08- आदर्श उद्योग क्षेत्र का सृजन-

**योजनागत**

मूल 6,30.00

पुनर्वि० (-)6,30.00

₹ 6,30.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-**

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

102- खनिज खोज-

01- खनिज अन्वेषण कर्मचारी वर्ग और अन्य गतिविधियाँ-

**योजनेतर**

मूल 8,39.17

पुनर्वि० (-)1,05.24

7,33.93

7,33.87

(-)0.06

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.24 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मोटर वाहनों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक

आधिक्य (+)

व्यय

बचत (-)

(₹ लाख में)

**2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-**

102- लघु उद्योग-

19- सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेंस-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	1,32.00			
		3,79.00	3,93.22	+14.22
पुनर्वि०	2,47.00			

₹ 14.22 लाख के अंतिम आधिक्य की मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,47.00 लाख का आवर्धन मशीनों व उपकरणों की अधिक मांग के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ जबकि ₹ 4,29.00 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ ।  
₹ 14.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

मूल	4,48.00			
		6,35.20	6,26.85	(-)8.35
पुनर्वि०	1,87.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87.20 लाख का आवर्धन मशीनरी एवं उपकरणों की अधिक आवश्यकता तथा लघु कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण हुआ जोकि विभिन्न मदों की कम आवश्यकता से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

## 22- खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	66.00			
		1,69.50	1,69.50	..
पुनर्वि०	1,03.50			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.50 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग के कारण हुआ। वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹ 1,91.15 लाख था।

## 103- हथकरघा उद्योग-

## 01- हथकरघा उद्योगों का विकास-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		14.18	14.18	..
पुनर्वि०	14.17			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.17 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिक मांग के कारण हुआ।

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (क्रमशः)**

- 104- हस्तशिल्प उद्योग-  
05- हस्तशिल्प सर्वेक्षण-

**योजनेतर**

मूल	4.58			
		6.09	6.09	..
पुनर्वि०	1.51			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.51 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

- 105- खादी तथा ग्रामोद्योग-  
01- खादी उद्योगों का विकास-

**योजनेतर**

मूल	3,95.01			
		4,06.49	4,06.49	..
पुनर्वि०	11.48			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.48 लाख का आवर्धन वेतन तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

- 107- रेशम उद्योग-  
03- विकास कार्यक्रम हेतु उद्योगों को सहायता-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		5,09.08	5,09.08	..
पुनर्वि०	5,09.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,09.07 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

- (vi) दत्तमत अनुदान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**विनियोजन लेखे**  
**अनुदान संख्या-18 (समाप्त)**

**4851- ग्रामीण तथा लघु उद्योगों**  
**पर पूंजीगत व्यय-**

- 101- औद्योगिक क्षेत्र-  
02- आदर्श उद्योग क्षेत्र का सृजन-

**योजनागत**

(i)	पूरक	6,30.00			
			6,30.18	8,52.10	+2,21.92
	पुनर्वि०	0.18			

**6885- उद्योगों तथा खनिज के**  
**लिए अन्य कर्ज-**

- 01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण-  
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-  
01- हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम को ऋण-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	0.01			
	पूरक	16,34.99	16,35.01	16,53.00	+17.99
	पुनर्वि०	0.01			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 2,39.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,24,68,37		
	5,01,10,81	5,00,04,73	(-)1,06,08
पूरक	76,42,44		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,65,80
<b>प्रभारित</b>			
मूल	..		
	..	1,00	1,00
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	7,72,00		
	10,48,00	10,95,30	+47,30
पूरक	2,76,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,00,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में ₹ 47,30,313 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,06.08 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 76,42.44 लाख का अनुपूरक अनुदान तथा ₹ 1,65.80 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 47.30 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 2,76.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (v) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

## योजनेतर

मूल	2,10.91			
		1,91.69	1,91.68	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)19.22			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.22 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

02- जिला कर्मचारी वर्ग -

## योजनेतर

मूल	9,16.78			
		7,15.80	7,15.81	+0.01
पुनर्वि०	(-)2,00.98			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.98 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के कम चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-

## योजनागत

मूल	1,80.00			
		1,50.77	1,50.77	..
पुनर्वि०	(-)29.23			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.23 लाख की कमी विभाग द्वारा विकास क्रियाकलापों के कम आयोजन के कारण हुई।

## 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

01- पुनर्वास-

202- अन्य पुनर्वास योजनाएं-

02- कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास-

## योजनेतर

मूल	1,33.95			
		85.35	85.35	..
पुनर्वि०	(-)48.60			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.60 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

02- समाज कल्याण-

101- विकलांगों का कल्याण-

03- विकलांगों का उत्थान-

## योजनेतर

मूल	1,08.26			
		75.90	75.89	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)32.36			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 32.36 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

## योजनागत

मूल	2,90.00			
		2,47.97	2,47.97	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)42.03			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.03 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने तथा सामग्री की कम खरीद करने के कारण हुई।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)**

102- बाल कल्याण-

03- शिशु गृह-

**योजनेतर**

मूल	2,34.00			
		2,22.71	2,22.68	(-)0.03
पुनर्वि०	(-)11.29			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.29 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

**योजनागत**

मूल	1,75.00			
पूरक	20.00	1,84.30	1,84.30	..
पुनर्वि०	(-)10.70			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.70 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

05- एकीकृत शिशु कल्याण सेवाएं-

केन्द्रीय प्रयोजित योजना

**योजनागत**

मूल	85,55.00			
पूरक	42,34.97	1,24,47.69	1,24,49.48	+1.79
पुनर्वि०	(-)3,42.28			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,42.28 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, सामग्री की कम खरीद, किराया, दर, कर, पानी तथा विद्युत बिलों की कम प्राप्ति के कारण हुई। जबकि केन्द्रीय अनुदान ₹ 1,71,84.09 लाख का प्राप्त हुआ।

**योजनागत**

मूल	9,15.00			
		8,68.93	8,68.93	..
पुनर्वि०	(-)46.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 46.07 लाख की कमी हुई जिसके कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये।

103- महिला कल्याण-

01- राजकीय आवास-

**योजनेतर**

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

मूल	31.56			
पूरक	1.00	23.22	23.21	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)9.34			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 07- राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत  
किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु  
पोषाहार योजना-

## योजनागत

मूल	6,17.00			
		5,30.75	5,30.75	..
पुनर्वि०	(-)86.25			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 86.25 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

- 12- महिलाओं को नैतिक आचार के  
बचाव हेतु वैकल्पिक अवसर  
प्रदान करने की योजना-

## योजनागत

मूल	99.97			
		50.00	50.00	..
पुनर्वि०	(-)49.97			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.97 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

- 107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-  
02- अन्य स्वैच्छिक संगठन-

## योजनागत

मूल	2,86.00			
		2,68.49	2,68.49	..
पुनर्वि०	(-)17.51			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.51 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने तथा कर्मचारियों को वेतन/मंहगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण हुई।

- 03- हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक  
सेवा प्राधिकरण को सहायता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)**

**योजनागत**

(i)	मूल	10.00			
	पूरक	13.38	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)23.38			

04- परिवार सहायता-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

**योजनागत**

(ii)	मूल	4,44.00			
			3,96.10	3,96.10	..
	पुनर्वि०	(-)47.90			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71.28 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

200- अन्य कार्यक्रम-

01- दक्षता को बढ़ावा देकर  
बाह्य स्रोत द्वारा रोजगार प्रतिभूति-

**योजनागत**

	मूल	3.00			
			1.82	1.82	..
	पुनर्वि०	(-)1.18			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.18 लाख की कमी लाभार्थियों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा  
तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन-

02- सामाजिक सुरक्षा योजना के  
अन्तर्गत विधवा पेंशन-

**योजनेतर**

	मूल	38,89.66			
	पूरक	4,16.12	42,28.05	42,28.06	+0.01
	पुनर्वि०	(-)77.73			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77.73 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

104- सरकारी भविष्य निधि निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-

01- जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत  
देय राशि-

## योजनेतर

मूल	2,24.55	2,24.55	1,88.08	(-)36.47
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 36.47 लाख की अंतिम बचत प्रत्याशित से कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई ।

800- अन्य व्यय-

06- वित्त विभाग के पास आरक्षित  
निधि के पेंशनर-

## योजनेतर

(i) मूल	24,25.27			
पूरक	4,35.50	..	..	..
पुनर्वि०	(-)28,60.77			

68- सामान्य प्रशासनिक विभाग के पेंशनर-

## योजनेतर

(ii) मूल	5.50			
		3.79	3.79	..
पुनर्वि०	(-)1.71			

77- उर्जा निदेशालय के पेंशनर-

## योजनेतर

(iii) मूल	1.10			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.10			

82- शहरी विकास विभाग के पेंशनर-

## योजनेतर

(iv) मूल	7.15			
		1.87	1.87	..
पुनर्वि०	(-)5.28			

उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28,68.86 लाख की कमी सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

(vi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ लाख में)

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- मरम्मत तथा रखरखाव -

09- सामाजिक एवं महिला कल्याण विभाग

के रखरखाव पर व्यय -

**योजनेतर**

मूल 0.01

11.12

11.12

..

पुनर्वि० 11.11

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.11 लाख का आवर्धन कार्यालय भवन की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण -**

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-

102- आर्थिक विकास-

01- अन्य पिछड़े वर्गों का आर्थिक विकास-

**योजनेतर**

मूल 0.54

3.44

3.44

..

पुनर्वि० 2.90

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.90 लाख का आवर्धन यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

02- समाजिक कल्याण-

102- बाल कल्याण-

01- राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार

बोर्ड को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल 60.50

84.59

84.59

..

पुनर्वि० 24.09

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.09 लाख का आवर्धन वेतन व मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ।

## 11- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को मानदेय-

## योजनेतर

मूल	10,65.56			
पूरक	3,64.33	15,39.35	15,39.35	..
पुनर्वि०	1,09.46			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.46 लाख का आवर्धन आँगनबाड़ी कायकर्ताओं तथा सहायकों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।

## 14- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक	1.34			
		16.85	16.85	..
पुनर्वि०	15.51			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.51 लाख का आवर्धन लाभार्थियों की अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 8,14.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

## 15- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के

अन्तर्गत शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशु घर - केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक	0.96			
		35.41	35.41	..
पुनर्वि०	34.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.45 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को वेतन तथा मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ। जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 8,14.47 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

## 16- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के

अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित शिशुघरों का रखरखाव-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

पूरक	1,06.56			
		4,92.90	4,92.92	..

पुनर्वि० 3,86.34

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,86.34 लाख का आवर्धन कर्मचारियों को वेतन तथा मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ। जबकि ₹ 8,14.47 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ था।

- 17- एकीकृत शिशु संरक्षण योजना के अन्तर्गत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एवं शिशु कल्याण समितियों का रख-रखाव-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक	0.92			
		1,80.31	1,80.31	..

पुनर्वि० 1,79.39

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,79.39 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 8,14.47 लाख था।

- 103- महिलाओं का कल्याण-

- 05- राज्य महिला आयोग

## योजनेतर

मूल	55.44			
पूरक	14.33	83.05	83.05	..

पुनर्वि० 13.28

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्षण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.28 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

- 09- राजीव गाँधी किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किशोरियों का सशक्तिकरण- केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक	51.00			
		87.34	87.34	..

पुनर्वि० 36.34

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.34 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ। जबकि केन्द्र से प्राप्त अनुदान ₹ 6,23.13 लाख था।

- 10- इंदिरा गांधी मातृ सहायता योजना -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	0.01			
पूरक	1,10.78	2,21.67	2,21.66	(-) 0.01
पुनर्वि०	1,10.88			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹1,10.88 लाख का आवर्धन क्रियाकलापों/कैम्पों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

## 11- बलात्कार पीड़ितों को सहायता सेवाएं-

**योजनागत**

पुनर्वि०	49.97	49.97	49.97	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.97 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना था बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा  
कल्याण कार्यक्रम-

## 105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-

02- सरकारी कर्मचारियों के लिए  
सूचक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा-**योजनेतर**

(i) मूल	1,81.50	1,81.50	2,40.50	+59.00
---------	---------	---------	---------	--------

## 200- अन्य कार्यक्रम-

12- सरकारी कर्मचारियों के परिवारों  
को अनुग्रह भुगतान-**योजनेतर**

(ii) मूल	4,50.00	4,50.00	4,88.74	+38.74
----------	---------	---------	---------	--------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 97.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## 800- अन्य व्यय-

03- सिंचाई और जन स्वास्थ्य  
विभाग के पेंशनर-**योजनेतर**

(i) मूल	1,92.00			
पूरक	1,00.00	3,83.61	3,84.44	+0.83
पुनर्वि०	91.11			



194  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

05- खजाना एवं लेखा विभाग के पेंशनर-

**योजनेतर**

(ii) मूल	27.50			
		87.20	87.43	+0.23
पुनर्वि०	59.70			

07- मत्स्य विभाग के पेंशनर-

**योजनेतर**

(iii) मूल	5.50			
		19.48	19.48	..
पुनर्वि०	13.98			

10- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पेंशनर-

**योजनेतर**

(iv) मूल	3.85			
		10.99	11.00	+0.01
पुनर्वि०	7.14			

11- तकनीकी शिक्षा विभाग के पेंशनर-

**योजनेतर**

(v) मूल	24.20			
		41.16	40.91	(-)0.25
पुनर्वि०	16.96			

12- कृषि विभाग के पेंशनर-

**योजनेतर**

(vi) मूल	66.00			
पूरक	20.00	1,63.91	1,64.79	+0.88
पुनर्वि०	77.91			

13- मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग  
के पेंशनर-

**योजनेतर**

(vii) मूल	7.70			
		14.70	14.70	..
पूरक	7.00			

195  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

14- बागवानी विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(viii)	मूल	19.80			
	पूरक	10.00	1,02.03	1,02.03	..
	पुनर्वि०	72.23			
15- पशुपालन विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(ix)	मूल	66.00			
			1,30.77	1,30.61	(-)0.16
	पूरक	64.77			
16- उद्योग विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(x)	मूल	17.60			
			57.35	57.35	..
	पुनर्वि०	39.75			
17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xi)	मूल	19.80			
			43.66	43.66	..
	पूरक	23.86			
18- परिवहन विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xii)	मूल	38.50			
			1,15.33	1,15.33	..
	पूरक	76.83			
20- जेल विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xiii)	मूल	6.60			
			13.20	13.20	..
	पूरक	6.60			
21- गृह रक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर					

196  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

(xiv)	मूल	8.80			
			24.75	24.75	..
	पूरक	15.95			
23- लोक सम्पर्क विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xv)	मूल	16.50			
			41.99	41.99	..
	पूरक	25.49			
24- हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के पेंशनर- योजनेतर					
(xvi)	मूल	1.10			
			4.17	4.17	..
	पूरक	3.07			
26- ग्रामीण विकास विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xvii)	मूल	49.50			
			87.76	88.14	+0.38
	पूरक	38.26			
27- सचिवालय प्रशासन विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xviii)	मूल	1,00.00			
	पूरक	20.00	2,05.00	2,05.00	..
	पुनर्वि०	75.00			
28- आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पेंशनर- योजनेतर					
(xix)	मूल	1.65			
			5.94	5.94	..
	पुनर्वि०	4.29			
29- पंचायती राज विभाग के पेंशनर-					

197  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

	<b>योजनेतर</b>				
(xx)	मूल	22.00			
			27.58	27.58	..
	पुनर्वि०	5.58			
30-	भाषा तथा संस्कृति विभाग के पेंशनर-				
	<b>योजनेतर</b>				
(xxi)	मूल	1.76			
			6.36	6.36	..
	पुनर्वि०	4.60			
31-	पुलिस विभाग के पेंशनर-				
	<b>योजनेतर</b>				
(xxii)	मूल	1,65.00			
			3,64.39	3,64.39	..
	पुनर्वि०	1,99.39			
33-	माध्यमिक शिक्षा विभाग के पेंशनर-				
	<b>योजनेतर</b>				
(xxiii)	मूल	4,12.50			
			7,21.14	7,22.08	+ 0.94
	पुनर्वि०	3,08.64			
34-	आयुर्वेद विभाग के पेंशनर-				
	<b>योजनेतर</b>				
(xxiv)	मूल	22.00			
			61.74	61.74	..
	पुनर्वि०	39.74			
35-	स्वास्थ्य विभाग के पेंशनर-				
	<b>योजनेतर</b>				
(xxv)	मूल	1,98.00			
			4,23.91	4,25.61	+1.70
	पुनर्वि०	2,25.91			
36-	निर्वाचन विभाग के पेंशनर-				

198  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

<b>योजनेतर</b>					
(xxvi)	मूल	3.63			
			13.63	13.63	..
	पुनर्वि०	10.00			
37- राज्यपाल सचिवालय के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxvii)	मूल	3.85			
			8.35	8.35	..
	पुनर्वि०	4.50			
38- उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ					
न्यायलयों के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxviii)	मूल	49.50			
			73.52	73.52	..
	पुनर्वि०	24.02			
39- लोक सेवा आयोग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxix)	मूल	4.40			
			12.40	12.40	..
	पुनर्वि०	8.00			
40- भू-राजस्व विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxx)	मूल	39.05			
			58.43	58.43	..
	पुनर्वि०	19.38			
42- श्रम और रोजगार विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxxi)	मूल	14.30			
			33.29	33.29	..
	पुनर्वि०	18.99			
43- स्थानीय लेखा परीक्षा					
विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					

199  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

(xxxii)	मूल	1.10			
			3.60	3.60	..
	पुनर्वि०	2.50			
44-	चकबन्दी के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxiii)	मूल	7.70			
			18.70	18.70	..
	पुनर्वि०	11.00			
47-	अग्नि शमन सेवा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxiv)	मूल	3.30			
			20.78	20.78	..
	पुनर्वि०	17.48			
49-	आबकारी एवं कराधान विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxv)	मूल	22.00			
			53.59	53.59	..
	पुनर्वि०	31.59			
50-	सहकारिता विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxvi)	मूल	38.50			
			88.27	88.27	..
	पुनर्वि०	49.77			
51-	चिकित्सा शिक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxvii)	मूल	34.10			
			84.23	84.23	..
	पुनर्वि०	50.13			
53-	आतिथ्या संस्थान के पेंशनर- योजनेतर				
(xxxviii)	मूल	1.65			
			3.85	3.85	..
	पुनर्वि०	2.20			

200  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

60- महाधिवक्ता के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xxxix)	मूल	1.10			
			4.10	4.10	..
	पुनर्वि०	3.00			
62- खेल एवं युवा सेवाओं विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(x1)	मूल	0.88			
			2.11	2.11	..
	पुनर्वि०	1.23			
65- बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xli)	मूल	5.50			
			13.50	13.50	..
	पुनर्वि०	8.00			
67- योजना विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xlii)	मूल	1.10			
			6.30	6.30	..
	पुनर्वि०	5.20			
69- राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xliii)	मूल	13.20			
			36.14	36.14	..
	पुनर्वि०	22.94			
70- राज्य निर्वाचन आयोग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					
(xliv)	मूल	0.33			
			1.54	1.54	..
	पुनर्वि०	1.21			
71- वन विभाग के पेंशनर-					
<b>योजनेतर</b>					

201  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

(xlv)	मूल	1,65.00			
			2,62.58	2,63.69	+1.11
	पुनर्वि०	97.58			
73- प्राथमिक शिक्षा विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xlvi)	मूल	3,63.00			
	पूरक	3,69.94	10,67.22	10,67.50	+ 0.28
	पुनर्वि०	3,34.28			
78- लोक निर्माण विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xlvii)	मूल	1,98.00			
	पूरक	30.00	6,34.62	6,34.75	+0.13
	पुनर्वि०	4,06.62			
83- राजस्व विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xlviii)	मूल	70.18			
	पूरक	9.51	1,89.36	1,89.36	..
	पुनर्वि०	1,09.67			
86- महिला एवं शिशु विकास विभाग के पेंशनर- योजनेतर					
(xlix)	मूल	5.50			
	पूरक	3.00	18.58	18.03	(-)0.55
	पुनर्वि०	10.08			

उपरोक्त उन्चास मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27,53.13 लाख का आवर्धन सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

**2236- पोषण-**

02- पोषक भोजन तथा सूपेय का वितरण-

101- विशेष पोषण कार्यक्रम -

05- पोषण योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना



202  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (क्रमशः)

योजनागत

मूल	15,79.00			
पूरक	1,72.18	18,24.42	18,24.42	..
पुनर्वि०	73.24			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.24 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

पूंजीगत प्रवर्ग

(viii) दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीषों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- सामाजिक कल्याण-

800- अन्य व्यय-

01- भवनों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

योजनागत

पूरक	2,76.00			
		3,78.69	4,26.00	+ 47.31
पुनर्वि०	1,02.69			

₹ 47.31 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.69 लाख का आवर्धन विभागीय भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 47.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीषों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

203  
विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-19 (समाप्त)

80- सामान्य-				
800- अन्य व्यय-				
03- अन्य पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं हेतु हॉस्टल निर्माण-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,00.00			
मार्च 2015 में ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान हास्टलों के निर्माण न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।				
<b>6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु ऋण-</b>				
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-				
190- सार्वजनिक क्षेत्रों तथा अन्य उपक्रमों को ऋण-				
01- उच्च शिक्षा हेतु आई आर डी पी परिवारों के बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			
मार्च 2015 में ₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान ऋण मामलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-20 ग्रामीण विकास**

(शीर्ष 2216-आवास, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	5,05,81,49		
	9,48,43,09	8,38,57,10	(-)1,09,85,99
पूरक	4,42,61,60		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015)			1,09,94,09
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,35,00		
	1,35,00	1,35,00	..
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

(i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,09,85.99 की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 4,42,61.60 का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

**राजस्व प्रवर्ग**

(ii) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
शीर्ष			

**2216- आवास-**

03- ग्रामीण आवास-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

102- भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था-

01- इन्दिरा आवास योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक 20,00.00

13,23.85

13,23.85

..

पुनर्वि० (-)6,76.15

मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,76.15 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान के कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹1,36.79 लाख था।

## योजनागत

मूल 3,88.00

94.13

94.13

..

पुनर्वि० (-)2,93.87

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,93.87 लाख की कमी केन्द्रीय भाग की दूसरी किस्त प्राप्त न होने के कारण हुई।

2230- श्रम तथा रोजगार-

03- प्रशिक्षण-

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

01- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्र-

## योजनेतर

मूल 1,65.80

1,21.86

1,22.13

+0.27

पुनर्वि० (-)43.94

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 43.94 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि कर्मचारी वर्ग द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

06- स्वरोजगार कार्यक्रम-

101- स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना-

02- स्वर्णजंयती ग्रामीण स्वरोजगार योजना-

## योजनागत

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)**

मूल 3,00.30

पुनर्वि० (-)3,00.30

₹ 3,00.30 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

**योजनागत**

मूल 3,62.00

1,87.96

1,87.96

..

पुनर्वि० (-)1,74.04

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.04 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीय भाग की कम प्राप्ति के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

04- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम -

**योजनागत**

मूल 11,19.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)11,19.00

₹ 11,19.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय भाग प्राप्त न होने तथा संहितागत औपचारिकताएं पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित कर दिया गया ।

**2505- ग्राम रोजगार-**

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

06- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी योजना-

**योजनागत**

मूल 46,83.00

26,66.28

26,66.28

..

पुनर्वि० (-)20,16.72

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 20,16.72 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

## 2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-

101- पंचायती राज-

01- पंचायती राज विभाग-

## योजनेतर

मूल 20,37.49

पूरक 0.01 15,64.70 15,64.64 (-)0.06

पुनर्वि० (-)4,72.80

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,72.80 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने से हुई।

09- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-

(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

## योजनागत

मूल 25,44.00

8,24.00 8,24.00 ..

पुनर्वि० (-)17,20.00

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 17,20.00 लाख की सारभूत कमी भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि केन्द्र से ₹ 11,92.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।

13- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-

## योजनागत

मूल 10,00.00

3,61.08 3,61.08 ..

पुनर्वि० (-)6,38.92

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,38.92 लाख की सारभूत कमी भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुई जबकि केन्द्र से ₹ 15,25.67 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ ।

102- सामुदायिक विकास-

01- एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग-

## योजनेतर

मूल 84,05.96

पूरक 0.01 68,00.70 68,07.05 + 6.35

पुनर्वि० (-)16,05.27

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 16,05.27 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा टेलीफोन, विद्युत तथा पानी आदि के प्रभारों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	50.00			
		35.85	35.85	..
पुनर्वि०	(-)14.15			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.15 लाख की कमी पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभागों के बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

- 196- जिला परिषदों को सहायता-  
01- तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	82,91.00			
पूरक	18,04.30	87,66.51	87,66.51	..
पुनर्वि०	(-)13,28.79			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,28.79 लाख की कमी तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की दूसरी किश्त की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

- 02- तीसरे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला परिषदों को अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	12,23.71			
		8,80.55	8,80.55	..
पुनर्वि०	(-)3,43.16			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,43.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि नये वाहनों की खरीद से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 197- पंचायत समितियों को सहायता  
02- तीसरे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	39,29.25			
पूरक	0.01	30,58.87	30,58.87	..
पुनर्वि०	(-)8,70.39			

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8,70.39 लाख की कमी अनुबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि पंचायत समिति भवनों के रखरखाव पर हुए अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 198- ग्राम पंचायतो को सहायता-  
02- तीसरे राज्य वित्तायोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-

#### योजनेतर

मूल	54,86.49			
		41,21.68	41,21.68	..
पुनर्वि०	(-)13,64.81			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13,64.81 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने तथा अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने के कारण हुई।

- (iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में )

#### 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-

- 06- स्वरोजगार कार्यक्रम-  
101- स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना-  
03- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजनागत

पूरक	5,40.56			
		6,21.89	6,21.89	..
पुनर्वि०	81.33			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 81.33 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय भाग प्राप्त न होने के कारण हुआ। वर्ष के दौरान प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹ 6,21.98 लाख था।

- 800- अन्य व्यय-  
03- मातृ शक्ति बीमा योजना-

#### योजनेतर



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)**

मूल	77.00				
		1,91.50	1,91.50	..	

पुनर्वि० 1,14.50  
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14.50 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

04- एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	1,54.00				
		1,54.00	1,54.00	..	

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान में ₹ 1,54.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय भाग की प्राप्ति के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था। वर्ष के दौरान ₹ 3,55.15 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

003- प्रशिक्षण-

01- पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र-

**योजनेतर**

मूल	71.46				
		1,21.98	1,21.95	(-)0.03	
पुनर्वि०	50.52				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.52 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ।

101- पंचायती राज-

10- पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत

खनिजों पर रायल्टी की एवज में

सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	0.01				
		50.08	50.07	(-)0.01	
पुनर्वि०	50.07				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.07 लाख का आवर्धन स्थानीय निकायों को अधिक अनुदान देने के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-20 (क्रमशः)

102- सामुदायिक विकास-

10- ग्रामीण शौचालयों का निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक 30,80.10

38,33.12

38,33.12

..

पुनर्वि० 7,53.02

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,53.02 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय भाग की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि केन्द्र से ₹ 1,37,65.03 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

## योजनागत

मूल 11,59.00

12,93.52

12,74.17

(-)19.35

पुनर्वि० 1,34.52

₹ 19.35 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.52 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रीय भाग की अधिक प्राप्ति से हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 19.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

20- स्वच्छता योजना के अन्तर्गत राज्य पुरस्कार-

## योजनागत

पूरक 1,49.72

2,66.20

2,85.55

+19.35

पुनर्वि० 1,16.48

₹ 19.35 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16.48 लाख का आवर्धन जोकि अधिक अनुदान प्राप्ति के कारण हुआ, अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 19.35 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

21- निर्मल ग्राम पुरस्कार-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

पूरक 60.80

1,46.30

1,46.30

..

पुनर्वि० 85.50

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-20 (समाप्त)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

**योजनागत**

पुनर्वि०	15.20	15.20	15.20	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 15.20 लाख का आवर्धन अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

197- पंचायत समितियों को सहायता-

01- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायत समितियों को अनुदान-

**योजनेतर**

(i) मूल	49,74.60			
		52,36.77	52,36.77	..
पुनर्वि०	2,62.17			

198- ग्राम पंचायतों को सहायता-

01- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुदान-

**योजनेतर**

(ii) मूल	33,16.40			
		34,91.18	34,91.18	..
पुनर्वि०	1,74.78			

उपरोक्त दो मामलों मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,36.95 लाख का आवर्धन तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत अनुदान की अधिक प्राप्ति से हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 सहकारिता**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6425-सहकारिता हेतु ऋण )

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	27,44,65			
		34,93,41	29,67,51	(-)5,25,90
पूरक	7,48,76			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,27,32

**पूंजीगत प्रवर्ग**

**दत्तमत**

मूल	1			
		44,28,65	44,28,64	(-)1
पूरक	44,28,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,25.90 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 7,48.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 (क्रमशः)**

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रख रखाव एवं मरम्मत-

06- वित्त विभाग के पास रक्षित

रख-रखाव व्यय-

**योजनेतर**

पूरक	5.00	5.00	..	(-)5.00
------	------	------	----	---------

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2425- सहकारिता-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

(i)	मूल	29.07			
			18.01	15.94	(-)2.07
	पुनर्वि०	(-)11.06			

**योजनेतर**

(ii)	मूल	3,30.52			
	पूरक	0.75	2,65.70	2,69.21	+3.51
	पुनर्वि०	(-)65.57			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 76.63 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**02- जिला कर्मचारी वर्ग-****योजनेतर**

मूल	16,34.22			
पूरक	30.03	14,02.33	14,06.43	+4.10
पुनर्वि०	(-)2,61.92			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,61.92 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों के नियमतीकरण के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-21 (समाप्त)**

101- सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा-

01- लेखापरीक्षा कर्मचारी वर्ग -  
योजनेतर

मूल	6,90.33			
पूरक	3.00	5,04.57	5,05.45	+0.88
पुनर्वि०	(-)1,88.76			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.76 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर कम व्यय तथा विद्युत व टेलीफोन बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 खाद्य और नागरिक आपूर्ति**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2236-पोषण, 2408-खाद्य, भंडारण एवं भांडागार, 3456-सिविल अपूर्ति , 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं तथा 4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	( ₹ हजार में )		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,41,53,73		
	2,41,53,73	2,13,49,70	(-)28,04,03
पूरक	...		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			28,03,22
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	8		
	8	6	(-)2
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2

**टिप्पणियां**

**राजस्व प्रवर्ग**

(i) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
( ₹ लाख में )			

**2236- पोषाहार-**

- 02- पोषक आहार तथा सुपेय का वितरण-
- 101- विशेष पोषागार कार्यक्रम-
- 06- अन्नपूर्णा योजना-  
(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.06 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण हुई। जबकि केन्द्र से ₹ 24,92.27 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।

**2408- खाद्य, भंडारण एवं भांडागार-**

01- खाद्य-

001- निदेशन और प्रशासन-

02- जिला फॉर्म का कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	4,48.00			
		4,12.72	4,12.72	..
पुनर्वि०	(-)35.28			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 35.28 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की कम प्राप्ति तथा सदस्यों की कम बैठकों के कारण हुई जो कि नये वाहन खरीदने अधिक मरम्मत तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभागों पर अधिक व्यय से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई

102- खाद्य सहायता-

10- अंतोदया अन्न योजना-

**योजनेतर**

(i) मूल	3,00.00			
		7.79	7.79	..
पुनर्वि०	(-)2,92.21			

11- उपदान पर दाल, गेहूं, चावल, तेल और आयोडाईज नमक की खरीद-

**योजनेतर**

(ii) मूल	2,20,00.00			
		1,89,55.00	1,89,55.00	..
पुनर्वि०	(-)30,45.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 33,37.21 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा उपदान की कम मांग के कारण हुई।

**3456- नागरिक आपूर्ति -**

001- निदेशन और प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	3,25.65			
		3,02.46	3,02.45	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)23.19			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 23.19 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मुख्यतः बाह्य स्त्रोंतो से रखे गये कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान, नये वाहनों की खरीद तथा अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- जिला कार्यालय-

**योजनेतर**

मूल	7,73.29			
		5,60.21	5,59.41	(-)0.80
पुनर्वि०	(-)2,13.08			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,13.08 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मरम्मत: कार्यों, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-**

106- भार और माप का नियमन-

01- भार और माप संगठन-

**योजनेतर**

मूल	2,76.75			
		2,14.55	2,14.55	..
पुनर्वि०	(-)62.20			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 62.20 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (क्रमशः)**

(ii) उपरोक्त बचत निम्नवत शीर्षों के अधीन हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>2059- लोक निर्माण कार्य-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
053- रख रखाव एवं मुरम्मत-			
17- खाद्य और आपूर्ति विभाग के रख रखाव पर व्यय-			
<b>योजनेतर</b>			
मूल	0.01		
		11.97	11.97
पुनर्वि०	11.96		..

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.96 लाख का आवर्धन कार्यालय भवनों के रख रखाव के कारण हुआ।

**3456- सिविल आपूर्ति-**

- 001- निदेशन और प्रशासन-  
04- उपभोक्ता जागरूकता-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	26.52	26.52	26.52	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 26.52 लाख का आवर्धन कैम्पों तथा सेमीनारों के अधिक आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल या पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था । जबकि केन्द्र से ₹ 18.30 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		30.00	30.00	..
पुनर्वि०	29.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.99 लाख का आवर्धन मुख्यतः विद्युत, पानी तथा टेलीफोन बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-22 (समाप्त)**

05- लक्षित सार्वजनिक वितरण  
प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i)	पुनर्वि0	4,23.97	4,23.97	4,23.97	..
-----	----------	---------	---------	---------	----

**योजनागत**

(ii)	पुनर्वि0	4,01.38	4,01.38	4,01.38	..
------	----------	---------	---------	---------	----

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 8,25.35 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा निधियां प्राप्त होने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था। क्रम संख्या (i) के अन्तर्गत ₹ 5.00 लाख की निधि केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गयी थी।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 विद्युत विकास**

(शीर्ष 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2801-विद्युत, 2810-नई तथा नवीकृत उर्जा, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं को ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
		(₹ हजार में)	
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,37,03,55		
	3,92,15,49	3,93,40,91	+1,25,42
पूरक	55,11,94		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित			
राशि			..
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	3,75,33,01		
	4,22,95,00	4,47,75,99	+24,80,99
पूरक	47,61,99		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित			
राशि (31 मार्च 2015)			62,40,26

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,25,41,978 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 24,80,99,000 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,25.42 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 55,11.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 24,80.99 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 47,61.99 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ और ₹ 62,40.26 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)**

**राजस्व प्रवर्ग**

(v) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
-------	------------	------------------	----------------------

(₹ लाख में)

**2801- विद्युत-**

80- सामान्य-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

01- उर्जा निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	2,97.20			
		4,04.23	4,70.13	+65.90
पुनर्वि०	1,07.03			

₹ 65.90 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,07.03 लाख का आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों को भरने के कारण हुआ जोकि मुख्यतः किराया, दर तथा कर के दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 65.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)

101- विद्युत बोर्ड को सहायता-

02- ब्याज उपदान-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		55,11.95	55,58.00	+46.05
पूरक	55,11.94			

₹ 46.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)

(vi) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत (-)
-------	------------	------------------	----------------------

(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 (क्रमशः)**

**2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर  
अन्य कर तथा शुल्क-**

- 103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-  
01- विद्युत निरीक्षणालय-

**योजनेतर**

मूल	2,70.80			
		1,68.68	1,82.15	+13.47
पुनर्वि०	(-)1,02.12			

₹ 13.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,02.12 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण तथा सामग्री की कम आवश्यकता के कारण हुई जो कि मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 13.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2801- विद्युत-**

- 80- सामान्य-  
800- अन्य व्यय-  
03- मध्यस्थता शुल्क के भुगतान पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	5.50			
		0.63	0.63	...
पुनर्वि०	(-)4.87			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.87 लाख की कमी वकीलों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

- (vii) दत्तमत प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	----------------------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-23 (समाप्त)**

**6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-**

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-

01- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण-  
**योजनागत**

मूल 1,16,50.00

1,05,77.74

1,92,98.99

+87,21.25

पुनर्वि० (-)55,72.26

₹ 87,21.25 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 55,72.26 लाख की कमी ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई जो कि अवास्तविक सिद्ध हुई।

₹ 87,21.25 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(viii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य(+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	----------------------

**4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- हाइडल उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश-

06- हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में इक्विटी अंशदान -  
**योजनागत**

मूल 1,14,60.00

1,07,92.00

1,07,92.00

..

पुनर्वि० (-)6,68.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,68.00 लाख की कमी मुख्यतः ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-24- मुद्रण और लेखन सामग्री

(शीर्ष- 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2059-लोक निर्माण-कार्य तथा 2216-आवास)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	24,22,93		
	24,22,93	22,78,30	(-)1,44,63
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015 )			2,58,42

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियाँ

- (i) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,44.63 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से ₹ 2,58.42 लाख का अभ्यर्ण अत्याधिक सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान  | वास्तविक<br>व्यय | आधिक्य (+)<br>बचत (-) |
|-------|-------------|------------------|-----------------------|
|       | (₹ लाख में) |                  |                       |

## 2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय

## योजनेतर

- |          |          |       |       |
|----------|----------|-------|-------|
| (i) मूल  | 1,36.39  |       |       |
|          |          | 86.66 | 93.51 |
|          |          |       | +6.85 |
| पुनर्वि० | (-)49.73 |       |       |

102- फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण-

01- फार्मों की आपूर्ति-

## योजनेतर



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-24 (क्रमशः)**

(ii)	मूल	13.71			
			9.60	10.47	+0.87
	पुनर्वि०	(-)4.11			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 53.84 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				
103-	सरकारी मुद्रणालय-				
01-	हिमाचल प्रदेश सरकारी मुद्रणालय-				
	<b>योजनेतर</b>				
	मूल	15,33.19			
			12,61.26	13,55.46	+94.20
	पुनर्वि०	(-)2,71.93			
	₹ 94.20 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,71.93 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई जोकि सामग्री, मशीनों तथा उपकरणों की अधिक खरीद के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।				
	₹ 94.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।				
104-	अन्य स्रोतों से मुद्रण की लागत-				
01-	निजी मुद्रणालय-				
	<b>योजनेतर</b>				
(i)	मूल	12.02			
			5.54	6.06	+0.52
	पुनर्वि०	(-)6.48			
02-	अन्य सरकारी मुद्रणालय-				
	<b>योजनेतर</b>				
(ii)	मूल	17.71			
			11.01	12.05	+1.04
	पुनर्वि०	(-)6.70			
	उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.18 लाख की कमी रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-24 (क्रमशः)**

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	------------------	-----------------------

(₹ लाख में)

**2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण-**

101- लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति-

01- लेखन सामग्री-

**योजनेतर**

मूल	3,61.51			
		3,74.74	3,89.21	+14.47
पुनर्वि०	13.23			

₹ 14.47 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.23 लाख का आवर्धन मुख्यतः विभिन्न विभागों द्वारा लेखन सामग्री की अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 14.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लेखन सामग्री की खरीद-

**योजनेतर**

मूल	99.23			
		1,19.23	1,19.23	..
पुनर्वि०	20.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख का आवर्धन बोर्डों/निगमों से अधिक माँग प्राप्त होने के कारण हुआ।

103- सरकारी मुद्रणालय-

02- बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों का मुद्रण कार्य-

**योजनेतर**

मूल	1,87.43			
		2,27.43	2,21.44	(-)5.99
पुनर्वि०	40.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-24 (समाप्त)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.00 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

**2059- लोक निर्माण कार्य-**

- 01- कार्यालय भवन-  
053- रखरखाव तथा मरम्मत-  
13- लेखन सामग्री विभाग के  
भवनों के रखरखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		2.78	2.78	..
पुनर्वि०	2.77			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.77 लाख का आवर्धन विभागीय आवासों के रख-रखाव के कारण हुआ।

**2216- आवास-**

- 05- सामान्य पूल आवास-  
053- रख-रखाव तथा मरम्मत-  
01- अन्य रख-रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1.67			
		10.01	10.01	..
पुनर्वि०	8.34			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.34 लाख का आवर्धन विभागीय भवनों के रख-रखाव के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-25 सड़क और जल परिवहन

(शीर्ष- 2041-वाहन कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3055-सड़क परिवहन, 3056-अन्तर्देशीय जल परिवहन तथा 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,46,35,93		
	1,76,81,68	1,75,40,76	(-)1,40,92
पूरक	30,45,75		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,40,63
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	33,63,00		
	36,63,00	36,62,99	(-)1
पूरक	3,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			67,51

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 1,40.92 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 30,45.75 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 0.01 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 67.51 लाख का अभ्यर्पण अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-25 (क्रमशः)**

**3055- सड़क परिवहन-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	7,67.97			
पूरक	46.75	6,78.75	6,78.59	(-)0.16
पुनर्वि०	(-)1,35.97			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,35.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा बाहरी स्त्रोतों से कम कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण हुई।

**3056- अन्तर्देशीय जल परिवहन-**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- अन्तर्देशीय जल परिवहन हेतु कर्मचारी  
वर्ग की व्यवस्था-**योजनागत**

मूल	1.00			
पुनर्वि०	(-)1.00	..	..	..

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में बिलों की कम अदायगी के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-**

050- भूमि तथा भवन-

03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के  
भवनों का निर्माण-**योजनागत**

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-25 (समाप्त)

मूल	75.00			
		7.50	75.00	+67.50
पुनर्वि०	(-)67.50			

₹ 67.50 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.50 लाख की कमी कार्यो का निष्पादन न किये जाने के कारण हुई जो कि वास्तविकता से परे था।

₹ 67.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-26 पर्यटन और नागर विमानन

(शीर्ष 2059-लोक निर्माण-कार्य, 3053-नागर विमानन, 3452-पर्यटन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय तथा 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ हजार में)				
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	28,81,03			
		29,29,94	28,98,40	(-)31,54
पूरक	48,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				31,04
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,20,01			
		2,20,01	2,20,01	(-)1
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1

## टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 31.54 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 48.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

## राजस्व प्रवर्ग

- (ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

## 3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-26 (क्रमशः)**

001- निदेशन तथा प्रशासन-  
02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

मूल	2,90.16			
पूरक	11.93	2,71.71	2,71.21	(-)0.50
पुनर्वि०	(-)30.38			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 30.38 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

104- संवर्धन तथा प्रचार -  
04- उत्सव, मेले एवं प्रचार-

**योजनागत**

मूल	6,75.00			
		6,50.00	6,50.00	..
पुनर्वि०	(-)25.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी विभागीय योजनाओं के प्रचार न करने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-  
08- पर्यटन संरचना के लिए प्रोत्साहन-

**योजनागत**

मूल	26.04			
		8.50	8.50	..
पुनर्वि०	(-)17.54			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.54 लाख की कमी बैठके, कैम्प तथा सेमीनारों के आयोजन न करने के कारण हुई।

(iii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)



विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-26 (समाप्त)

3452- पर्यटन-

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

योजनागत

मूल	13.94			
पूरक	29.98	86.48	86.48	..
पुनर्वि०	42.56			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.56 लाख का आवर्धन मुख्यतः कानूनी खर्चों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-27 श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण

(शीर्ष- 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2216 आवास, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा 6202- शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,87,64,20		
पूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2015)	1,87,64,20	1,25,83,30	(-)61,80,90
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	38,31,04		
पूरक	67,21		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2015)	38,98,25	38,98,22	(-)3
			3

## टिप्पणियां

(i) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में)		

**2203- तकनीकी शिक्षा-**

001-निदेशन एवं प्रशासन-

01-निदेशालय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	1,76.90			
		1,63.56	1,63.56	..
पुनर्वि०	(-)13.34			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.34 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

105- पॉलिटेक्नीक विद्यालय-  
01- राजकीय पॉलिटेक्नीक -

**योजनेतर**

मूल	23,91.45			
		23,39.26	23,39.26	..
पुनर्वि०	(-)52.19			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 52.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्नीक विद्यालयों में अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा  
अल्प संख्यकों का कल्याण-**

02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-  
277- शिक्षा-  
03- शिक्षा-

**योजनेतर**

(i) मूल	4.02			
		2.21	2.21	..
पुनर्वि०	(-)1.81			

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण-  
277- शिक्षा-  
04- तकनीकी छात्रवृत्तियां-

**योजनेतर**

(ii) मूल	15.19			
		9.41	9.41	..
पुनर्वि०	(-)5.78			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 7.59 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

**2230- श्रम तथा रोजगार-**

01- श्रम-

101- औद्योगिक संबंध-

02- झगड़ों का निपटारा-

**योजनेतर**

मूल	1,17.18			
		1,08.42	1,08.42	..
पुनर्वि०	(-)8.76			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.76 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

02- रोजगार सेवाएं-

004- अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

01- रोजगार मार्केट की सूचना इक्ठ्ठी करना -

**योजनेतर**

मूल	67.63			
		53.98	53.98	..
पुनर्वि०	(-)13.65			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.65 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

101- रोजगार सेवाएं-

01- रोजगार सेवाओं का आवरण

विस्तार-

**योजनेतर**

मूल	7,50.76			
		6,28.97	6,28.97	(-)0.02
पुनर्वि०	(-)1,21.79			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.79 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

02- व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार

परामर्श-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

(i)	मूल	25.45			
			19.03	19.03	..
	पुनर्वि०	(-)6.42			

03- विश्वविद्यालय रोजगार तथा  
मार्गदर्शन ब्यूरो-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	5.67			
			1.02	1.02	..
	पुनर्वि०	(-)4.65			

03- प्रशिक्षण-

001- निदेशन तथा प्रशासन

01- तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक और  
औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कर्मचारी वर्ग-

**योजनेतर**

(iii)	मूल	29.58			
			20.98	20.98	..
	पुनर्वि०	(-)8.60			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 19.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों को  
प्रशिक्षण-

09- कौशल विकास भत्ता-

**योजनेतर**

	मूल	99,00.00			
			29,22.00	29,22.00	..
	पुनर्वि०	(-)69,78.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 69,78.00 लाख की सारभूत कमी मुख्यतः सेमीनारों तथा कैम्पों के कम आयोजनों के कारण हुई जो कि कार्यलयी मदों की अधिक मांग तथा विज्ञापनों पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

(ii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

**2203- तकनीकी शिक्षा-**

105- पॉलिटेक्नीक -

01- राजकीय पॉलिटेक्नीक -

**योजनागत**

मूल 4,49.93

5,21.98 5,21.99 +0.01

पुनर्वि0 72.05

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.05 लाख का आवर्धन मुख्यतः कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ जोकि मुख्यतः मशीनों तथा उपकरणों की कम खरीद तथा वस्तुओं की कम माँग से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

112- इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय  
तथा संस्थान-

01- राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय-

**योजनेतर**

मूल 4,53.48

5,03.18 5,03.18 ..

पुनर्वि0 49.70

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.70 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि मुख्यतः किराया, दर तथा कर की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**योजनागत**

मूल 2,00.00

2,56.81 2,58.23 +1.42

पुनर्वि0 56.81

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.81 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन तथा मंहगाई भत्ते का भुगतान करने तथा परामर्श शुल्क के दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

02- विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (फेज-II)-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 0.01

1,04.62 1,04.62 ..

पुनर्वि0 1,04.61

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.61 लाख का आवर्धन मुख्यतः मशीनों तथा उपकरणों की अधिक मांग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधिक आयोजन तथा वस्तुओं की अधिक मांग के कारण हुआ।

**2216- आवास-**

05- सामान्य पूल आवास-

053- रख-रखाव तथा मरम्मत-

01- अन्य रख-रखाव व्यय-

**योजनेतर**

मूल	6.64			
		9.14	9.14	..
पुनर्वि०	2.50			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.50 लाख का आवर्धन आवासीय भवनों की मरम्मत के अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

**2230- श्रम तथा रोजगार-**

02- रोजगार सेवाएं-

101- रोजगार सेवाएं-

02- व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श-

**योजनागत**

पुनर्वि०	8.08	8.08	8.08	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 8.08 लाख का आवर्धन मुख्यतः सेमिनारों तथा कैंम्पों के अधिक आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

05- विशेष रोजगार केन्द्र (अनुसूचित जातियों)-

**योजनेतर**

मूल	7.86			
		9.03	9.03	..
पुनर्वि०	1.17			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.17 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

03- प्रशिक्षण-

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

05- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

मूल	33,54.48			
		34,12.72	34,12.72	..
पुनर्वि०	58.24			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.24 लाख का आवर्धन मुख्यतः विभिन्न राजकीय पॉलिटैकनीकों में अधिक संकाय सदस्यों की नियुक्ति तथा सैमीनारों व कैंम्पों के अधिक आयोजन, चिकित्सा बिलों की अधिक प्राप्ति तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जो कि मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**योजनागत**

मूल	2,03.00			
		3,14.78	3,14.82	+0.04
पुनर्वि०	1,11.78			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,11.78 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान तथा किराया, दर तथा कर दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

- 07- विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत  
उत्कृष्टता केन्द्र-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01			
		4,78.89	4,78.89	..
पुनर्वि०	4,78.88			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,78.88 लाख का आवर्धन मुख्यतः मशीनों तथा उपकरणों की अधिक मांग, वेतन व मंहगाई भत्ते के भुगतान तथा वस्तुओं की अधिक खरीद के कारण हुआ।

**योजनागत**

मूल	36.00			
		57.00	56.99	(-)0.01
पुनर्वि०	21.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन व मंहगाई भत्ते के भुगतान करने तथा मशीनों व उपकरणों की अधिक मांग के कारण हुआ।

- 08- कौशल विकास प्रोत्साहन योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-27 (क्रमशः)**

पुनर्वि०	81.35	81.35	81.35	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 81.35 लाख का आवर्धन सेमिनारों तथा कैम्पों के अधिक आयोजन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

102- प्रशिक्षु प्रशिक्षण-

01- प्रशिक्षण-

**योजनेतर**

मूल	6.47	7.60	7.60	..
पुनर्वि०	1.13			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.13 लाख का आवर्धन मुख्यतः वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-**

201- श्रम-

01- भवन-

**योजनागत**

मूल	23.00	4.80	4.80	..
पुनर्वि०	(-)18.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.20 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

विनियोग लेखे  
अनुदान संख्या-27 (समाप्त)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला व संस्कृति  
पर पूंजीगत परिव्यय-

02- तकनीकी शिक्षा-

104- पॉलिटिकनीक-

02- महिला छात्रावासों का निर्माण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजनागत

मूल	0.01			
पूरक	36.04	54.25	54.25	..
पुनर्वि0	18.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.20 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-28 शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास

(शीर्ष 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2215- जलपूर्ति तथा सफाई, 2217- शहरी विकास, 3054- सड़क तथा सेतु, 4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय )।

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,82,64,97			
		1,93,56,34	1,87,98,14	(-)5,58,20
पूरक	10,91,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,58,75
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	13,61,00			
		13,61,00	12,99,91	(-)61,09
पूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				61,09

## टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां

(i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,58.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 10,91.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।

## राजस्व प्रवर्ग

(ii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(₹ लाख में)			

## 2217- शहरी विकास-

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों  
का समेकित विकास-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

- 192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-  
02- छोटे और मध्यम नगरों हेतु शहरी आधारित संरचना  
विकास योजना-

**योजनागत**

मूल 29,84.00

पुनर्वि० (-)29,84.00

₹ 29,84.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 193- नगर पंचायतों/अधिसूचित  
क्षेत्र समितियों को सहायता-  
02- छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी  
आधारिक संरचना विकास योजना-

**योजनागत**

मूल 10,00.00

पुनर्वि० (-)10,00.00

₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में योजना का निष्पादन न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**80- सामान्य-**

- 001- निदेशन तथा प्रशासन-  
01- निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय-

**योजनेतर**

मूल 2,61.56

1,94.65

1,94.65

..

पुनर्वि० (-)66.91

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.91 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

- 02- निदेशालय नगर एवं ग्राम योजना संगठन-

**योजनेतर**

मूल 10,84.39

9,32.00

9,32.57

+0.57

पुनर्वि० (-)1,52.39

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,52.39 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि नए वाहनों की खरीद, मरम्मत तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

191- नगर निगमों को सहायता-

04- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 25.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)25.00

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निधि ₹ 6,48.35 लाख थी।

**योजनागत**

मूल 7.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)7.00

₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा योजना के अन्तर्गत कम मांग प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।

05- शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु  
राजीव गाँधी आवास योजना-

**योजनागत**

(i) मूल 16,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)16,00.00

41- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण  
मिशन के अंतर्गत निधियां-

**योजनागत**

(ii) मूल 3,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)3,00.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 19,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 पुनर्विनियोजन द्वारा में केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण कम कर दिया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

43- तेरहवें वित्तायोग अवार्ड-  
योजनेतर

मूल	4,99.16			
		4,85.50	4,85.50	..
पुनर्वि०	(-)13.66			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 13.66 लाख की कमी केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण हुई।

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-  
04- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i)	मूल	50.00			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)50.00			

**योजनागत**

(ii)	मूल	29.95			
			..	..	..
	पुनर्वि०	(-)29.95			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में ₹ 79.95 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण कम कर दिया गया। जबकि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 6,48.35 लाख था।

09- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीनीकरण  
मिशन के अन्तर्गत आवास तथा गन्दी बस्तियों  
का समेकित विकास-

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,00.00			

₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

10- तेहरवें वित्तायोग अवार्ड-  
योजनागत

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

मूल	1,48.54			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,48.54			
₹ 1,48.54 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कार्य के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।				
193- नगर पंचायतों/अधिसूचित-क्षेत्र समितियों को सहायता-				
01- राज्य वित्तायोग अवार्ड-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	9,59.44			
		6,86.76	6,86.77	0.01
पुनर्वि०	(-)2,72.68			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,72.68 लाख की कमी लाभार्थियों से कम माँग प्राप्त होने के कारण हुई।				
04- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			
₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण कम कर दिया गया।				
09- तेरहवें वित्त आयोग अवार्ड-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	4,92.12			
		3,34.59	3,34.59	..
पुनर्वि०	(-)1,57.53			
मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,57.53 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।				
<b>योजनागत</b>				
मूल	38.46			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)38.46			
₹ 38.46 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण कम कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (क्रमशः)**

(iii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
				(₹ लाख में)

**2217- शहरी विकास-**

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -

192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता-

02- छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु शहरी  
आधारिक संरचना विकास योजना-

**योजनागत**

पुनर्वि०	13.03	13.03	13.03	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 13.03 लाख का आवर्धन कार्यो के अधिक निष्पादन के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

80- सामान्य-

191- नगर निगमों को सहायता-

05- राजीव आवास योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	49.78	49.78	49.78	..
----------	-------	-------	-------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 49.78 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सहायता की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 14,33.54 लाख था।

**योजनागत**

पुनर्वि०	8.27	8.27	8.27	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 8.27 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सहायता की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

41- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय ग्रामीण नवीनीकरण  
मिशन के अन्तर्गत निधियाँ-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-28 (समाप्त)**

**योजनागत**

पूरक	10,36.14			
		70,78.01	70,78.00	(-)0.01

पुनर्वि० 60,41.87

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60,41.87 लाख का आवर्धन केन्द्रीय सहायता की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 90,93.00 लाख था।

192- नगर पालिकाओं /नगर परिषदों को सहायता-

01- राज्य वित्त आयोग अवार्ड-

**योजनेतर**

मूल	42,95.49			
		45,65.82	45,65.82	..

पुनर्वि० 2,70.33

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,70.33 लाख का आवर्धन लाभार्थियों की अधिक माँग प्राप्त होने के कारण हुआ।

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4217- शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-**

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास -

051- निर्माण-

05- प्रारूप विकास योजना की तैयारी-

**योजनागत**

मूल	1,50.00			
		88.91	88.91	..

पुनर्वि० (-)61.09

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 61.09 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 वित्त**

(शीर्ष- 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2049- ब्याज अदायगियां, 2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2059- लोक निर्माण कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ, 3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम तथा 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि)

	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	( ₹ हजार में)		
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	36,46,79,18		
		35,46,79,26	29,65,30,99 (-)5,81,48,27
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,28,48,64
<b>प्रभारित</b>			
मूल	27,50,00,00		
		27,50,00,08	28,49,14,13 +99,14,05
पूरक	8		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			59,54,19
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	11,02,02		
		11,02,04	5,52,67 (-)5,49,37
पूरक	2		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			5,06,10

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**प्रभारित**

मूल	15,10,96,26			
		72,92,98,41	82,59,81,34	+9,66,82,93
पूरक	57,82,02,15			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2015)

16

**टिप्पणियां तथा अभ्यक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 99,14,04,553 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 9,66,82,93,014 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (iii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,81,48.27 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में ₹ 4,28,48.64 लाख का अभ्यर्पण अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iv) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 99,14.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 59,54.19 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक सिद्ध हुआ जो कि सही बजट बनाने और व्यय पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।
- (v) पूंजीगत प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 9,66,82.93 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 57,82,02.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त तथा ₹ 0.16 लाख का अभ्यर्पण अनावश्यक सिद्ध हुआ

**राजस्व प्रवर्ग**

- (vi) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-  

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में)

**2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-**

097- खजाना स्थापना-

01- जिला कोषागार तथा उपकोषागार-

**योजनेतर**

मूल	25,73.18			
		20,33.87	20,35.93	+2.06
पुनर्वि0	(-)5,39.31			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,39.31 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-

01- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन-

**योजनेतर**

मूल	7,17.21			
पूरक	0.01	6,16.19	6,16.19	..
पुनर्वि०	(-)1,01.03			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.03 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-**

01- सिविल-

102- पेंशन का संराशिकृत मूल्य-

02- 1-11-1966 से देय राशि-

**योजनेतर**

(i) मूल	3,07,00.45			
		2,50,00.00	1,40,05.05	(-)1,09,94.95
पुनर्वि०	(-)57,00.45			

104- उपदान-

02- 1-11-1966 से देय उपदान-

**योजनेतर**

(ii) मूल	4,89,95.74			
		3,60,00.00	2,21,78.15	(-)1,38,21.85
पुनर्वि०	(-)1,29,95.74			

105- परिवार पेंशन-

02- 1-11-1966 से पहले देय राशि-

**योजनेतर**

(iii) मूल	8,16.14			
		7,75.00	7,13.72	(-)61.28
पुनर्वि०	(-)41.14			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,87,37.33 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के कारण हुई जो कि अधिवर्षिता सेवा निवृत्त होने जा रहे थे। उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 2,48,78.08 लाख की अंतिम बचत प्रत्याशित से अधिक कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

02- 1-11-1966 से देय राशि-

**योजनेतर**

(i) मूल	5,14,21.65			
		4,00,00.00	4,11,27.79	+11,27.79
पुनर्वि०	(-)1,14,21.65			

115- अवकाश नकदीकरण हितलाभ-

01- अवकाश नकदीकरण-

**योजनेतर**

(ii) मूल	2,84,52.47			
		2,55,00.00	1,94,37.70	(-)55,62.30
पुनर्वि०	(-)34,52.47			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48,74.12 लाख की कर्मचारियों को सेवाविस्तार देने के कारण हुई जोकि अधिवर्षिता पर सेवानिचृत होने जा रहे थे।

मामला नम्बर एक में ₹ 11,27.79 लाख का आधिक्य दोहरी परिवार पेंशन मामले पूर्व अनुमान से अधिक प्राप्त होने के कारण हुआ।

मामला नम्बर दो में ₹ 55,62.30 लाख की अंतिम बचत कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि देने के कारण पूर्व अनुमान से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना

के लिए सरकारी अंशदान-

01- अंशदायी पेंशन योजना-

**योजनेतर**

मूल	1,19,34.23			
		1,37,47.85	92,20.63	(-)45,27.22
पुनर्वि०	18,13.62			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,13.62 लाख का आवर्धन अंशदायी पेंशन योजना में कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण हुआ।

₹ 45,27.22 लाख की अंतिम बचत प्रत्याशित से कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा**

**सांख्यिकी-**

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी-

01- मुख्यालय तथा जिला  
कर्मचारी वर्ग-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	7,69.43			
		6,54.10	6,53.12	(-)0.98
पुनर्वि०	(-)1,15.33			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.33 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त सेवाओं के भुगतान पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसतुलित हुई।

03- राज्य आय अनुमान ईकाइयों  
के सुधार की स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	18.20			
		14.22	14.22	..
पुनर्वि०	(-)3.98			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.98 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(vii) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अर्न्तगत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुईः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		( ₹ लाख में )	

**2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-**

103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि-

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	35.09			
		43.02	42.69	(-)0.33
पुनर्वि०	7.93			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.93 लाख का आवर्धन मुख्यतः मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ।

**2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-**

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

01- मुख्यालय संगठन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	4,99.12			
पूरक	0.01	5,41.78	5,40.57	(-)1.21
पुनर्वि०	42.65			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.65 लाख का आवर्धन बाह्य सेवाओं पर अधिक भुगतान तथा विधुत, टेलीफोन व पानी के बिलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों को न भरने तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं से कम बिलों की प्राप्ति से हुई बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

04- आर्थिक और सांख्यिकी विभाग  
के रख रखाव पर व्यय-**योजनेतर**

मूल	0.01			
		6.62	6.62	..
पुनर्वि०	6.61			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.61 लाख का आवर्धन कार्यालयी भवनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-**

105- विशेष जाँच आयोग-

02- राज्य वित्त आयोग-

**योजनेतर**

मूल	16.48			
		34.46	34.46	..
पुनर्वि०	17.98			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.98 लाख का आवर्धन मुख्यतः पांचवें राज्य वित्त आयोग के गठन के कारण हुआ।

**2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ-**

01- सिविल-

101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृत्ति भत्ते-

03- 1.11.1966 से अधिवर्षिता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	17,64,99.57			
		16,50,00.00	18,36,70.55	+1,86,70.55

पुनर्वि० (-)1,14,99.57

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,14,99.57 लाख की कमी कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने के कारण हुई जो कि अधिवार्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले थे। ₹ 1,86,70.55 लाख का अंतिम आधिक्य प्रत्याशित से अधिक पेंशन संशोधन मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ ।

111- विधायकों को पेंशन-

01- राज्य के विधायक-

**योजनेतर**

मूल	7,87.75			
		12,20.00	10,95.83	(-)1,24.17
पूरक	4,32.25			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,32.25 लाख का आवर्धन राज्य के विधायकों को पेंशन के भुगतान के कारण हुआ। ₹ 1,24.17 लाख की अंतिम बचत प्रत्याशित से कम पेंशन मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

**3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-**

091- संबद्ध कार्यालय-

01- निदेशालय संस्थागत वित्त तथा लोक उद्यम -

**योजनेतर**

मूल	20.00			
पूरक	0.01	4,56.08	4,50.36	(-)5.72
पुनर्वि०	4,36.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,36.07 लाख का आवर्धन निगमों की पेंशन देयताओं के भुगतान तथा व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ ।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा  
सांख्यिकी-**

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

112- आर्थिक सलाह और सांख्यिकी-

01- आर्थिक सेवाओं पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**योजनागत**

(i)	पूरक	0.02			
			26.89	26.89	..
	पुनर्वि०	26.87			

02- केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत  
राज्य सामरिक महत्व योजना-

**योजनागत**

(ii)	पूरक	0.02			
			3.69	3.69	..
	पुनर्वि०	3.67			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.54 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के जारी करने के कारण हुआ।

03- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत सांख्यिकी  
अधिसंरचना का सुदृढीकरण-

**योजनेतर**

मूल	2,40.00				
			4,79.98	4,79.98	..
पुनर्वि०	2,39.98				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,39.98 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा राज्य सांख्यिकी पद्धति की अधिसंरचना के सुदृढीकरण हेतु निधियां देने के कारण हुआ।

(viii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-  
शीर्ष कुल विनियोजन वास्तविक आधिक्य (+)  
व्यय बचत (-)  
( ₹ लाख में )

**2049- ब्याज अदायगियां-**

01- आँतरिक ऋणों पर ब्याज-

101- बाजारी ऋणों पर ब्याज-

04- 8.52 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2020-

**योजनेतर**

(i)	मूल	25,56.00	25,56.00	38,34.00	+12,78.00
-----	-----	----------	----------	----------	-----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

51- 8.50 प्रतिशत पावर बान्ड-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	1,34.35	1,34.35	1,79.13	+44.78
------	-----	---------	---------	---------	--------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 13,22.78 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

66- 9.38 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2024-

**योजनेतर**

(i)	पूरक	0.01			
			18.76.00	22,10.24	+3,34.24

पुनर्वि० 18,75.99

67- 9.50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2024-

**योजनेतर**

(ii)	पूरक	0.01			
			28,50.00	31,84.24	+3,34.24

पुनर्वि० 28,49.99

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,68.48 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 47,25.98 लाख का सारभूत आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 6,68.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

68- 9.63 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2024-

**योजनेतर**

(i)	पूरक	0.01			
			26,48.25	26,48.25	..

पुनर्वि० 26,48.24

69- 9.23 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2024-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

(ii)	पूरक	0.01			
			8,23.00	8,23.00	..
	पुनर्वि०	9,22.99			
70-	8.98 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2024- <b>योजनेतर</b>				
(iii)	पूरक	0.01			
			9,98.00	9,98.00	..
	पुनर्वि०	8,97.99			
	उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 44,69.22 लाख का सारभूत आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।				
71-	8.96 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण-2024- <b>योजनेतर</b>				
	पूरक	0.01			
			6,72.00	10,06.24	+3,34.24
	पुनर्वि०	6,71.99			
	₹ 3,34.24 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6,71.99 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।				
	₹ 3,34.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षत थे (जुलाई 2015)।				
72-	9 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2024- <b>योजनेतर</b>				
	पूरक	0.01			
			6,75.00	6,75.00	..
	पुनर्वि०	6,74.99			
	मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 6,74.99 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।				
86-	8.82 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2018- <b>योजनेतर</b>				
(i)	मूल	9,87.84	9,87.84	14,81.76	+4,93.92

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

103- खजाना बिलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई संबध प्रतिभूतियों पर ब्याज-

01- खजाना बिलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई संबध प्रतिभूतियों पर ब्याज-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	40.00	40.00	7,61.61	+7,21.61
------	-----	-------	-------	---------	----------

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 12,15.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2015)।

122- अल्प बचतों के निवल संग्रहण के अन्तर्गत जारी विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज-

01- विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के अन्तर्गत निवेश पर ब्याज-

**योजनेतर**

मूल	5,38,06.79				
		5,53,92.29	5,61,14.93		+7,22.64
पुनर्वि०	15,85.50				

₹ 7,22.64 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 15,85.50 लाख का सारभूत आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 7,22.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-

01- भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण-

**योजनेतर**

मूल	14,87.18	14,87.18	14,97.03	+9.85
-----	----------	----------	----------	-------

₹ 9.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षित थे (जुलाई 2015)।

08- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और अधिकर्ष-

**योजनेतर**

मूल	1.00			
		10,00.00	14,80.15	+4,80.15
पुनर्वि०	9,99.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

₹ 4,80.15 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 9,99.00 लाख का आवर्धन अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 4,80.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतिक्षत थे (जुलाई 2015)।

305- ऋण प्रबंधन-

01-ऋण का प्रबंधन-

**योजनेतर**

मूल	3,00.00	3,00.00	4,51.80	+1,51.80
-----	---------	---------	---------	----------

₹ 1,51.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों

आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

01- साधारण भविष्य निधि-

**योजनेतर**

मूल	7,21,79.64			
		6,80,00.00	7,98,39.92	+1,18,39.92

पुनर्वि० (-)41,79.64

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 41,79.64 लाख की कमी व्यय के पिछले रूझान के कारण हुई। ₹ 1,18,39.92 लाख का अंतिम आधिक्य कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त सामान्य भविष्य निधि के अधिक मामलों को प्रतिधारित करने के कारण हुआ।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋण

और अग्रिमों पर ब्याज-

101- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत

योजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज-

01- एक मुश्त ऋणों पर ब्याज-

**योजनेतर**

(i) मूल	38,32.29			
		43,54.69	43,54.69	..
पुनर्वि०	5,22.40			

104- योजनेतर योजनाओं के ऋणों पर ब्याज-

03- अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों

को गृह निर्माण अग्रिम-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

(ii)	मूल	7.92			
			9.81	9.81	..
	पुनर्वि०	1.89			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 5,24.29 लाख का आवर्धन ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

(ix) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

**2049- ब्याज अदायगियां-**

01- आंतरिक ऋणों पर ब्याज-

101- बाजार ऋणों पर ब्याज-

09- 9.20 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण 2021-

**योजनेतर**

(i)	मूल	18,86.00	18,86.00	9,43.00	(-)9,43.00
-----	-----	----------	----------	---------	------------

62- 9.30 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2018-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	8,08.17	8,08.17	7,91.54	(-)16.63
------	-----	---------	---------	---------	----------

63- 9.39 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-2023-

**योजनेतर**

(iii)	मूल	9,58.72	9,58.72	9,17.15	(-)41.57
-------	-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 10,01.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

89- प्रतिशत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विकास ऋण-

**योजनेतर**

मूल 1,30,95.00

पुनर्वि० (-)1,30,95.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

₹ 1,30,95.00 लाख का समस्त विनियोजन मार्च 2015 में नये बाजारी ऋण के दायित्वों के निपटान न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया। 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में ही यही प्रक्रिया दोहरायी गयी।

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-

05- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

**योजनेतर**

मूल 15,00.00

6,37.18

6,37.18

..

पुनर्वि० (-) 8,62.82

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 8,62.82 लाख की कमी ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

07- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-

**योजनेतर**

मूल 1,30,00.00

1,19,77.73

1,19,36.09

(-)41.64

पुनर्वि० (-)10,22.27

₹ 41.64 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 10,22.27 लाख की सारभूत कमी ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41.64 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

13- नगर निगम द्वारा जीवन बीमा

निगम से लिये गये ऋण -

**योजनेतर**

मूल 19.71

19.71

9.85

(-)9.86

₹ 9.86 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- लघु बचतों, भविष्य निधियों

आदि पर ब्याज-

104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-

03- अखिल भारतीय सेवाएँ भविष्य निधि-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**

### अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)

मूल	3,81.15			
		2,60.00	3,47.85	+87.85

पुनर्वि० (-)1,21.15

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 1,21.15 लाख की कमी पिछले वर्ष के व्यय के अनुरूप होने के कारण हुई। ₹ 87.85 लाख का अंतिम आधिक्य राज्य के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवाओं हेतु नामांकित करने तथा योजना के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि के शेषों तथा मासिक अभिदान दर में बढ़ौतरी के कारण हुआ।

108- बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज-

01- हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-

#### योजनेतर

मूल	19,96.15			
		17,37.75	18,21.28	+83.53

पुनर्वि० (-)2,58.40

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 2,58.40 लाख की कमी वर्ष के वास्तविक व्यय रूझान के अनुरूप होने के कारण हुई । ₹ 83.53 लाख का अंतिम आधिक्य अधिकारियों द्वारा सेवा विस्तार लेने के कारण हुआ।

04- केन्द्रीय सरकार से ऋण और

अग्रिमों पर ब्याज-

109- बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों के

अन्तर्गत संचित राज्य योजना ऋणों

पर ब्याज-

01- बारहवें वित्तायोग की सिफारिशों पर

समेकित संचित ऋणों पर ब्याज-

#### योजनेतर

मूल	35,56.90			
		34,95.61	34,95.61	..

पुनर्वि० (-)61.29

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 61.29 लाख की कमी ब्याज के कम भुगतान के कारण हुई।

#### पूंजीगत प्रवर्ग

(x) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

विनियोग लेखे



**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

**7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -**

201- भवन निर्माण अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को  
भवन निर्माण अग्रिम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		11.25	..	(-)11.25
पुनर्वि०	11.24			

₹ 11.25 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.24 लाख का आवर्धन ऋण मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 11.25 लाख का समस्त अंतिम प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**योजनागत**

(i) मूल	5,72.00			
		4,87.03	4,70.87	(-)16.16
पुनर्वि०	(-)84.97			

02- मन्त्रियों/उप मन्त्रियों तथा राज्य विधान मण्डल  
के पीठासीन अधिकारियों को अग्रिम-

**योजनेतर**

(ii) मूल	30.00			
		20.00	7.35	(-)12.65
पुनर्वि०	(-)10.00			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 28.81 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 94.97 लाख की कमी कम ऋण मामलों की प्राप्ति के कारण हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 28.81 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

202- मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-

04- हाईकोर्ट के जजों/लोकायुक्त/न्याय  
अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु अग्रिम-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**

**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

(ii) पूरक	0.01			
		2.50	..	(-)2.50
पुनर्वि0	2.49			

₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहने की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.49 लाख का आवर्धन जजों को ऋण उपलब्ध करवाने के कारण था जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2.50 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

800- अन्य अग्रिम-

04-शिक्षा ऋण-

**योजनेतर**

मूल	5,00.00			
		55.16	51.95	(-)3.21
पुनर्वि0	(-) 4,44.84			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,44.84 लाख की कमी ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(xi) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ लाख में )
-------	------------	---------------	--

**7610- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण -**

202- मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम-

01- सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन की खरीद हेतु ऋण-

**योजनागत**

..	..	2.50	+2.50
----	----	------	-------

₹ 2.50 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- मन्त्रियों/उप मन्त्रियों पीठासीन अधिकारियों को अग्रिम-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**

**अनुदान संख्या-29 (क्रमशः)**

मूल	0.01			
		20.00	20.00	..
पुनर्वि०	19.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.99 लाख का आवर्धन अधिक ऋण मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(xii) प्रभारित विनियोजन में आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

**6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-**

- 108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-  
02- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-

**योजनेतर**

मूल	5,35.81			
		32,39.16	32,39.15	(-)0.01
पुनर्वि०	27,03.35			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 27,03.35 लाख का आवर्धन हिमफैड ऋणों का एक मुश्त भुगतान करने के कारण हुआ।

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम-

- 01- सामान्य अर्थोपाय अग्रिम  
और ओवर ड्राफ्ट-

**योजनेतर**

मूल	1.00			
पूरक	35,61,73.32	35,97,22.00	41,92,80.00	+5,95,58.00
पुनर्वि०	35,47.68			

₹ 5,95,58.00 लाख के सारभूत अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोजन में ₹ 35,47.68 लाख का आवर्धन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों के भुगतान के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 5,95,58.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शॉर्टफाल  
तथा ओवर ड्राफ्ट-

**विनियोग लेखे**

### अनुदान संख्या-29 (समाप्त)

#### योजनेतर

पूरक 22,18,57.00 22,18,57.00 25,89,82.13 +3,71,25.13

₹ 3,71,25.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

(xiii) उपरोक्त आधिक्य मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अर्न्तगत हुई बचत से अंशतः प्रतिसन्तुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			( ₹ लाख में )

#### 6003- राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-

109- अन्य संस्थाओं से ऋण-

13- वन निगम से ऋण की चुकौती--

#### योजनेतर

मूल	1,01,80.00			
		39,29.00	39,29.00	..
पुनर्वि०	(-)62,51.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा विनियोजन में ₹ 62,51.00 लाख की कमी पण धारकों को मूलधन के पूर्व-भुगतान को स्थगित करने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 विविध सामान्य सेवाएं**

(शीर्ष- 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य (+) बचत (-)
<b>राजस्व प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	66,40,71		
	72,62,14	67,81,82	(-)4,80,32
पूरक	6,21,43		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,81,21
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	9,20,99		
	9,95,79	9,85,62	(-)10,17
पूरक	74,80		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10,16

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 4,80.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 6,21.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत प्रावधान में ₹ 10.17 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 74.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ ।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iii) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------------------------	-----------------------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

003- प्रशिक्षण-

03- हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान-

**योजनेतर**

मूल 4,03.03

3,08.36

3,08.36

..

पुनर्वि० (-)94.67

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 94.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक निपटान, मरम्मत, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय तथा कर्मचारी वर्ग द्वारा अधिक दौरे करने से हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

05- भाषा विकास-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल 3,80.37

पूरक 0.01

2,74.63

2,76.82

+ 2.19

पुनर्वि० (-)1,05.75

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,05.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि बाह्य स्रोतों से नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर अधिक व्यय, लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अधिक निपटान तथा टेलीफोन, पानी, विद्युत बिलों, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभारों व वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2204- खेलकूद एवं युवा सेवाएं -**

001- निदेशन तथा प्रशासन-

02- पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के अन्तर्गत व्यय-

**योजनागत**

मूल 1,18.50

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,18.50

₹ 1,18.50 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पण द्वारा मार्च 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा निधियों जारी न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया। जबकि केन्द्र ₹ 1,50.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

104- खेलकूद-

01- पर्वतारोहण संस्थान तथा सम्बद्ध खेल-मनाली-  
योजनेतर

मूल	3,82.15			
		3,04.25	3,04.27	+0.02
पुनर्वि०	(-)77.90			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 77.90 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

800- अन्य व्यय-

02- राष्ट्रीय सेवा योजना के हेतु  
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को  
सहायता अनुदान-  
योजनागत

मूल	87.50			
		60.46	60.45	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)27.04			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 27.04 लाख की कमी भारत सरकार से कम निधि जारी होने के कारण हुई।

**2205- कला एवं संस्कृति-**

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भु-निधि  
अधिनियम 1972 के क्रियाकरण  
पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	20.00			
		5.85	5.85	..
पुनर्वि०	(-)14.15			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.15 लाख की कमी प्राचीन कला के क्रियाकरण की कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

104- अभिलेखागार-

01- राज्य अभिलेखागार की स्थापना-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

(i)	मूल	78.46			
			54.43	54.04	(-)0.39
	पुनर्वि०	(-)24.03			

107- संग्रहालय-

01- हिमाचल राज्य संग्रहालय-

**योजनेतर**

(ii)	मूल	1,88.41			
			1,53.85	1,54.24	+0.39
	पुनर्वि०	(-)34.56			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 58.59 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

01- फिल्म-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- निदेशालय-

**योजनेतर**

मूल	4,84.33			
		4,13.23	4,13.22	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)71.10			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 71.10 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, टेलीफोन, पानी प्रभागों तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

02- जिला स्थापना-

**योजनेतर**

मूल	5,62.06			
		5,13.09	5,13.08	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)48.97			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 48.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने से हुई।

105- फिल्मों का निर्माण-

01- इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का उत्पादन और प्रसार-

**योजनेतर**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

मूल	1,63.71			
		1,51.74	1,51.75	+0.01

पुनर्वि० (-)11.97

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 11.97 लाख की कमी वस्तुओं की खरीद पर कम व्यय तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

60- अन्य-

107- गीत तथा ड्रामा सेवाएँ-

01- गीत तथा ड्रामा सेवाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,42.11			
		1,27.88	1,27.88	..

पुनर्वि० (-)14.23

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 14.23 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने, पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा वाहनों की कम मुरम्मत के कारण हुई।

**2250- अन्य सामाजिक सेवाएं-**

103- पवित्र स्थानों, मंदिरों आदि का रख-रखाव-

01- मन्दिरों का प्रबन्धन-

**योजनेतर**

मूल	91.71			
		70.62	71.06	+0.44

पुनर्वि० (-)21.09

मार्च 2015 में पुनर्विनियोज/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 21.09 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-**

003- प्रशिक्षण-

01- भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों पर प्रशिक्षण व्यय-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

मूल	64.42			
		1,10.29	1,10.28	(-)0.01
पुनर्वि०	45.87			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 45.87 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, पावर प्लांट की स्थापना पर अधिक व्यय तथा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजनों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ ।

02- हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के  
परिवीक्षाधीनों पर प्रशिक्षण व्यय-  
**योजनेतर**

मूल	44.41			
		68.70	68.69	(-)0.01
पुनर्वि०	24.29			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 24.29 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, कर्मचारी वर्ग द्वारा कम दौरे करने तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ ।

118- नागरिकता अधिनियम का प्रशासन -

01- राज्य सूचना आयोग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,44.19			
		1,69.37	1,69.38	+0.01
पुनर्वि०	25.18			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.18 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, नए वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभागों, वाहनों की मरम्मत, विद्युत तथा पानी के बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2205- कला तथा संस्कृति-**

102- कला तथा संस्कृति का संवर्धन-

01- हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति तथा भाषा  
अकादमी को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	1,09.35			
		1,34.35	1,34.35	..
पुनर्वि०	25.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (क्रमशः)**

103- पुरातत्व विज्ञान-

01- प्राचीन कला और कला भु-निधि अधिनियम  
1972 के क्रियाकरण पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,53.24				
		1,64.24	1,65.35	+1.11	

पुनर्वि० 11.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः प्राचीन कला के क्रियाकरण के मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

107- संग्रहालय-

01- हिमाचल राज्य संग्रहालय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	5.00				
		5.00	5.00	..	

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 5.00 लाख का आवर्धन राज्य संग्रहालयों के विकास पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

60- अन्य-

101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-

01- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार  
पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	8,72.98				
पूरक	3,50.00	12,66.12	12,66.12	..	
पुनर्वि०	43.14				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 43.14 लाख का आवर्धन मुख्यतः विज्ञापन तथा प्रचार पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि पेट्रोल, तेल, स्नेहक प्रभारों तथा वाहनों की मुरम्मत पर कम व्यय तथा रिक्त पदों को न भरने से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

102- सूचना केन्द्र-

01- प्रैस सूचना सेवाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,88.27				
		2,03.48	2,03.47	(-)0.01	

पुनर्वि० 15.21

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-30 (समाप्त)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.21 लाख का आवर्धन मानदेय के भुगतान पर अधिक व्यय, मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा नये वाहनों की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

(v) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)
<b>4220- सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
60- अन्य-			
101- भवन-			
01- लोक निर्माण-कार्य -			
<b>योजनागत</b>			
मूल	35.00		
		25.49	25.49
पुनर्वि०	(-)9.51		..

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9.51 लाख की कमी भवनों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-31 जनजातीय विकास

(शीर्ष -2014 - न्याय प्रशासन, 2015- निर्वाचन, 2029- भू-राजस्व, 2030- स्टॉम्प तथा पंजीकरण, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2053- जिला प्रशासन, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2055- पुलिस, 2056- जेल, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलपूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230- श्रम तथा रोजगार, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2401- फसल कृषि-कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2408- खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार, 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425- सहकारिता, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2506- भूमि-सुधार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2702- लघु सिंचाई, 2801-बिजली, 2810- नई तथा नवीकरण उर्जा, 2851- ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 3053- नागर विमानन, 3054- सड़क तथा सेतु, 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3452- पर्यटन, 3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3456- सिविल पूर्ति, 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401- फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801- बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण।

कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ हजार में)	

राजस्व प्रवर्ग  
दत्तमत

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	7,23,86,69			
		7,58,82,30	7,52,87,26	(-)5,95,04
अनुपूरक	34,95,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2015)				30,21,59
<b>प्रभारित</b>				
मूल	..			
		..	1,21	+1,21
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
<b>पूँजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,99,80,69			
		1,99,80,73	1,92,63,51	(-)7,17,22
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियां तथा अभ्युक्तियां**

- (i) राजस्व प्रवर्ग के प्रभारित विनियोजन में ₹ 1,20,552 के आधिक्य का नियमन अपेक्षित है।
- (ii) राजस्व प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 5,95.04 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 34,95.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ तथा ₹ 30,21.59 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूँजीगत प्रवर्ग के दत्तमत प्रावधान में ₹ 7,17.22 लाख की अंतिम बचत हुई परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2014- न्याय प्रशासन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- सिविल तथा सत्र न्यायलय पर व्यय-  
योजनेतर

मूल	1,69.68			
		1,58.50	1,56.23	(-)2.27
पुनर्वि०	(-)11.18			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.18 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मुख्यतः कर्मचारी वर्ग के स्थानांतरण तथा यात्रा पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2029- भू-राजस्व-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

03- प्राथमिक तथा पर्यवेक्षण अभिलेख  
अभिकरणों का सुदृढीकरण (जिला प्रभार)-  
योजनेतर

मूल	1,19.77			
		1,19.41	1,01.06	(-)18.35
पुनर्वि०	(-)0.36			

₹ 18.35 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2053- जिला प्रशासन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-

01- जिला स्थापना पर व्यय-  
योजनेतर

मूल	8,39.23			
		8,58.90	8,00.93	(-)57.97
पुनर्वि०	19.67			

₹ 57.97 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.67 लाख का आवर्धन मुख्यतः पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों आदि पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 57.97 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- उप-मण्डलीय स्थापना पर व्यय-

योजनेतर

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

(i)	मूल	99.35			
			99.51	88.17	(-)11.34
	पुनर्वि०	0.16			
03- कर्मचारियों की नियुक्ति पर व्यय- योजनेतर					
(ii)	मूल	1,63.84			
			1,64.24	1,26.92	(-)37.32
	पुनर्वि०	0.40			
05- आवासीय आयुक्त, पांगी के कार्यालय पर व्यय- योजनेतर					
(iii)	मूल	35.21			
			36.27	21.72	(-)14.55
	पुनर्वि०	1.06			
उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 63.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।					
10- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम- (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)					
<b>योजनागत</b>					
	मूल	23,10.00			
			21,00.00	21,00.00	..
	पुनर्वि०	(-)2,10.00			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,10.00 लाख की कमी सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु कार्यों पर कम व्यय के कारण हुई।					
<b>2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-</b>					
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-					
01- जिला कोषागार तथा उप कोषागार पर व्यय-					
<b>योजनेतर</b>					
	मूल	2,98.65			
			2,34.00	2,33.52	(-)0.48
	पुनर्वि०	(-)64.65			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64.65 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि मुख्यतः पानी, टेलीफोन और विधुत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।					



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2056- जेल-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- जेल स्थापनाओं पर व्यय

**योजनेतर**

मूल	4.49			
		0.23	0.09	(-)0.14
पुनर्वि०	(-)4.46			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4.46 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- सरकारी जिला राजस्व भवनों के रख रखाव तथा मरम्मत पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	3.91			
		2.75	2.06	(-)0.69
पुनर्वि०	(-)1.16			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.16 लाख की कमी सरकारी जिला राजस्व भवनों के रख रखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

05- नए औजारों तथा संयन्त्रों की आपूर्ति पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	12.65			
		6.06	6.06	..
पुनर्वि०	(-)6.59			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.59 लाख की कमी नए औजारों तथा संयन्त्रों की आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

11- वसुलियों के समायोजन हेतु

रख-रखाव का प्रावधान-

**योजनेतर**

मूल	8,29.62			
		7,09.12	1,08.07	(-)1.05
पुनर्वि०	(-)1,20.50			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,20.50 लाख की कमी वसुलियों के समायोजन हेतु रख-रखाव के प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम सम्बंधी स्थापना पर व्यय-  
**योजनेतर**

मूल	5,35.58			
		3,75.24	3,74.87	(-)0.37
पुनर्वि०	(-)1,60.34			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,60.34 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त होने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित  
कार्य प्रभारी कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	9,17.88			
		7,56.45	7,54.26	(-)2.19
पुनर्वि०	(-)1,61.43			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,61.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

05- प्राथमिक पाठशालाओं का रखरखाव-

**योजनागत**

मूल	34.00			
		21.45	22.88	+1.43
पुनर्वि०	(-)12.55			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.55 लाख की कमी प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों भवनों के रखरखाव पर कम व्यय के कारण हुई।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

04- राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो -

**योजनेतर**

मूल	1,50.44			
		1,40.58	1,40.58	..
पुनर्वि०	(-)9.86			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.86 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि पानी, टेलीफोन तथा विधुत प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारंभिक शिक्षा-

796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी  
के कार्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,49.75			
		53.88	53.89	+0.01
पुनर्वि०	(-)95.87			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 95.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

03- प्राथमिक पाठशालाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	48,70.13			
		47,94.87	47,94.88	+0.01
पुनर्वि०	(-)75.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 9,28.51 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, यात्राओं पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

07- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	72.00			
		26.14	26.14	..
पुनर्वि०	(-)45.86			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 45.86 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, पानी, टेलीफोन तथा विधुत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

09- प्राथमिक शिक्षा पर व्यय-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	6.50			
		1.82	1.82	..
पुनर्वि०	(-)4.68			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.68 लाख की कमी छात्रवृत्तियों पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>10- अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनुदान-योजनागत</b>				
मूल	2,34.00			
पूरक	44.69	2,53.19	2,53.19	..
पुनर्वि०	(-)25.50			
मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 25.50 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को कम अनुदान देने के कारण हुआ।				
<b>11- गर्म सुपाच्य भोजन मध्याह्न भोजन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना योजनागत</b>				
मूल	6,30.00			
		3,40.64	3,40.64	..
पुनर्वि०	(-)2,89.36			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,89.36 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री की खरीद तथा मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई जो कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक व्यय, मशीनों की खरीद, पानी, टेलीफोन व विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 74,60.91 लाख था।				
<b>योजनागत</b>				
मूल	2,07.00			
		1,95.70	1,95.70	..
पुनर्वि०	(-)11.30			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.30 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री की कम खरीद तथा मानदेय के भुगतान पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>12- सर्व शिक्षा अभियान-</b>				
<b>योजनागत</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	8,11.00			
		3,80.57	3,80.57	..
पुनर्वि०	(-) 4,30.43			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,30.43 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
16- महात्मा गांधी वर्दी योजना-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1,35.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,35.00			
₹ 1,35.00 लाख का समस्त प्रावधान व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।				
02- माध्यमिक शिक्षा-				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-				
01- जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों तथा कर्मचारियों पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	1,04.43			
		75.35	75.34	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)29.08			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.08 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के इलावा माध्यमिक पाठशालाओं पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	30,26.86			
		26,13.59	26,13.59	..
पुनर्वि०	(-)4,13.27			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,13.27 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा पानी, टेलीफोन व विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।				
03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों पर व्यय- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल 45.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)45.00

₹ 45.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में रिक्त पदों को न भरने के कारण पुनर्विनियोजन कर दिया गया।

**योजनेतर**

(i) मूल 35,14.67

30,47.43 30,47.43 ..

पुनर्वि० (-)4,67.24

09- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

**योजनागत**

(ii) मूल 1,53.00

50.66 50.66 ..

पुनर्वि० (-)1,02.34

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,69.58 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

11- प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना-

**योजनागत**

मूल 13.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)13.00

₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों पर व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- डिग्री महाविद्यालयों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 4,46.21

3,98.34 3,98.34 ..

पुनर्वि० (-)47.87

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.87 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

04- सूचना एवं संचार तकनीक चरण-1-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

**योजनागत**

(i) मूल 45.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)45.00

**योजनागत**

(ii) मूल 72.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)72.00

05- सूचना एवं संचार तकनीक

केन्द्रीय प्रायोजित योजना-

**योजनागत**

(iii) मूल 72.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)72.00

**योजनागत**

(iv) मूल 90.00

.. .. ..

पुनर्वि0 (-)90.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 2,79.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सूचना एवं संचार तकनीकी फेज-2 के अन्तर्गत शून्य व्यय के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

04- पौढ़ शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- साक्षर भारत-

**योजनागत**

मूल 5.00 5.00 .. (-)5.00

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

05- पंचायत युवा क्रीडा खेल अभियान-

**योजनागत**

मूल 18.00

पुनर्वि० (-)18.00

₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**2205- कला एवं संस्कृति-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- सार्वजनिक पुस्तकालयों पर व्यय-

**योजनेतर**

(i) मूल 27.55

17.09

17.09

..

पुनर्वि० (-)10.46

02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल 37.93

21.54

20.87

(-)0.67

पुनर्वि० (-)16.39

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- ऐलोपैथी-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- ऐलोपैथी कार्यक्रमों पर व्यय-

**योजनेतर**

(iii) मूल 3,90.12

3,53.41

3,53.40

(-)0.01

पुनर्वि० (-)36.71

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 63.56 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य

चिकित्सा पद्धतियाँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

04- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-  
योजनेतर

मूल-	4,99.98			
		4,31.56	4,33.16	+1.60
पुनर्वि०	(-)68.42			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 68.42 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा आयुर्वेदिक कार्यक्रमों को कम सहायता अनुदान देने के कारण हुई।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- स्नातकोत्तर तथा प्रशिक्षु डाक्टरों  
को छात्रवृत्ति (दन्त महाविद्यालय)-  
योजनागत

मूल	4.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)4.00			

₹ 4.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में छात्रवृत्तियों/शिष्यावृत्तियों पर व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

02- इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय  
का उन्नयन-

योजनागत

मूल	1,79.00			
		1,78.86	1,15.92	(-)62.94
पुनर्वि०	(-)0.14			

₹ 62.94 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2005)।

**2211- परिवार कल्याण-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-

योजनागत

मूल	2,70.00			
		2,33.00	2,33.00	..
पुनर्वि०	(-)37.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

09- वसूलियों के समायोजन हेतु रख रखाव प्रावधान-

**योजनेतर**

मूल 14,70.77

9,87.92 11,08.28 +1,20.36

पुनर्वि0 (-)4,82.85

₹ 1,20.36 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,82.85 लाख की कमी मुख्यतः वसूलियों के समायोजन हेतु रख रखाव प्रावधान पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 1,20.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

11- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक 1,01.83

96.62 31.41 (-)65.21

पुनर्वि0 (-)5.21

₹ 65.21 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- मल जल तथा सफाई-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- मल निकासी योजना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 17.00

13.23 9.15 (-)4.08

पुनर्वि0 (-)3.77

₹ 4.08 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.77 लाख की कमी मल निकासी योजना पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 4.08 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2216- आवास-**

03- ग्रामीण आवास-

796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- 01- ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों को गाँधी कुटीर योजना के अन्तर्गत आवास-योजनागत

मूल	1,17.00			
		76.15	71.27	(-)4.88
पुनर्वि०	(-)40.85			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.85 लाख की कमी गाँधी कुटीर योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

**2217- शहरी विकास-**

- 03- अन्य-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान-योजनागत

मूल	60.00			
		25.00	25.00	..
पुनर्वि०	(-) 35.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 35.00 लाख की कमी सहायता अनुदान पर कम व्यय तथा पूंजीगत वस्तुओं हेतु सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

**2220- सूचना तथा प्रचार-**

- 60- अन्य-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
02- प्रचार कार्यक्रम पर व्यय-योजनेतर

मूल	93.38			
पूरक	0.01	72.83	72.72	(-)0.11
पुनर्वि०	(-)20.56			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.56 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति करने के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

**2225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

- 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-  
796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	1,49.84			
		1,10.03	1,10.03	..
पुनर्वि०	(-)39.81			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.81 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि पानी, टेलीफोन तथा विधुत बिलों आदि पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

- 05- हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम पर विशेष केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	45.00			
		20.00	20.00	..
पुनर्वि०	(-)25.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम पर सहायता अनुदान पर कम व्यय के कारण हुई।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

- 02- सामाजिक सुरक्षा-  
796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	3.00			
		1.91	1.92	+0.01
पूरक	(-)1.09			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.09 लाख की कमी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर कम व्यय होने के कारण हुई।

- 02- एकीकृत शिशु सुरक्षा सेवाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	25.00			
		4.91	4.91	..
पूरक	(-)20.09			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.09 लाख की कमी एकीकृत शिशु सुरक्षा सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

03- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	11,70.00			
पूरक	1.50	5,07.54	5,14.77	+ 7.23
पुनर्वि०	(-)6,63.96			

मार्च 2014 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,63.96 लाख की कमी मुख्यतः मानदेय बिलों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, किराया, कर बिलों की कम प्राप्ति तथा पानी, टेलीफोन व विधुत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 13,60.28 लाख प्राप्त हुए।

**योजनागत**

मूल	1,68.00			
		1,27.49	1,27.49	..
पूरक	(-)40.51			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 40.51 लाख की कमी मुख्यतः कम मानदेय बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

10- विशेष महिला उत्थान योजना-

**योजनागत**

मूल	7.00			
		..	..	..
पूरक	(-)7.00			

₹ 7.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में महिला उत्थान योजना पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

13- संकटग्रस्त महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण-

**योजनागत**

मूल	1.00			
		..	..	..
पूरक	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संकटग्रस्त महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- आयुक्त जनजातीय/अनुसूचित जाति  
के कार्यालय पर व्यय-**योजनेतर**

मूल	1,23.24			
		96.53	97.95	+1.42
पुनर्वि०	(-)26.71			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 26.71 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

**योजनागत**

मूल	53.00			
		22.34	22.82	+0.48
पुनर्वि०	(-)30.66			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.66 लाख की कमी मुरम्मत, पेट्रोल, तेल, तथा स्नेहक प्रभारों पर कम व्यय, बाह्य स्त्रोंत से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय तथा टेलीफोन, पानी व विधुत प्रभारों पर कम व्यय के कारण हुआ।

03- मूलभूत सुविधाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	6,85.02			
		5,44.02	5.53.07	+ 9.05
पुनर्वि०	(-)1,41.00			

₹ 9.05 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,41.00 लाख की कमी मुख्यतः बाह्य स्त्रोंतों से प्राप्त सेवाओं पर तथा मूलभूत सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 9.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2401- फसल कृषि-कर्म-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- कृषि विभाग की जिला स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	83.19			
		46.86	43.66	(-)3.20
पुनर्वि०	(-)36.33			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 36.33 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- कृषि योजनाओं पर व्यय-  
योजनेतर

मूल	2,18.20			
		1,45.96	1,34.53	(-)11.43
पुनर्वि०	(-)72.24			

₹ 11.43 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 72.24 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कृषि योजनाओं उपदान पर कम व्यय के कारण हुई जो कि मुख्यतः दैनिक वेतन की दरों में वृद्धि के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 11.43 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**योजनागत**

मूल	1,00.53			
		69.96	67.33	(-) 2.63
पुनर्वि०	(-)30.57			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 30.57 लाख की कमी सामग्री तथा आपूर्ति पर कम व्यय तथा कृषि योजनाओं पर उपदान में कम व्यय के कारण हुई।

03- कृषि योजनाओं पर व्यय (सामान्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण)-

**योजनागत**

(i) मूल	46.71			
		50.08	41.33	(-)8.75
पुनर्वि०	3.37			

05- उद्यान योजनाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	6,58.68	6,58.68	5,16.28	(-)1,42.40
----------	---------	---------	---------	------------

17- उद्यान योजनाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

(iii) मूल	1,09.04	1,09.04	63.92	(-)45.12
-----------	---------	---------	-------	----------

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 1,96.27 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

मूल	3.00			
		1.25	1.25	..
पुनर्वि०	(-)1.75			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की कमी मुख्यतः टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर कम व्यय के कारण हुई।

20- कृषि महाप्रबन्धन-

**योजनागत**

मूल	2.50			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-) 2.50			

₹ 2.50 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में कृषि महाप्रबंधन में उपदान पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

22- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना -  
विशेष केन्द्रीय सहायता

**योजनागत**

मूल	4,95.00			
		1,21.40	1,26.59	+5.19
पुनर्वि०	(-)3,73.60			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,73.60 लाख की कमी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत उपदान पर कम व्यय, टेलीफोन, पानी, विद्युत बिलों तथा बाह्य स्त्रोंतों से प्राप्त सेवाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

25- मधुमक्खी पालन पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	2.00			
		3.02	1.84	(-)1.18
पुनर्वि०	1.02			

₹ 1.18 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.02 लाख की आवर्धन मुख्यतः सामग्री तथा आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 1.18 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

32- पुष्पोत्पादन के विकास पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(i) मूल	4.00	4.00	..	(-) <b>4.00</b>
---------	------	------	----	-----------------

34- मशरूम के विकास पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(ii) मूल	3.00			
		2.27	0.28	(-) <b>1.99</b>

पुनर्वि० (-) 0.73

36- पौधों के वितरण पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(iii) मूल	18.00	18.00	3.14	(-) <b>6.00</b>
-----------	-------	-------	------	-----------------

38- नई नर्सरियों की स्थापना पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(iv) मूल	6.00	6.00	..	(-) <b>6.00</b>
----------	------	------	----	-----------------

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 26.85 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

43- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों  
के लिए उद्यान मिशन के अंतर्गत  
संरक्षित खेती योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01			
		10.00	..	(-) <b>10.00</b>

पुनर्वि० 9.99

₹ 10.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख का आवर्धन उद्यान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित खेती योजना के उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अवास्तविक सिद्ध हुआ जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 42,41.66 लाख प्राप्त हुए थे।

₹ 10.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	89.99			
		50.93	11.73	(-) <b>39.20</b>
पुनर्वि०	(-) <b>39.06</b>			

₹ 39.20 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.06 लाख का कमी उधान मिशन के अन्तर्गत संरक्षित कृषि पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अवास्तविक सिद्ध हुआ

₹ 39.20 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 44- तिलहन, दालों, ताड़ के तेल तथा मक्के हेतु एकीकृत योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	9.00			
		..	9.00	+9.00
पुनर्वि०	(-) <b>9.00</b>			

₹ 9.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी तिलहन, दालों, ताड़ के तेल तथा मक्के हेतु एकीकृत योजना के उपदान पर शून्य व्यय के कारण हुई जो कि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 9.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 45- स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

पूरक	38.20			
		..	38.20	+38.20
पुनर्वि०	(-) <b>38.20</b>			

₹ 38.20 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्ण द्वारा प्रावधान में ₹ 38.20 लाख का कमी स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत उपदान पर शून्य व्यय करने के कारण हुई जो कि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 38.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	1,17.00			
		48.75	48.75	..
पुनर्वि०	(-)68.25			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.25 लाख की कमी उधान विकास हेतु उपदान पर कम व्यय के कारण हुई जबकि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 52,51.92 लाख थी।				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1,09.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,09.00			
₹ 1,09.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में स्थाई कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत उपदान पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया ।				
<b>2402- मृदा तथा जल संरक्षण-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-				
01- कृषि भूमि पर भू-संरक्षण पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	1,41.84			
		1,12.45	1,06.39	(-)6.08
पुनर्वि०	(-)29.39			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.39 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।				
02- मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम- (वन विभाग)				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	3,23.32			
		2,08.16	2,08.16	..
पुनर्वि०	(-)1,15.16			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,15.16 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा मार्च के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुई।				
06- लघु तथा सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता-				
<b>योजनागत</b>				
(i) मूल	55.42			
		40.42	40.42	..
पुनर्वि०	(-)15.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

**योजनागत**

(ii) मूल 63.00

30.00 30.00 ..

पुनर्वि० (-)33.00

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 48.00 लाख की कमी लघु कार्यों के अन्तर्गत भवनों पर कम व्यय के कारण हुई।

**2403- पशु पालन-**

796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- जिला प्रशासन पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 1,55.58

1,17.82 1,20.84 +3.02

पुनर्वि० (-)37.76

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.76 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- पशु चिकित्सा योजनाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 14,49.15

12,03.55 12,30.39 + 26.84

पुनर्वि० (-)2,45.60

₹ 26.84 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन /अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.60 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 26.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2015) ।

03- कुक्कुट विकास पर व्यय -

**योजनेतर**

(i) मूल 16.23

12.02 12.02 ..

पुनर्वि० (-)4.21

04- भेड़ तथा ऊँ विकास पर व्यय-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

(ii) मूल	1,34.02			
		79.56	81.59	+2.03
पुनर्वि०	(-)54.46			
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.67 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
05- पशु पालन कार्यक्रम पर व्यय-				
(विशेष केन्द्रीय सहायता)				
केन्द्रीय योजना				
<b>योजनागत</b>				
मूल	1,41.40			
		1,19.07	1,20.91	+1.84
पुनर्वि०	(-)22.23			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.23 लाख की कमी मुख्यतः सामग्री तथा आपूर्ति पर कम व्यय तथा संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।				
07- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों				
के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत				
पशुचिकित्सा कार्यक्रम पर व्यय-				
केन्द्रीय योजना				
<b>योजनागत</b>				
मूल	82.00			
		69.26	69.26	..
पुनर्वि०	(-)12.74			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.74 लाख की कमी सामग्री तथा आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई जो कि जनजातीय क्षेत्रों में पशु पालन कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।				
12- पशुओं की बीमारियों की रोकथाम-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>				
मूल	14.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)14.00			
₹ 14.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सामग्री और आपूर्ति पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-**

01- वानिकी

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	11,10.60			
		7,76.47	7,76.49	+0.02

पुनर्वि० (-)3,34.13

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,34.13 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

02- वानिकी कार्यक्रम-

**योजनेतर**

मूल	3,35.21			
		3,15.04	3,06.04	(-)9.00

पुनर्वि० (-)20.17

₹ 9.00 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.17 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 9.00 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2015) ।

07- चिलगोजा पाईन की पुनरुत्पत्ति पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	35.81			
		17.98	17.98	..

पुनर्वि० (-)17.83

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.83 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- वन्य प्राणी अभ्यारहण के सघन प्रबन्धन पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	18.00			
पूरक	98.38	1,07.68	1,07.68	..
पुनर्वि०	(-)8.70			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 8.70 लाख की कमी मुख्यतः वन्य प्राणी अभ्यारण्य के सघन प्रबन्धन पर कम व्यय के कारण हुई।

04- पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क के विकास पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	27.00			
पूरक	0.50	9.03	9.03	..
पुनर्वि०	(-)18.47			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.47 लाख की कमी मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्त तथा सामग्री व आपूर्ति पर कम व्यय के कारण हुई।

**योजनेतर**

मूल	41.28			
		30.31	30.31	..
पुनर्वि०	(-)10.97			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.97 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण हुई ।

**2408- खाद्य भंडारण और भाण्डागार-**

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- खाद्य संगठन पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	1,03.52			
		1,14.53	87.04	(-)27.49
पुनर्वि०	11.01			

₹ 27.49 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.01 लाख का आवर्धन मुख्यतः खाद्य संगठनों पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन दर में बढ़ौतरी के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 27.49 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे(जुलाई 2015) ।

**2425- सहकारिता-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- सहकारिता योजनाओं पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	2,19.30			
		1,52.25	1,44.60	(-)7.65
पुनर्वि०	(-)67.05			

₹ 7.65 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 67.05 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 7.65 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

03- मरुस्थल विकास कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- मरुस्थल क्षेत्र विकास पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	75.00			
		10.00	10.00	..
पुनर्वि०	(-)65.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 65.00 लाख की कमी मरुस्थल क्षेत्र के विकास पर कम व्यय के कारण हुई।

06- स्वरोजगार योजना -

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम-

**योजनागत**

मूल	1,53.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1,53.00			

₹ 1,53.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में जलागम प्रबंधन कार्यक्रम पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

03- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	43.00			
पूरक	4.83	29.07	29.07	..
पुनर्वि०	(-)18.76			



## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 18.76 लाख की कमी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।

**2505- ग्रामीण रोजगार-**

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

07- महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

**योजनागत**

मूल 1,80.00

1,08.72

1,08.72

..

पुनर्वि० (-)71.28

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 71.28 लाख की कमी महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम पर कम व्यय के कारण हुई ।

**2506- भूमि सुधार-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- जिला कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 36.58

36.58

25.89

(-)10.69

₹ 10.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- पंचायत योजनाओं पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 1,43.84

1,15.41

1,15.39

(-)0.02

पुनर्वि० (-)28.43

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 28.43 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई ।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रम

के विस्तार पर व्यय-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल 45.00

13.00

13.00

..

पुनर्वि० (-)32.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 32.00 लाख की कमी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विस्तार पर कम व्यय के कारण हुई।

**योजनेतर**

मूल	5,38.32			
		4,69.37	4,27.68	(-)41.69
पुनर्वि०	(-)68.95			

₹ 41.69 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 68.95 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 41.69 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**10- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान-**

**योजनागत**

मूल	1,58.00			
पूरक	5.79	1,51.03	1,51.03	..
पुनर्वि०	(-)12.76			

मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 12.76 लाख की कमी स्वच्छता अभियान में कम अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।

**11- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान-**

**योजनागत**

मूल	80.00			
		45.77	45.77	..
पुनर्वि०	(-)34.23			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.23 लाख की कमी राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान पर कम व्यय के कारण हुई।

**13- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-**

(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		1,5.00	1,5.00	..
पुनर्वि०	(-)85.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 85.00 लाख की कमी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में कम व्यय के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-

06- स्थाई स्थापना में परिवर्तित  
कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग  
पर व्यय-**योजनेतर**

(i) मूल	5,35.12			
		4,54.06	4,68.91	+14.85
पुनर्वि०	(-)81.06			

07- स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	4,31.96			
		3,24.61	3,33.31	+8.70
पुनर्वि०	(-)1,07.35			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 23.55 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,88.41 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अत्याधिक सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों ₹ 23.55 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

11- वसूलियों के समायोजन हेतु  
रखरखाव का प्रावधान-**योजनेतर**

मूल	4,83.38			
		1,32.17	1,53.55	+21.38
पुनर्वि०	(-)3,51.21			

₹ 21.38 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,51.21 लाख की कमी भवनों के रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 21.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-

01- औद्योगिक स्कीमों पर व्यय-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	47.93	..	..	..
पुनर्वि०	(-)47.93			
₹ 47.93 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में वस्तुओं की खरीद न करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।				
<b>02- जिला औद्योगिक केन्द्रों पर व्यय-</b>				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	1,27.32	70.97	70.75	(-)0.22
पुनर्वि०	(-)56.35			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 56.35 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।				
<b>03- ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम तथा</b>				
<b>ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रमों पर व्यय-</b>				
<b>योजनागत</b>				
मूल	34.62	25.44	25.40	(-)0.04
पुनर्वि०	(-)9.18			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.18 लाख की कमी मुख्यतः ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम, ग्रामीण शिल्पकार कार्यक्रमों तथा बाह्य स्रोतों, छात्रवृत्तियों व शिष्यवृत्तियों पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>08- एकीकृत हथकरघा विकास योजना -</b>				
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजना</b>				
<b>योजनागत</b>				
मूल	9.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)9.00			
₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में वेतन पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>योजनागत</b>				
(i) मूल	3.00	..	..	..
पुनर्वि०	(-)3.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

09- स्वास्थ्य बीमा योजना-  
योजनागत

(ii) मूल 1.35

पुनर्वि० (-)1.35

10- खादी उद्योग पर व्यय-  
योजनेतर

(iii) मूल 2.42

पुनर्वि० (-)2.42

11- हथकरघा उद्योग इकाइयों पर व्यय-  
योजनेतर

(iv) मूल 1.21

पुनर्वि० (-)1.21

12- कारपेट केन्द्रों को सहायता  
अनुदान पर व्यय-  
योजनेतर

(v) मूल 1.21

पुनर्वि० (-)1.21

उपरोक्त पाँच मामलो में ₹ 9.19 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में वेतन पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

18- हथकरघा क्षेत्र के सुधार तथा  
पुनर्निर्माण पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में हथकरघा क्षेत्र के सुधार तथा पुनर्निर्माण पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

19- तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत  
विशेष पहचान संख्या हेतु प्रोत्साहन सहायता-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल 11.00

पुनर्वि० (-)11.00

₹ 11.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत विशेष पहचान संख्या हेतु अनुदान पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

20- सूचना तकनीक तथा ई-गवर्नेंस-

**योजनागत**

मूल 18.00

पुनर्वि० (-)18.00

₹ 18.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में मशीनों तथा उपकरणों पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन कर दिया गया।

21- राष्ट्रीय खाद्य विधायन मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनेतर**

मूल 9.00

पुनर्वि० (-)9.00

₹ 9.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में वेतन पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**3053- नागर विमानन-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- जनजातीय क्षेत्रों के लिए हेलीकाप्टर सेवा-

**योजनागत**

मूल 12.00

पुनर्वि० (-)12.00

₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में बाह्य स्रोतों से सेवाओं पर व्यय न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**3054- सड़क तथा सेतु-**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- ग्रामीण सड़कें तथा पुल कार्यक्रमों  
के अन्तर्गत स्थापना पर व्यय-

**योजनेतर**

(i) मूल	14,57.30			
		11,57.30	11,05.90	(-)51.40
पुनर्वि०	(-)3,00.00			

02- कार्य प्रभारित को स्थाई बनाने पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	55,98.82			
		52,49.16	51,74.56	(-)74.60
पुनर्वि०	(-)3,49.66			

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,26.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 6,49.66 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,26.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

05- वसूलियों के समायोजन हेतु  
रखरखाव प्रावधान-

**योजनेतर**

मूल	50,55.35	50,55.35	49,62.09	(-)93.26
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 93.26 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**3456- नागरिक आपूर्ति-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- लाहौल एवं स्पिति के जिला कार्यालयों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	3.59			
		1.59	..	(-)1.59
पुनर्वि०	(-)2.00			

₹ 1.59 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 1.59 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- (v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)<br>बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
|-------|------------|---------------|-----------------------|
- (₹ लाख में)

**2015- निर्वाचन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 72.10

79.31

79.49

+0.18

पुनर्वि० 7.21

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7.21 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण तथा पानी, टेलीफोन व विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- विधान सभा मतदाता सूचियों की तैयारी तथा मुद्रण पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल 12.80

16.53

16.53

..

पुनर्वि० 3.73

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.73 लाख का आवर्धन मुख्यतः विधान सभा चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा मुद्रण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

05- संसदीय चुनावों के करवाने पर भारित व्यय-

**योजनेतर**

मूल 0.06

1,23.53

1,23.53

..

पुनर्वि० 1,23.47

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,23.47 लाख का आवर्धन मुख्यतः संसदीय चुनावों के करवाने पर अधिक व्यय, यात्रा पर अधिक व्यय तथा मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

06- स्थानीय निकायों के चुनावों के

संचालन पर भारित व्यय-

**योजनेतर**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	0.07			
		7.03	7.93	+0.90
पुनर्वि०	6.96			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.96 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।				
<b>2029- भू-राजस्व-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-				
01- जिला स्थापना पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	3,68.39			
		4,42.25	3,71.07	(-)71.18
पुनर्वि०	73.86			
₹ 71.18 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.86 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।				
₹ 71.18 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।				
<b>2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-				
01- करों के संग्रहण पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	59.08			
पूरक	0.01	67.25	64.60	(-)2.65
पुनर्वि०	8.16			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.16 लाख का आवर्धन मुख्यतः वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।				
<b>2047- अन्य राजकोषीय सेवाएं-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-				
01- लघु बचत संगठनों पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
मूल	8.12			
		10.09	9.37	(-)0.72
पुनर्वि०	1.97			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.97 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के कारण हुआ।

**2053- जिला प्रशासन-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	85.00			
		1,58.29	1,57.16	(-)1.13
पुनर्वि०	73.29			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.29 लाख का आवर्धन मुख्यतः कर्मचारियों की नियुक्ति पर अधिक व्यय तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2055- पुलिस-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- पुलिस संगठन पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	27,27.53			
		32,78.86	32,78.85	(-)0.01
पुनर्वि०	5,51.33			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,51.33 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पुलिस संगठन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- अपराध अनुसंधान तथा सतर्कता पर व्यय-

**योजनेतर**

(i) मूल	47.94			
		80.14	80.14	..
पुनर्वि०	32.20			

04- पुलिस रेडियो कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	4,66.23			
		5,04.69	5,04.68	(-)0.01
पुनर्वि०	38.46			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.66 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

07- सुरक्षा संबंधी व्यय-

**योजनागत**

पुनर्वि०	5.78	5.78	5.78	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.78 लाख का आवर्धन मानदेय पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

**2059- लोक निर्माण-कार्य-**

01- कार्यालय भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

07- उचन्त के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक निर्माण) -

**योजनेतर**

(i) मूल	10,00.00	10,00.00	13,54.93	+3,54.93
---------	----------	----------	----------	----------

08- उचन्त के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक निर्माण) -

**योजनेतर**

(ii) मूल	5,00.00	5,00.00	5,44.94	+44.94
----------	---------	---------	---------	--------

09- उचन्त के अन्तर्गत व्यय-

(विविध लोक निर्माण अग्रिम)

**योजनेतर**

(iii) मूल	5,00.00	5,00.00	9,61.52	+4,61.52
-----------	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 8,61.39 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं -**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- अग्निशमन केन्द्रों पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	63.24			
		91.12	84.94	(-)6.18
पुनर्वि०	27.88			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.88 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभारों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग के कार्यालय पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	3,20.24			
		3,40.68	3,40.68	..
पुनर्वि०	20.44			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.44 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

03- प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	2,80.76			
		7,35.43	7,35.43	..
पुनर्वि०	4,54.67			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,54.67 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा पानी, टेलीफोन तथा विधुत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि मुख्यतः लघु कार्यों में तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों पर कम व्यय तथा सामग्री की खरीद पर कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

07- जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	37.00			
		94.53	94.54	+0.01
पुनर्वि०	57.53			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 57.53 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- 12- सर्व शिक्षा अभियान -  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	6,64.00			
		7,06.77	7,06.77	..
पुनर्वि०	42.77			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.77 लाख का आवर्धन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ ।

- 02- माध्यमिक शिक्षा-

- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

- 02- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत  
माध्यमिक पाठशाला पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	1,53.84			
पूरक	16.43	4,64.84	4,64.85	+0.01
पुनर्वि०	2,94.57			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,94.57 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों आदि पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि मुख्यतः दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, लघु कार्यों पर कम व्यय तथा सामग्री की कम खरीद से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

- 03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के  
अतिरिक्त उच्च विद्यालयों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	4,80.20			
पूरक	25.00	10,07.59	10,07.59	..
पुनर्वि.	5,02.39			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,02.39 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों आदि पर अधिक व्यय, कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति तथा सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अतिरिक्त उच्चविद्यालयों पर कम व्यय पर हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

06- छात्राओं के लिए शौचालयों के निर्माण पर व्यय-  
**योजनागत**

मूल	1.00			
		2.00	2.00	..
पुनर्वि०	1.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.00 लाख का आवर्धन छात्राओं के लिए शौचालयों निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

09- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	47.26			
		1,52.00	1,52.00	..
पुनर्वि०	1,04.74			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,04.74 लाख का आवर्धन केन्द्र सरकार से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ ।

10- अभिभावक शिक्षक संघ के  
अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को  
सहायता अनुदान-

**योजनागत**

मूल	57.00			
		1,32.52	1,32.52	..
पुनर्वि०	75.52			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.52 लाख का आवर्धन मार्च 2015 के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ ।

14- विद्यालय प्रबंधन समिति को सहायता अनुदान-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		45.00	45.00	..
पुनर्वि०	44.99			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.99 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ ।

16- माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण

पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	90.00			
		1,31.31	1,31.31	..
पुनर्वि०	41.31			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.31 लाख का आवर्धन केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जोकि केन्द्रीय अंश के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण पर हुए कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 13,51.24 लाख प्राप्त हुए ।

**योजनागत**

मूल	0.02			
		43.77	43.77	..
पुनर्वि०	43.75			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान में ₹ 43.75 लाख का आवर्धन मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

08- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	88.60			
		1,27.24	1,27.24	+0.01
पुनर्वि०	38.64			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.64 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जबकि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 55,34.33 लाख था ।

**योजनागत**

मूल	0.01			
		14.14	14.14	..
पुनर्वि०	14.13			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.13 लाख का आवर्धन योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुआ ।

**2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- पर्वतारोहण पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	19.00			
		31.07	30.55	(-)0.52
पुनर्वि०	12.07			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.07 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पर्वतारोहण पर अधिक व्यय करने के कारण हुआ।

03- निदेशालय युवा सेवाएं तथा खेल पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	41.34			
		54.60	54.38	(-)0.22
पुनर्वि०	13.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.26 लाख का आवर्धन मुख्यतः दैनिक वेतन भागियों के नियमितीकरण तथा सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

**2205- कला एवं संस्कृति**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- पुरातत्व कक्ष पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	18.60			
		36.79	35.63	(-)1.16
पुनर्वि०	18.19			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.19 लाख का आवर्धन मुख्यतः सहायता अनुदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

04- पुस्तकालयों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	6.30			
		8.32	8.32	..
पुनर्वि०	2.02			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.02 लाख का आवर्धन मुख्यतः अधिक दैनिक वेतन भोगियों की अधिक नियुक्ति तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- एलोपैथिक कार्यक्रमों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 2,45.00

5,32.54

5,32.56

+0.02

पुनर्वि0 2,87.54

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,87.54 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने, पानी, टेलीफोन व विद्युत बिलों पर अधिक व्यय, सामग्री की खरीद पर अधिक व्यय तथा पेट्रोल, तेल व स्नेहक प्रभागों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि सहायता अनुदान के अन्तर्गत कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पर व्यय (प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र)-

विशेष केन्द्रीय सहायता

**योजनेतर**

मूल 4,50.20

5,94.28

5,94.26

(-)0.02

पुनर्वि0 1,44.08

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,44.08 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ ।

**योजनागत**

मूल 1,95.00

5,85.90

5,85.90

..

पुनर्वि0 3,90.90

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,90.90 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुई जोकि सहायता अनुदान पर कम व्यय, कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा यात्राओं पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- आयुर्वेदिक कार्यक्रमों पर व्यय-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	2,38.00			
		3,25.60	3,38.11	+12.51
पुनर्वि०	87.60			
<p>₹ 12.51 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 87.60 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ जोकि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति, किराया तथा कर बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई। ₹ 12.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।</p>				
06-	लोक स्वास्थ्य-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-			
01-	कर्मचारी वर्ग पर व्यय-			
	<b>योजनेतर</b>			
(i)	मूल	41.79		
			54.12	54.12
				..
	पुनर्वि०	12.33		
03-	क्षय रोग सर्वेक्षण तथा आधिवासीय परिचर्या पर व्यय -			
	<b>योजनेतर</b>			
(ii)	मूल	6.53		
			10.37	10.36
				(-)0.01
	पुनर्वि०	3.84		
07-	कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पर व्यय-			
	<b>योजनेतर</b>			
(iii)	मूल	6.15		
			9.43	9.43
				..
	पुनर्वि०	3.28		
09-	बहुउद्देशीय कार्यक्रम पर व्यय-			
	<b>योजनेतर</b>			
(iv)	मूल	28.83		
			37.98	37.98
				..
	पुनर्वि०	9.15		
<p>उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 28.60 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।</p>				
	<b>योजनागत</b>			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	1,05.00			
		1,54.59	1,54.59	..
पुनर्वि०	49.59			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.59 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा पानी, टेलीफोन तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।				
11- राष्ट्रीय दृष्टिविहिनता नियन्त्रण कार्यक्रम पर व्यय-				
<b>योजनागत</b>				
(i) मूल	6.00			
		14.65	14.65	..
पुनर्वि०	8.65			
<b>2211- परिवार कल्याण-</b>				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-				
01- परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय-				
<b>योजनेतर</b>				
(ii) मूल	25.73			
		42.10	42.10	..
पुनर्वि०	16.37			
03- परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय-				
<b>योजनागत</b>				
(iii) मूल	4.00			
		87.41	87.40	(-)0.01
पुनर्वि०	83.41			
उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में ₹ 1,08.43 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।				
08- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>				
पूरक	6,24.25			
		7,33.25	7,33.25	..
पुनर्वि०	1,09.00			
मार्च 2015 पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 1,09.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः भारत सरकार द्वारा पूंजीगत सम्पत्ति से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

09- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना  
योजनागत

पूरक	4.70			
		7.39	7.39	..
पुनर्वि०	2.69			

मार्च 2015 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.69 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान (अवैतनिक) पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	2,78.23			
		2,68.39	3,14.17	+45.78
पुनर्वि०	(-)9.84			

₹ 45.78 लाख का अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.84 लाख की कमी मुख्यतः ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अधिक वेतन भोगियों की नियुक्ति के कारण हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई ।

₹ 45.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

मूल	55.00			
		3,52.91	3,68.82	+15.91
पुनर्वि०	2,97.91			

₹ 15.91 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,97.91 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ जोकि पानी, टेलीफोन तथा बिद्युत बिलों पर कम व्यय तथा यात्राओं पर कम व्यय के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 15.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

02- स्थाई स्थापना में परिवर्तित कार्य प्रभारित  
कर्मचारियों पर व्यय-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**योजनेतर**

मूल	15,06.25			
		15,47.97	15,89.54	+41.57

पुनर्वि०	41.72			
----------	-------	--	--	--

₹ 41.57 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 41.72 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ जोकि मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 41.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- स्टॉक -

**योजनागत**

(i)	..		1,73.44	+1,73.44
-----	----	--	---------	----------

05- स्टॉक विनिर्माण-

**योजनागत**

(ii)	..		5.49	+5.49
------	----	--	------	-------

06- विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-

**योजनागत**

(iii)	..		6.78	+6.78
-------	----	--	------	-------

उपरोक्त तीन मामलों में बिना प्रावधान के ₹ 1,85.71 लाख का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

11- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

**योजनागत**

पूरक	30.91			
		1,00.30	57.88	(-)42.42

पुनर्वि०	69.39			
----------	-------	--	--	--

₹ 42.42 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.39 लाख का आवर्धन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रख-रखाव पर अधिक व्यय के कारण हुआ जोकि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 42.42 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

2230- श्रम तथा रोजगार-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

03- प्रशिक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- हिमाचल प्रदेश में सिलाई केन्द्रों पर व्यय-

**योजनेतर**

(i) मूल	12.23			
		17.24	14.88	(-)-2.36
पुनर्वि०	5.01			

03- लड़कियों के लिए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	6.85			
		12.20	12.20	..
पुनर्वि०	5.35			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.36 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

04- हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	36.00			
		87.46	87.46	..
पुनर्वि०	51.46			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.46 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने तथा मानदेय पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- कौशल विकास भत्ता-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
पूरक	0.03	19.72	19.72	..
पुनर्वि०	19.68			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.68 लाख का आवर्धन मुख्यतः कौशल विकास पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

02- समाज कल्याण-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

05- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-

**योजनागत**

मूल	6.00			
		9.00	9.00	..
पुनर्वि०	3.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

07- मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना-

**योजनागत**

मूल	10.00			
		12.98	12.99	+0.01
पुनर्वि०	2.98			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.98 लाख का आवर्धन मदर टेरेसा असहाय मैत्री संबल योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था  
पेंशन पर व्यय-**योजनागत**

मूल	5,30.50			
		6,48.59	6,48.60	+0.01
पुनर्वि०	1,18.09			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.09 लाख का आवर्धन सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- विधवा पेंशन पर व्यय -

**योजनागत**

मूल	1,23.00			
		1,81.90	1,81.90	..
पुनर्वि०	58.90			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 58.90 लाख का आवर्धन विधवा पेंशन कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

04- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-

**योजनागत**

मूल	21.00			
		25.00	25.02	+0.02
पुनर्वि०	4.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का आवर्धन इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2236- पोषण-**

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- खाद्य कार्यक्रम पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	2,16.00			
पूरक	1,15.95	3,50.92	3,50.92	..
पुनर्वि०	18.97			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.97 लाख का आवर्धन बाह्य स्रोत से प्राप्त सेवाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2251- सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- संरचनागत सुविधाओं पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.02			
		3,80.47	3,80.47	..
पुनर्वि०	3,80.45			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,80.45 लाख का आवर्धन मूलभूत सुविधाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

05- वनबंधु कल्याण योजना-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पुनर्वि०	10,00.00	10,00.00	10,00.00	..
----------	----------	----------	----------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 10,00.00 लाख का आवर्धन वनबंधु कल्याण योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**2401- फसल कृषि कर्म-**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
05- उद्यान की योजना पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	15.00			
		21.25	16.90	(-)4.35

पुनर्वि० 6.25

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.25 लाख का आवर्धन मुख्यतः टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों पर अधिक व्यय तथा पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक व वाहनों की मरम्मत पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 06- कृषि योजनाओं पर विशेष केन्द्रीय सहायता  
के अन्तर्गत व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	1,27.20			
		1,49.77	1,49.77	..

पुनर्वि० 22.57

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.57 लाख का आवर्धन विशेष केन्द्रीय सहायता पर अधिक व्यय तथा सामग्री व आपूर्ति पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 21- जनजातीय क्षेत्र से बाहर रह रहे जनजातीय लोगों के  
लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कृषि योजनाओं  
पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	1,45.00			
		1,64.94	1,63.83	(-)1.11

पुनर्वि० 19.94

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.94 लाख का आवर्धन जनजातीय क्षेत्रों के कृषि हेतु उपदान पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

- 48- उद्यान विकास एकीकरण पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	58.50			
		88.10	77.00	(-)11.10

पुनर्वि० 29.60

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

₹ 11.10 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.60 लाख का आवर्धन हुआ जिसके कारण सूचित नहीं थे। जो अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 11.10 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

#### 2402- मृदा तथा जल संरक्षण-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम  
(वन विभाग)-

##### योजनागत

मूल	28.00			
		38.20	38.20	..
पुनर्वि०	10.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.20 लाख का आवर्धन दैनिक वेतन दरों में बढ़ोतरी के कारण हुआ जोकि मुख्यतः टेलीफोन, पानी तथा विद्युत बिलों से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई ।

#### 2403- पशुपालन-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

10- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

##### योजनागत

मूल	2,07.00			
		2,56.99	2,56.99	..
पुनर्वि०	49.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.99 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

#### 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- वानिकी कार्यक्रम-

##### योजनागत

मूल	33.00			
		47.30	47.30	..
पुनर्वि०	14.30			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.30 लाख का आवर्धन मुख्यतः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- 21- तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वनों के संरक्षण पर व्यय -

**योजनागत**

मूल	2,26.00			
		2,35.00	2,35.00	..
पुनर्वि०	9.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.00 लाख का आवर्धन मुख्यतः दैनिक वेतन दरों में बढ़ोतरी तथा तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वनों के संरक्षण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2408- खाद्य, भांडारण तथा भाण्डागार-**

01- खाद्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-

02- सहकारी सभाओं को उपदान प्रदान करने पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	20.70			
		30.70	30.70	..
पुनर्वि०	10.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

06- उपभोक्ता फार्म का सशक्तिकरण-

**योजनेतर**

मूल	0.01			
		1.29	1.28	(-)0.01
पुनर्वि०	1.28			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.28 लाख का आवर्धन उपभोक्ताओं के मुआवजे पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2425- सहकारिता-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-

01- सहकारी स्कीमों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	38.70			
		61.10	61.09	(-)0.01
पुनर्वि०	22.40			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22.40 लाख का आवर्धन मुख्यतः सहकारिता स्कीमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- पंचायती योजनाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	2,27.00				
		3,82.97	3,82.96	(-)0.01	

पुनिर्व0 1,55.97

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,55.97 लाख का आवर्धन वेतन तथा पंचायती योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार

पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	10.00				
पूरक	26.54	1,06.17	1,06.17	..	
पुनिर्व0	69.63				

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.63 लाख का आवर्धन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार पर अधिक व्यय के कारण हुआ ।

07- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान-

**योजनेतर**

(i) मूल	60.00				
		98.64	98.64	..	
पुनिर्व0	38.64				

10- पूर्ण स्वच्छता अभियान-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii) पूरक	2,55.14				
		3,17.52	3,17.52	..	
पुनिर्व0	62.38				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.02 लाख का आवर्धन तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत संस्थानों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**2702- लघु सिंचाई-**

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- उठाऊ सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव तथा मरम्मतों पर व्यय (सामान्य मरम्मतों)-

**योजनागत**

(i) मूल	5.00	5.00	3,00.74	+2,95.74
---------	------	------	---------	----------

02- उठाऊ सिंचाई योजनाएं (विशेष मरम्मत) मरम्मत तथा रखरखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

(ii) मूल	15.71		25.11	+10.58
पुनर्वि०	(-)1.18	14.53		

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 3,06.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- अन्य लघु सिंचाई कार्यों के रखरखाव व मरम्मत पर व्यय (विशेष मरम्मत)-

**योजनेतर**

मूल	1,66.05		1,83.52	+5.75
पुनर्वि०	11.72	1,77.77		

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.72 लाख का आवर्धन मुख्यतः कार्यालय भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

04- अन्य लघु सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय (प्रवाह सिंचाई योजना)-

**योजनेतर**

मूल	1,95.75		2,39.28	+31.84
पुनर्वि०	11.69	2,07.44		

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

₹ 31.84 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.69 लाख का आवर्धन मुख्यतः कार्यालय भवनों के रख-रखाव पर अधिक व्यय तथा दैनिक वेतन की दरों में बढ़ौतरी के कारण हुआ जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुआ ।

₹ 31.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

08- उचन्त पर व्यय (स्टॉक)-

**योजनागत**

(i)	..	5,15.99	+5,15.99
-----	----	---------	----------

09- उचन्त पर व्यय (विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)

**योजनागत**

(ii)	..	27.93	+27.93
------	----	-------	--------

10- उचन्त पर व्यय  
(विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम)-

**योजनागत**

(iii)	..	1,10.92	+1,10.92
-------	----	---------	----------

उपरोक्त तीन मामलो में ₹ 6,54.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-**

- 02- खानों का विनियमन तथा विकास-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-
- 01- खनिज विकास पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	33.80			
		43.28	43.12	(-)0.16
पुनर्वि०	9.48			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.48 लाख का आवर्धन मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**3454- सड़क तथा सेतु-**

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें-
- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-
- 03- जिला सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर व्यय-

**योजनेतर**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	12,29.36			
		8,67.59	14,87.39	+6,19.80

पुनर्वि० (-)3,61.77

₹ 6,19.80 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,61.77 लाख की कमी भवनों के रख-रखाव पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 6,19.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

मूल	15.00	15.00	19.73	+4.73
-----	-------	-------	-------	-------

₹ 4.73 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- जिला तथा अन्य सड़कों का रख-रखाव-

**योजनेतर**

मूल	12,08.32			
		8,49.80	12,22.14	+3,72.34

पुनर्वि० (-)3,58.52

₹ 3,72.34 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,58.52 लाख की कमी भवनों के रख-रखाव पर कम व्यय तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुआ जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 3,72.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

06- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत सड़कों का रख-रखाव-

**योजनेतर**

मूल	11,70.00			
		11,32.69	12,01.64	+68.95

पुनर्वि० (-)37.31

₹ 68.95 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 37.31 लाख की कमी भवनों के रख-रखाव पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।

₹ 68.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**3452- पर्यटन-**

80- सामान्य-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
02- क्षेत्रीय कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	4.45	4.45	6.55	+2.10
-----	------	------	------	-------

₹ 2.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-**

- 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- आर्थिक सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन  
अध्ययन कर्मचारी वर्ग पर व्यय-

**योजनेतर**

मूल	49.96			
		60.78	60.78	..
पुनर्वि०	10.82			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.82 लाख का आवर्धन मुख्यतः मार्च माह के वेतन का भुगतान उसी माह में करने के कारण हुआ।

**पूंजीगत प्रवर्ग**

- (vi) दत्तमत प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

**4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	45.00			
		35.00	35.00	..
पुनर्वि०	(-)10.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर कम व्यय के कारण हुई।

- 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
पर पूंजीगत परिव्यय-**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा  
अनुसंधान-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- चालू आयुष संस्थानों का उन्नयन-

**योजनागत**

मूल 12.00

पुनर्वि० (-) 12.00

₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में चालू आयुष संस्थानों के उन्नयन पर शून्य व्यय न करने के कारण हुआ।

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- ग्रामीण पाईप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 5,48.35

4,74.11

4,63.06

+11.05

पुनर्वि० (-)74.24

₹ 11.05 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.24 लाख की कमी ग्रामीण पाईप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई ।

₹ 11.05 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

03- मल निकासी योजनाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 46.00

34.09

34.09

..

पुनर्वि० (-)11.91

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11.91 लाख की कमी मल निकासी योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

09- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

(राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा  
एकीकृत ग्रामीण विकास निधि)

**योजनागत**

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)

(i)	मूल	6,07.00			
	पुनर्वि०	(-) 6,07.00	..	..	..
11- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-					
<b>योजनागत</b>					
(ii)	मूल	1,54.00			
	पुनर्वि०	(-)1,54.00	..	..	..
उपरोक्त दो मामलो में ₹ 7,61.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।					
<b>4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
01- सरकारी आवासीय भवन-					
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -					
02- भवन-					
<b>योजनागत</b>					
	मूल	1,62.97			
			1,07.30	1,07.30	..
	पुनर्वि०	(-)55.67			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 55.67 लाख की कमी सरकारी रिहायशी भवनों पर कम व्यय के कारण हुई।					
<b>4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-</b>					
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-					
01- एकीकृत ग्रामीण विकास निधि योजना के अन्तर्गत पॉली हाउस तथा सूक्ष्म सिंचाई के निर्माण पर व्यय-					
<b>योजनागत</b>					
	मूल	1,50.00			
			1,37.75	1,50.00	+12.25
	पुनर्वि०	(-)12.25			
₹ 12.25 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.25 लाख की कमी पॉली हाउस के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई जोकि अनावश्यक सिद्ध हुई।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

₹ 12.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

**योजनागत**

मूल 25.14

19.92 19.92 ..

पुनर्वि० (-)5.22

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.22 लाख की कमी पशुपालन विभाग के भवनों पर कम व्यय के कारण हुई।

**4808- खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर**

**पूंजीगत परिव्यय-**

02- भंडारण तथा भंडागार-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- भवन निर्माण कार्यक्रम-

**योजनागत**

मूल 1.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1.00

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में भवनों के निर्माण पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय  
(उठाऊ सिंचाई योजना)-

**योजनागत**

मूल 5.20

1.40 1.39 (-)0.01

पुनर्वि० (-)3.80

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3.80 लाख की कमी लघु सिंचाई योजनाओं पर कम व्यय के कारण हुई।

02- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय

(प्रवाह सिंचाई योजना)-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	30.00			
		16.76	16.76	..
पुनर्वि०	(-)13.24			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13.24 लाख की कमी विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कम व्यय के कारण हुई।				
<b>4851-</b>	<b>ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-			
03-	औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में निवेश-			
	<b>योजनागत</b>			
मूल	1.60			
		0.50	0.50	..
पुनर्वि०	(-)1.10			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.10 लाख की कमी औद्योगिक सहकारी संस्थाओं में निवेश पर कम व्यय के कारण हुई।				
<b>5053-</b>	<b>नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
80-	सामान्य-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-			
02-	हैलीपैड निर्माण पर व्यय-			
	<b>योजनागत</b>			
मूल	90.99			
		1,10.74	60.99	(-)49.75
पुनर्वि०	19.75			
₹ 49.75 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.75 लाख का आवर्धन हैलीपैड निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।				
₹ 49.75 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।				
<b>5054-</b>	<b>सड़कों तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-</b>			
03-	राज्य राजमार्ग-			
796-	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-			
02-	विश्व बैंक राज्य सड़कें -			
	<b>योजनागत</b>			
मूल	11,36.00			
		3,44.11	..	(-)3,44.11
पुनर्वि०	(-)7,91.89			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

₹ 3,44.11 लाख के समस्त प्रावधान के अप्रयुक्त रहने से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,91.89 लाख की कमी विश्व बैंक राज्य सड़कों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 3,44.11 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 04- जिला तथा अन्य सड़कें -  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
03- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक/  
एकीकृत ग्रामीण विकास निधि के अर्न्तगत  
ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	1,00.00			
		87.70	55.48	(-)32.22
पुनर्वि०	(-)12.30			

₹ 32.22 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.30 लाख की कमी ग्रामीण सड़कों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 32.22 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
02- बस अड्डों के निर्माण पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	63.00			
		38.50	38.50	..
पुनर्वि०	(-)24.50			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 24.50 लाख की कमी बस अड्डों के निर्माण पर कम व्यय के कारण हुई।

**5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 80- सामान्य-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- पर्यटन भवनों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	3.75			
		2.00	2.00	..
पुनर्वि०	(-)1.75			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1.75 लाख की कमी पर्यटक भवनों पर कम व्यय के कारण हुई।

**6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण-**

- 02- अनुसूचित जातियों का कल्याण-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

**योजनागत**

मूल 5.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर व्यय न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

- (vii) उपरोक्त बचत निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-
- | शीर्ष | कुल अनुदान | वास्तविक व्यय | आधिक्य (+)<br>बचत (-) |
|-------|------------|---------------|-----------------------|
|       |            |               | (₹ लाख में)           |

**4059- लोक निर्माण-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- कार्यालय भवन-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
02- अन्य प्रशासनों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 1,48.00

पुनर्वि० 47.30

1,95.30

1,94.30

(-)1.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.30 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- सामान्य शिक्षा-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- भवन निर्माण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

पुनर्वि०	7.88	7.88	7.88	..
----------	------	------	------	----

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान के ₹ 7.88 लाख का आवर्धन शिक्षा, खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों पर अधिक व्यय के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।

**योजनागत**

मूल	2,00.00			
पूरक	0.01	2,70.75	2,70.75	..
पुनर्वि०	70.74			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.74 लाख का आवर्धन मुख्यतः कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- तकनीकी शिक्षा-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- महिला छात्रावासों का निर्माण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	0.01			
पूरक	0.01	6.70	6.70	..
पुनर्वि०	6.68			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.68 लाख का आवर्धन मुख्यतः निर्माण कार्यो पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलपूर्ति-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- पाईप द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति  
योजनाओं पर व्यय-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	85.15			
		95.82	95.81	(-)0.01
पुनर्वि०	10.67			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.67 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जबकि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 34,85.76 लाख थी।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

05- पुरानी जलापूर्ति योजनाओं पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	1,54.00			
		1,93.57	1,93.57	+0.01
पुनर्वि०	39.57			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.57 लाख का आवर्धन पुरानी जलापूर्ति योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

14- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		5,77.02	1,61.85	(-) 4,15.17
पुनर्वि०	5,77.01			

₹ 4,15.17 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,77.01 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

₹ 4,15.17 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		5,77.02	1,51.66	(-)4,25.36
पुनर्वि०	5,77.01			

₹ 4,25.36 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,77.01 लाख का आवर्धन ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 4,25.36 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- सरकारी रिहायशी भवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- रिहायशी भवनों के निर्माण पर व्यय (वन विभाग)-

**योजनागत**

मूल	5.00			
		9.00	9.00	..
पुनर्वि०	4.00			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.00 लाख का आवर्धन रिहायशी भवनों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- वानिकी-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- सड़कों निर्माण पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 18.00

57.64

57.64

..

पुनर्वि० 39.64

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 39.64 लाख का आवर्धन भवनों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- वन्य प्राणी अभयारण्यों का सघन प्रबन्धन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 0.01

10.00

10.00

..

पुनर्वि० 9.99

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9.99 लाख का आवर्धन वन्य प्राणी अभयारण्यों के सघन प्रबन्धन पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4702- लघु सिंचाई योजना पर पूंजीगत परिव्यय-**

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

02- लघु सिंचाई योजनाओ पर व्यय -  
(प्रवाह सिंचाई योजना)-

**योजनागत**

मूल 2,99.60

3,43.61

3,37.44

(-)6.17

पुनर्वि० 44.01

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 44.01 लाख का आवर्धन मुख्य कार्यों पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

- 06- लघु सिंचाई योजनाओं पर व्यय -  
(राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास  
बैंक/ एकीकृत ग्रामीण विकास निधि)-

**योजनागत**

मूल	40.20				
		52.50	52.49	(-)0.01	

पुनर्वि० 12.30

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12.30 लाख का आवर्धन लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- बाढ़ नियंत्रण-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- बाढ़ नियंत्रण कार्यो पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	95.00				
		89.18	97.01	+7.83	

पुनर्वि० (-)5.82

₹ 7.83 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.82 लाख की कमी बाढ़ नियंत्रण कार्यो पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 7.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4801- बिजली परियोजनाओं  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 80- सामान्य-  
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-  
01- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश  
राज्य विद्युत बोर्ड के लिए सीमा खण्डों पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	6,25.00				
		7,59.64	12,50.00	+4,90.36	

पुनर्वि० 1,34.64

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

₹ 4,90.36 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,34.64 लाख का आवर्धन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए सीमा खण्डों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 4,90.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

03- राजकीय राजमार्ग-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के इलावा राज्य राजमार्गों के निर्माण पर व्यय-

**योजनागत**

मूल	1,10.00			
		1,20.73	1,20.74	+0.01
पुनर्वि०	10.73			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.73 लाख का आवर्धन राज्य राजमार्गों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।

04- जिला तथा अन्य सड़के-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

01- ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर व्यय-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	4,50.00	4,50.00	4,97.62	+47.62
-----	---------	---------	---------	--------

₹ 47.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।

**योजनागत**

मूल	19,22.00			
		19,69.19	19,49.75	(-)19.44
पुनर्वि०	47.19			

₹ 19.44 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 47.19 लाख का आवर्धन निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 19.44 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

80- सामान्य-

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-

03- औजारों तथा संयन्त्रों, मशीनरी तथा उपस्कर पर व्यय-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

मूल	1.00			
		1,02.00	87.48	(-)14.52
पुनर्वि०	1,01.00			
<p>₹ 14.52 लाख के अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,01.00 लाख का आवर्धन औजारों तथा संयन्त्रों पर अधिक व्यय के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।</p> <p>₹ 14.52 लाख के अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015) ।</p>				
05-	मुख्य पुलों पर व्यय-			
<b>योजनागत</b>				
मूल	2,00.00			
		2,83.81	2,87.50	+3.69
पुनर्वि०	83.81			
<p>मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 83.81 लाख का आवर्धन मुख्य पुलों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण हुआ।</p>				
09-	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक/ एकीकृत ग्रामीण विकास निधि के अन्तर्गत मुख्य पुलों पर व्यय-			
<b>योजनागत</b>				
मूल	4,00.00			
		3,61.11	4,01.76	+ 40.65
पुनर्वि०	(-)38.89			
<p>₹ 40.65 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 38.89 लाख की कमी मुख्य पुलों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 40.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।</p>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (क्रमशः)**

**(viii) उचन्त लेन-देन:-**

- (i) उचन्त के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹ 37,01.94 लाख (₹ 37,01.94 लाख राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत तथा ₹ 0 लाख पूंजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत) सम्मिलित हैं।
- (ii) उचन्त लेनदेन के स्वरूप का वर्णन अनुदान संख्या-10 लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल तथा भवन के अन्तर्गत पैरा- (ix) में किया गया है।
- (iii) अथ तथा अंत शेषों सहित इस अनुदान में उचन्त लेनदेनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत नीचे दिया गया है:

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>राजस्व शीर्ष</b>				
<b>2059- लोक निर्माण-कार्य-</b>				
01- कार्यालय भवन-				
796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-				
07- उचन्त के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक)-	(-)9,92.06	13,54.93	21,00.62	(-)17,37.75*
08- उचन्त के अन्तर्गत व्यय (स्टॉक विनिर्माण)	(-)98.31	5,44.94	3,85.59	(-)61.04*
09- उचन्त के अन्तर्गत व्यय विविध लोक निर्माण अग्रिम-	+21,26.03	9,61.52	4,78.51	(+26,09.04
<b>कुल</b>	<b>+10,35.66</b>	<b>28,61.39</b>	<b>29,64.72</b>	<b>+9,32.33</b>
<b>2215- जलापूर्ति तथा स्वच्छता-</b>				
01- जलापूर्ति-				
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-				
04- स्टॉक-	(-)3,03.25	1,73.44	2,74.10	(-)4,03.91*
05- स्टॉक विनिर्माण-	+1,43.39	5.49	2.13	+1,46.75
06- विविध लोक निर्माण अग्रिम-	(-)20.63	6.78	0.00	(-)13.85*
<b>कुल</b>	<b>(-)1,80.49</b>	<b>1,85.71</b>	<b>2,76.23</b>	<b>(-)2,71.01*</b>

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-31 (समाप्त)**

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)	डैबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2015 को अन्त शेष डैबिट (+) क्रेडिट (-)
		(₹ लाख में )		
<b>2702- लघु सिंचाई</b>				
80- सामान्य-				
796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना- उचन्त-				
08- उचन्त पर व्यय- (स्टॉक)-	+78.49	5,15.99	5,11.86	+82.62
09- उचन्त पर व्यय- (स्टॉक विनिर्माण)-	+78.88	27.93	25.02	+81.79
10- उचन्त पर व्यय- (विविध कार्य अग्रिम)	+1,51.71	1,10.92	80.66	+1,81.97
<b>कुल</b>	<b>+3,09.08</b>	<b>6,54.84</b>	<b>6,17.54</b>	<b>+3,46.38</b>
<b>कुल राजस्व प्रवर्ग</b>	<b>+11,64.25</b>	<b>37,01.94</b>	<b>38,58.49</b>	<b>+10,07.70</b>
<b>कुल मांग</b>	<b>+11,64.25</b>	<b>37,01.94</b>	<b>38,58.49</b>	<b>+10,07.70</b>

टिप्पणी:-ऋणात्मक शेषों के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-32 अनुसूचित जाति उपयोजना

(शीर्ष -2029- भू-राजस्व, 2059- लोक निर्माण-कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 2202- सामान्य शिक्षा, 2203- तकनीकी शिक्षा, 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं, 2205-कला और संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211- परिवार कल्याण, 2215- जलापूर्ति तथा सफाई, 2216- आवास, 2217- शहरी विकास, 2220- सूचना तथा प्रचार, 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236- पोषण, 2401- फसल कृषि-कर्म 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, 2403- पशु पालन, 2404- डेरी विकास, 2405- मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2407-बागान, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2425-सहकारिता, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505- ग्राम रोजगार, 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- बिजली, 2810- नई तथा नवीकृत उर्जा, 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852- उद्योग, 3054- सड़कें तथा सेतु, 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3452- पर्यटन, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4402- मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406- वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4408- खाद्य, भण्डारण तथा भंडागारण पर पूंजीगत परिव्यय, 4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण तथा 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
-------	------------	---------------	-----------------------

(₹ हजार में)

#### राजस्व प्रवर्ग

##### दत्तमत

मूल 5,57,33,99

6,92,60,22

6,75,44,91

(-)17,15,31

पूरक 1,33,26,23

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				29,39,45
<b>पूंजीगत प्रवर्ग</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,64,06,01			
		6,62,47,45	6,53,20,07	(-)9,27,38
पूरक	98,41,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

**टिप्पणियाँ तथा अभ्युक्तियाँ**

- (i) राजस्व प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में ₹ 17,15.31 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 1,35,26.23 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में ₹ 9,27.38 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में प्राप्त ₹ 98,41.44 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) पूंजीगत प्रवर्ग में दत्तमत्त प्रावधान में कुल बचत ₹ 9,27.38 लाख थी परन्तु वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई भी राशी अभ्यर्पित नहीं की गई थी।

**राजस्व प्रवर्ग**

- (iv) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत शीषों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
		(₹ लाख में)	

**2202- सामान्य शिक्षा-**

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- राजकीय प्राथमिक स्कूलों पर व्यय-

**योजनागत**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल	5,00.00			
		4,33.25	4,33.25	..
पुनर्वि०	(-) 66.75			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 66.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सामग्री की कम खरीद, सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

## 06- मिड डे मील योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	17,63.00			
पूरक	5,67.03	20,48.88	20,48.88	..
पुनर्वि०	(-) 2,81.15			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,81.15 लाख की कमी कार्यलयी मदों तथा विभिन्न वस्तुओं पर कम व्यय, रसोईया-सह-सहायकों की कम नियुक्ति तथा रसोईघर की मदों/उपकरणों पर कम व्यय के कारण हुई जो कि मिड डे मील की सामग्री पर अधिक व्यय तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त सेवाओं हेतु अदायगी पर अधिक व्यय करने से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई जबकि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कुल अनुदान ₹ 74,60.91 लाख था।

**योजनागत**

मूल	5,79.00			
		5,58.46	5,58.46	..
पुनर्वि०	(-)20.54			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.54 लाख की कमी सामग्री की कम खरीद तथा रसोईयां-सह-सहायकों की कम नियुक्ति के कारण हुई।

## 07- सर्व शिक्षा अभियान-

**योजनागत**

मूल	22,67.00			
		19,27.78	19,27.78	..
पुनर्वि०	(-)3,39.22			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,39.22 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के बराबर राज्य का अंश प्राप्त होने के कारण हुआ।

08- साक्षर भारत योजना-

**योजनागत**

मूल 12.00

पुनर्वि० (-)12.00

₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया।

11- अभिभावक अध्यापक संघ को  
सहायता अनुदान पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 6,43.00

6,24.22

6,24.22

..

पुनर्वि० (-)18.78

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.78 लाख की कमी अभिभावक शिक्षक संघ के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के कारण हुआ।

12- महात्मा गांधी वर्दी योजना पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 3,77.00

पुनर्वि० (-)3,77.00

₹ 3,77.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में वर्दी न खरीदने के कारण पुनर्विनियोजन कर दिया गया।

15- विद्यालय प्रबंधन समितियों को सहायता अनुदान-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल	26.00			
		17.44	17.44	..
पुनर्वि०	(-)8.56			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.56 लाख की कमी सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।				
16- जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>				
मूल	2,02.00			
		91.30	91.30	..
पुनर्वि०	(-)1,10.70			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,10.70 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा टेलीफोन, विद्युत तथा पानी प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण हुई ।				
02- माध्यमिक शिक्षा-				
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
03- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-				
केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>				
मूल	10,95.16			
		3,39.85	3,39.85	..
पुनर्वि०	(-)7,55.31			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,55.31 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि केन्द्रीय सरकार से ₹ 36,09.39 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ।				
<b>योजनागत</b>				
मूल	4,28.00			
		1,13.29	1,13.29	..
पुनर्वि०	(-)3,14.71			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,14.71 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के प्राप्त न होने के कारण हुई।				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

04- सूचना तथा संचार तकनीक प्रौद्योगिकी पर व्यय-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 3,28.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)3,28.00

₹ 3,28.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश के प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**योजनागत**

मूल 3,53.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)3,53.00

₹ 3,53.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण राज्य हिस्सेदारी जारी न करने कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

10- प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना-

**योजनागत**

मूल 37.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)37.00

₹ 37.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकता पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

11- सूचना संचार तकनीक - III पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 1,00.00

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1,00.00

₹ 1,00.0 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश के प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

13- अध्यापक प्रशिक्षण योजना-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल	85.00			
पुनर्वि०	(-)85.00			
₹ 85.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहिता औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>14- माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण-</b>				
<b>योजनागत</b>				
मूल	3,39.00			
		1,90.83	1,90.83	..
पुनर्वि०	(-)1,48.17			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,48.17 लाख की कमी केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण हुई।				
<b>2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-</b>				
789- अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
04- पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	78.00			
पुनर्वि०	(-)78.00			
₹ 78.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-</b>				
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी-				
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-				
<b>योजनागत</b>				
मूल	7,55.00			
		6,54.10	6,54.00	(-)0.10
पुनर्वि०	(-)1,00.90			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.90 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के बराबर राज्य के अंश को प्रेषित करने के कारण हुई।

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-03- राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल प्रोग्राम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना**योजनागत**

मूल 5,16.64

4,95.90

4,72.30

(-)23.60

पुनर्वि0 (-)20.74

₹ 23.60 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.74 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई जोकि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 23.60 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2216- आवास-**

03- ग्रामीण आवास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

02- इन्दिरा आवास योजना-

**योजनागत**

मूल 7,95.00

3,42.19

3,42.19

..

पुनर्वि0 (-)4,52.81

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,52.81 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुई।

**2217- शहरी विकास-**

04- मलीन बस्ती क्षेत्र विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

05- तेरहवें वित्तायोग के अन्तर्गत शहरी

स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान -

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

<b>योजनागत</b>				
(i)	मूल	63.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)63.00	..	..
06- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत व्यय-				
<b>योजनागत</b>				
(ii)	मूल	20,16.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)20,16.00	..	..
उपरोक्त दो मामलों में ₹ 20,79.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
10- एस० जे० एस० उत्तर वाई/राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन- केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>				
	मूल	25.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)25.00	..	..
₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>योजनागत</b>				
	मूल	12.00	..	..
	पुनर्वि०	(-)12.00	..	..
₹ 12.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण राज्य अंश को जारी न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-</b>				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए

विशेष घटक योजना-

01- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के

संरक्षण के कार्यान्वयन हेतु तंत्र-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल 4,20.00

1,90.00

1,90.00

..

पुनर्वि० (-)2,30.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,30.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

02- निर्देशन तथा प्रशासन-

**योजनागत**

मूल 2,75.00

पूरक 0.01

1,85.15

1,85.50

+0.35

पुनर्वि० (-)89.86

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 89.86 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सेमीनार व कैंम्पों को आयोजित न करने तथा विभागीय गतिविधियों के प्रसार पर कम व्यय के कारण हुई जो कि विभागीय भवनों की मुरम्मत पर हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई।

03- अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल 1,20.00

1,09.16

1,09.16

..

पुनर्वि० (-)10.84

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10.84 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल	0.01			
		94.32	..	(-) 94.32
पुनर्वि०	94.31			

₹ 94.32 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 94.31 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश के अधिक जारी होने के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि समस्त राशि अप्रयुक्त रही।

₹ 94.32 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**10- मुख्यमन्त्री आदर्श ग्राम योजना-**

**योजनागत**

मूल	12,00.00			
		11,65.40	11,65.40	..
पुनर्वि०	(-)34.60			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 34.60 लाख की कमी विविध मदों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

**2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-**

*02- समाज कल्याण-*

**789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-**

**01- एकीकृत बाल विकास योजना-**

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	32,75.00			
		32,04.30	32,04.30	..
पुनर्वि०	(-)70.70			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹70.70 लाख की कमी मानदेय के कम भुगतान के कारण हुई। जबकी केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान ₹ 1,71,84.09 लाख था।

**योजनागत**

मूल	3,74.00			
		3,57.66	3,57.66	..
पुनर्वि०	(-)16.34			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 16.34 लाख की कमी मानदेय के कम भुगतान के कारण हुई।

- 03- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए  
राजीव गाँधी योजना के अन्तर्गत  
पोषाहार /प्रावधान (सबला)-

## योजनागत

मूल	3,00.00			
		2,50.34	2,50.34	..
पुनर्वि०	(-)49.66			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 49.66 लाख की कमी केन्द्रीय अंश के अनुपात में राज्य के अंश को जारी करने के कारण हुई।

- 15- पीड़ित महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण-

## योजनागत

मूल	1.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)1.00			

₹ 1.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सामग्री की कम खरीद के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

- 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

- 789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

- 03- वृद्धावस्था पेंशन-

## योजनागत

मूल	25,30.48			
		25,09.86	25,09.86	..
पुनर्वि०	(-)20.62			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.62 लाख की कमी मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

04- वृद्धावस्था पेंशन-  
अतिरिक्त केन्द्रीय योजना  
**योजनागत**

मूल	7,50.00			
		7,32.23	7,32.23	..
पुनर्वि०	(-)17.77			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.77 लाख की कमी पेंशन मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

**2401- फसल कृषि कर्म-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-  
02- बीजों का वितरण-

**योजनागत**

मूल	42.00			
		24.74	24.74	..
पुनर्वि०	(-)17.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.26 लाख की कमी लाभार्थियों से कम मांग के कारण हुई।

03- एकीकृत विकास कार्यक्रम आईसोपोम-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल	25.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)25.00			

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

11- फसल बीमा योजना-  
**योजनागत**

मूल	74.00			
		..	..	..
पुनर्वि०	(-)74.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 74.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में बीमा दावे के मामले प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

22- सामान्य प्रसार गतिविधियां-

**योजनागत**

मूल 56.00

5.51

5.51

..

पुनर्वि० (-)50.49

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 50.49 लाख की कमी कार्यालयी मदों तथा विविध कार्यालयी गतिविधियों पर कम व्यय के कारण हुई।

25- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (कृषि)-

अतिरिक्त केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल 13,86.00

9,64.47

9,65.21

+0.74

पुनर्वि० (-)4,21.53

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 4,21.53 लाख की कमी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति के कारण हुई।

31- उत्तर पूर्व एवं हिमालयन राज्यों

के लिए उद्यान मिशन के अन्तर्गत

संरक्षित खेती योजना-

**योजनागत**

मूल 2,45.00

पूरक 0.01

1,41.47

74.92

(-) 66.55

पुनर्वि० (-)1,03.54

₹ 66.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.54 लाख की कमी लाभार्थियों द्वारा सहायता अनुदान के कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 66.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

32- नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एंड आयल पाम-

राष्ट्रीय तिलहन तथा ताड़ तेल मिशन-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल 2.00

पुनर्वि० (-)2.00

₹ 2.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश के प्राप्त न होने से राज्य अंश जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

**33- राष्ट्रीय विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन-**

**योजनागत**

मूल 1,24.00

5.92

5.92

..

पुनर्वि० (-)1,18.08

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,18.08 लाख की सारभूत कमी राज्य हिस्सेदारी के अनुपात में केन्द्र का अंश जारी होने के कारण हुई।

**35- राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन-**

**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**

**योजनागत**

मूल 3,28.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)3,28.00

₹ 3,28.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 52,51.92 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

**2403- पशुपालन-**

**789- अनुसूचित जातियों के लिए**

**विशेष घटक योजना-**

**08- चारा एवं भोजन विकास-**

**योजनागत**

मूल 20.00

1.79

1.79

..

पुनर्वि० (-)18.21

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18.21 लाख की सारभूत कमी मुख्यतः इस जिम्मेवारी/दायित्व को कृषि विभाग को स्थानांतरित करने के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**2406- वानिकी तथा वन्य जीवन-**

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

07- वन प्रबंधन का तीव्रीकरण-

**योजनागत**

मूल 13.99

9.01

9.01

..

पुनर्वि० (-)4.98

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.98 लाख की कमी दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा सामग्री की कम खरीद के कारण हुई।

**2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

06- स्वरोजगार योजनाएँ-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

02- एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम-

**योजनागत**

(i) मूल 4,28.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)4,28.00

03- राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन-

**योजनागत**

(ii) मूल 1,22.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,22.00

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 5,50.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्त न होने से राज्य का अंश जारी नहीं करने के कारण पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**2505- ग्राम रोजगार-**

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

02- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

**योजनागत**

मूल 16,37.00

9,27.51

9,27.51

..

पुनर्वि० (-)7,09.49

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,09.49 लाख की कमी केन्द्रीय अंश प्राप्त न होने से राज्य का अंश जारी नहीं करने के कारण हुई।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- पंचायती राज सहायता-

**योजनागत**

मूल 1,40.00

1,20.00

1,20.00

..

पुनर्वि० (-)20.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की कमी सहायता अनुदान मामलों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

02- पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान निधि-

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

**योजनागत**

मूल 8,56.00

3,53.00

3,53.00

..

पुनर्वि० (-)5,03.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,03.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी न करने के कारण हुई।

03- पंचायती राज संस्थाओं के चुने

प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण-

**योजनागत**

मूल 15.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)15.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 15.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्त न होने से राज्य का अंश जारी न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

06- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-  
योजनागत

मूल	4,00.00			
पूरक	0.01	1,01.71	1,01.71	..
पुनर्वि०	(-)2,98.30			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,98.30 लाख की कमी निधियों के प्रारूप में 80:20 से 75:25 के बदलाव के कारण हुआ।

**2801- बिजली-**

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषघटक योजना-

01- बिजली बोर्ड को सहायता-

योजनागत

मूल	12,59.00			
		..	12,59.00	+12,59.00
पुनर्वि०	(-)12,59.00			

₹ 12,59.00 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से ₹ 12,59.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में इस राशि को इक्विटी में परिवर्तित करने के कारण अभ्यर्पित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उतनी ही राशी का व्यय किया गया, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

10- रेशम उद्योग का विकास-

योजनागत

मूल	50.00			
		29.68	29.68	..
पुनर्वि०	(-)20.32			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20.32 लाख की कमी मुख्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी न होने, नयी सामग्री की कम खरीद तथा लाभार्थियों द्वारा कम मांग के कारण हुई।

15- तत्काल हथकरघा योजना-



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल 2.24

पुनर्वि० (-)2.24

₹ 2.24 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश प्राप्त न होने के कारण राज्य का अंश जारी न किया जा सकने के कारण कम कर दिया गया।

- 18- तेरहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत पहचानों के एकीकरण हेतु व्यय प्रोत्साहन अनुदान-

**योजनागत**

मूल 32.00

पुनर्वि० (-)32.00

₹ 32.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 2015 में सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

- 20- लघु उद्योग इकाइयों को उपदान-

**योजनागत**

मूल 27.00

पुनर्वि० (-)17.53

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 17.53 लाख का कमी लाभार्थियों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

- 21- खाद्य विधायन उद्योग हेतु राष्ट्रीय मिशन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 25.00

पुनर्वि० (-)5.55

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5.55 लाख का कमी कच्चे माल की कम खरीद के कारण हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

22- बाँस शिल्प हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

(i) मूल 4.00

पुनर्वि० (-)4.00

.. .. ..

24- हथकरघा और हस्तशिल्प का विकास-

**योजनागत**

(ii) मूल 60.51

पुनर्वि० (-)60.51

.. .. ..

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 64.51 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में केन्द्रीय सहायता अनुदान के मामले प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

25- राष्ट्रीय हथकरघा विकास-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

मूल 25.00

पुनर्वि० (-)25.00

.. .. ..

₹ 25.00 लाख का समस्त प्रावधान पुनर्विनियोजन द्वारा मार्च 2015 में केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण कम कर दिया गया।

**योजनागत**

मूल 75.00

14.69

14.69

..

पुनर्वि० (-)60.31

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 60.31 लाख का कमी केन्द्रीय अंश प्राप्त न होने से राज्य का अंश जारी नहीं किए जा सकने के कारण हुई।

**2852- उद्योग-**

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

01- राज्य आदर्श कला औद्योगिक क्षेत्र सृजन पर व्यय-

**योजनागत**

मूल 3,77.00

पुनर्वि० (-)3,77.00

₹ 3,77.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में इस राशि को राज्य कला औद्योगिक क्षेत्र के सृजन हेतु पूंजीगत प्रवर्ग में स्थानांतरित करने के कारण अभ्यर्पण द्वारा कम कर दिया गया।

**3054- सड़कें तथा सेतु-**

04- जिला तथा अन्य सड़के-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- अन्य रख रखाव व्यय-सड़क निर्माण-

**योजनागत**

मूल 5,00.00

2,10.00

2,96.30

+ 86.30

पुनर्वि० (-)2,90.00

₹ 86.30 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,90.00 लाख की कमी सड़कों तथा सेतुओं की मुरम्मत पर कम व्यय के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

₹ 86.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-**

60- अन्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राज्य स्तरीय एडुसैट नेटवर्क की स्थापना-

**योजनागत**

मूल 5.00

पुनर्वि० (-)5.00

₹ 5.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में सहायता अनुदान के मामले प्राप्त न होने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

(v) उपरोक्त बचत मुख्यतः निम्नवत शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
	(₹ लाख में )		
<b>2202- सामान्य शिक्षा-</b>			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- माध्यमिक विद्यालय-			
<b>योजनागत</b>			
मूल	5,37.00		
	7,98.00	7,98.00	..
पुनर्वि०	2,61.00		
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,61.00 लाख का आवर्धन मँहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ जो कि सामग्री की खरीद न करने, सहायता अनुदान मामलों की प्राप्ति न होने तथा दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।			
07- सर्व शिक्षा अभियान-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
<b>योजनागत</b>			
(i) पूरक	33,63.98		
	35,80.17	35,80.17	..
पुनर्वि०	2,16.19		
13- अनुसूचित जातियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति-			
केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
<b>योजनागत</b>			
(ii) पूरक	26.39		
	55.24	55.24	..
पुनर्वि०	28.85		
उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,45.04 लाख का आवर्धन अधिक केन्द्रीय अंश की प्राप्ति के कारण हुआ। जबकि मामला संख्या (ii) में ₹1,25,47.30 लाख तथा मामला संख्या (ii) में ₹68.85 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ था।			
16- शैक्षणिक प्रशिक्षण हेतु जिला संस्थान-			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	1,04.00			
		1,37.26	1,37.27	+0.01
पुनर्वि०	33.26			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 33.26 लाख का आवर्धन राज्य के हिस्से को जारी करने के कारण हुआ जो कि टेलीफोन, तथा पानी प्रभारों के बिलों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

02- माध्यमिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- उच्चतर पाठशालाएं-

**योजनागत**

मूल	5,53.98			
		15,78.70	15,79.66	+0.96
पुनर्वि०	10,24.72			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,24.72 लाख का आवर्धन मुख्यतः मँहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान, छात्रवृत्तियों हेतु अधिक छात्रों को सम्मिलित करना तथा लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ जो कि दैनिक वेतन भोगियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की कम प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ ।

14- उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i)	मूल	2,52.00			
	पूरक	1,37.84	5,72.52	5,72.52	..
	पुनर्वि०	1,82.68			

15- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों  
की योग्यता का उन्नयन-  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii)	पूरक	2.00			
			4.25	4.25	..
	पुनर्वि०	2.25			

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,84.93 लाख का आवर्धन मुख्यतः केन्द्रीय अंश के जारी होने के कारण हुआ। जबकि उपरोक्त मामला संख्या (i) में ₹ 13,51.24 लाख की केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुई।

03- विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषघटक योजना-

04- अनुसूचित जाति छात्रों को

मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति-

#### योजनागत

मूल 6,00.00

7,42.00

7,42.00

..

पुनर्वि० 1,42.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,42.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश के बराबर अनुपातिक राज्य अंश जारी करने के कारण हुआ।

05- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

#### योजनागत

पूरक 1,32.77

2,54.47

2,54.47

..

पुनर्वि० 1,21.70

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,21.70 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश जारी करने के कारण हुआ। जबकि केन्द्र सरकार से ₹ 8,07.75 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था।

#### योजनागत

(i) पूरक 0.01

14.75

14.75

..

पुनर्वि० 14.74

2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएं-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषघटक योजना-

05- राष्ट्रीय सेवा योजना -

#### योजनागत

(ii) पूरक 0.01

12.38

12.38

..

पुनर्वि० 12.37

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 27.11 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश के बराबर अनुपातिक राज्य अंश को जारी करने के कारण हुआ।

**2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-**

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं -ऐलोपैथी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

**योजनागत**

पूरक	12,11.00			
		12,86.32	12,87.39	+1.07
पुनर्वि०	75.32			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 75.32 लाख का आवर्धन मंहगाई भत्ते की किश्त के भुगतान के कारण हुआ जो कि मुख्यतः सामग्री की कम खरीद तथा टेलीफोन व विद्युत पानी प्रभारों के कम बिलों की प्राप्ति से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

03- राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(i) पूरक	41.97			
		66.00	66.01	+0.01
पुनर्वि०	24.03			

04- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii) पूरक	21,66.86			
		33,56.48	33,56.48	..
पुनर्वि०	11,89.62			

उपरोक्त दो मामलों में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 12,13.65 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश अधिक जारी होने के कारण हुआ।

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का उन्नयन-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	4,51.00			
पूरक	0.01	4,50.71	5,13.64	+62.93
पुनर्वि०	(-)0.30			

₹ 62.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2215- जलापूर्ति तथा सफाई-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम-

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		4,97.85	5,11.34	+13.49
पुनर्वि०	4,97.84			

₹ 13.49 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,97.84 लाख का आवर्धन उसी अनुपात में राज्य अंश को जारी करने के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 13.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**2217- शहरी विकास-**

04- मलिन बस्ती क्षेत्र का विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषघटक योजना-

06- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण

मिशन के अन्तर्गत व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	0.01			
		20,15.00	20,15.00	..
पुनर्वि०	20,14.99			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 20,14.99 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश जारी होने के कारण हुआ।



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**2220- सूचना एवं प्रचार-**

60- अन्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- सूचना एवं प्रचार-

**योजनागत**

मूल	10.00			
पूरक	0.01	24.77	24.76	(-)0.01
पुनर्वि०	14.76			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.76 लाख का आवर्धन किराये पर लिये गये नाटक दलों को भुगतान करने के कारण हुआ जो कि विज्ञापनों पर हुए कम व्यय से हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

**2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- अनुसूचित जातियों का आर्थिक विकास-

**योजनागत**

मूल	4,33.00			
		4,54.31	4,54.31	..
पुनर्वि०	21.31			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 21.31 लाख का आवर्धन राज्य अंश को जारी किये जाने के कारण हुआ जो कि सेमीनारों व कैंम्पों के कम आयोजनों के कारण हुई बचत से अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ।

05- आवास-

**योजनागत**

मूल	13,00.00			
		13,70.00	13,70.00	..
पुनर्वि०	70.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 70.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग प्राप्ति के कारण हुआ।

**2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

02- समाज कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए

राजीव गांधी योजना के अर्न्तगत

पोषण प्रावधान (सबला) -

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक 1,26.00

1,77.38

1,77.38

..

पुनर्वि० 51.38

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 51.38 लाख का आवर्धन अधिक केन्द्रीय अंश के जारी होने के कारण हुआ।

07- मुख्यमन्त्री कन्या दान योजना-

**योजनागत**

मूल 1,00.00

1,08.17

1,08.17

..

पुनर्वि० 8.17

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8.17 लाख का आवर्धन सामग्री की अधिक खरीद के कारण हुआ।

09- विधवा पुनर्विवाह-

**योजनागत**

मूल 12.00

18.75

18.75

..

पुनर्वि० 6.75

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6.75 लाख का आवर्धन विधवा पुनर्विवाह के अधिक मामले प्राप्त होने के कारण हुआ।

17- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

(i)	पूरक	0.01			
			73.53	73.53	..
	पुनर्वि०	73.52			

**2236- पोषण-**

02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषघटक योजना-

01- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहार योजना-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(ii)	मूल	6,05.00			
	पूरक	21.96	7,39.20	7,39.20	..
	पुनर्वि०	1,12.24			

**2401- फसल कृषि कर्म-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- बीजों का वितरण-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

(iii)	मूल	0.01			
			22.50	22.50	..
	पुनर्वि०	22.49			

उपरोक्त तीन मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,08.25 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश के जारी होने के कारण हुआ।

06- जैविक कृषि को प्रोत्साहन-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

	मूल	50.00			
			1,50.00	1,49.79	(-)0.03
	पुनर्वि०	1,00.00			

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख का आवर्धन लाभार्थियों से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

## 19- फल विधायन योजना-

## योजनागत

मूल	0.03			
		2.91	2.90	(-)0.01
पुनर्वि०	2.88			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2.88 लाख का आवर्धन मुख्यतः कृषि उपकरणों तथा यन्त्रों की खरीद के कारण हुआ।

## 30- राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना-

## योजनागत

मूल	7.00			
पूरक	0.01	38.83	22.50	(-)16.33
पुनर्वि०	31.82			

₹ 16.33 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 31.82 लाख का आवर्धन मुख्यतः लाभार्थियों से अधिक मांग की प्राप्ति के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 16.33 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

## 33- राष्ट्रीय विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

(i) पूरक	0.01			
		17.77	17.77	..
पुनर्वि०	17.76			

## 35- राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन-

## केन्द्रीय प्रायोजित योजना

## योजनागत

(ii) पूरक	0.01			
		1,64.00	1,64.00	..
पुनर्वि०	1,63.99			

## 36- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

केन्द्रीय प्रायोजित योजना					
<b>योजनागत</b>					
(iii)	पूरक	0.01			
			4,44.50	4,44.51	+0.01
	पुनर्वि०	4,44.49			
37-	विस्तृत सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम के लिए समर्थन-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>					
(iv)	पूरक	57.32			
			2,16.72	2,16.72	..
	पुनर्वि०	1,59.40			
उपरोक्त चार मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,85.64 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश अधिक जारी होने के कारण हुआ। जबकि मामला संख्या (ii) में ₹ 9,46.92 लाख का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त हुआ था।					
39-	खेत पर जल प्रबंधन योजना-केन्द्रीय प्रायोजित योजना				
<b>योजनागत</b>					
	पुनर्वि०	37.50	37.50	37.50	..
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान ₹ 37.50 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश को जारी करने के कारण हुआ। निधियों को मूल/पूरक बजट प्राक्कलनों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए था। बिना प्रावधान पुनर्विनियोजन अनुचित था।					
<b>2402- मृदा तथा जल संरक्षण-</b>					
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
03-	टैंक द्वारा खेत पर जल प्रबंधन-केन्द्रीय योजना				
<b>योजनागत</b>					
	मूल	35.00			
			54.60	54.60	..
	पुनर्वि०	19.60			
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 19.60 लाख का आवर्धन लाभार्थियों द्वारा अधिक मांग के कारण हुआ।					

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**2403- पशुपालन-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

09- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-  
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता**योजनागत**

मूल 5,80.00

7,18.85

7,18.85

..

पुनर्वि0 1,38.85

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,38.85 लाख का आवर्धन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

**2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी-**

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- मध्य हिमालयन जलागम परियोजना-

**योजनागत**

मूल 10,08.00

18,66.17

18,66.16

(-)0.01

पुनर्वि0 8,58.17

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 8,58.17 लाख का आवर्धन परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुरूप योजना विभाग द्वारा परिव्यय में बढौतरी के कारण हुआ।

06- तेरहवें वित्तायोग के अर्न्तगत  
परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन-**योजनागत**

मूल 6,34.00

7,08.00

7,08.01

+0.01

पुनर्वि0 74.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.00 लाख का आवर्धन तेरहवें वित्तायोग द्वारा शेष राशी जारी करने के कारण हुआ।

**2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-**

04- समेकित ग्रामीण उर्जा योजना कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- एकीकृत ग्रामीण उर्जा योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

पूरक	39.97				
		54.00	54.00	..	

पुनर्वि०	14.03				
----------	-------	--	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 14.03 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान के अधिक मामले प्राप्त होने के कारण हुआ।

**2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	19,03.91				
		23,69.38	23,69.38	..	

पुनर्वि०	4,65.47				
----------	---------	--	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,65.47 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश जारी होने के कारण हुआ।

**योजनागत**

मूल	4,43.00				
		7,89.79	7,89.79	..	

पुनर्वि०	3,46.79				
----------	---------	--	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,46.79 लाख का आवर्धन राज्य अंश जारी होने के कारण हुआ।

**2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

06- हथकरघा बुनकरों का विकास-

केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	1,00.00				
		1,74.10	1,74.10	..	

पुनर्वि०	74.10				
----------	-------	--	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 74.10 लाख का आवर्धन सहायता अनुदान मामलों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**पूँजीगत प्रवर्ग**

(vi) दत्तमत्त अनुदान में बचत मुख्यतः निम्नवत् शीषों के अन्तर्गत हुई:-

शीष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)
<b>4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
02- भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए भवनों के निर्माण पर व्यय-			
<b>योजनागत</b>			
मूल	4,44.20		
		2,70.20	2,70.20
पुनर्वि०	(-)1,74.00		..
मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,74.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।			
04- पुलिस आवास-			
<b>योजनागत</b>			
मूल	13.00	13.00	..
			(-)13.00
₹ 13.00 लाख का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।			
<b>4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय-</b>			
01- कार्यालय भवन-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- पूलित गैर-आवासीय भवन-			
<b>योजनागत</b>			
मूल	1,02.00		
		97.16	85.00
पुनर्वि०	(-)4.84		(-)12.16



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 12.16 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4.84 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 12.16 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-**

03- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- भवन-

**योजनागत**

(i)	मूल	1,97.00			
			1,25.06	1,25.06	..
	पुनर्वि०	(-)71.94			

**4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण स्वास्थ्य-

**योजनागत**

(ii)	मूल	11,46.00			
			10,52.00	10,52.16	+0.16
	पुनर्वि०	(-)94.00			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,65.94 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई।

**4215- जलापूर्ति और सफाई  
पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

02- विभिन्न जिलों में ग्रामीण

जलापूर्ति योजनाएं-

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

मूल	29,27.00			
		6,79.24	6,70.03	(-)9.21
पुनर्वि०	(-)22,47.76			
<p>₹ 9.21 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 22,47.76 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 9.21 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।</p>				
03- हैंडपम्प-				
केन्द्रीय योजना				
योजनागत				
(i) मूल	1,00.00			
		45.08	42.58	(-) 2.50
पुनर्वि०	(-) 54.92			
04- एकीकृत ग्रामीण विकास निधि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-				
योजनागत				
(ii) मूल	19,77.00			
		13,64.39	13,64.39	..
पुनर्वि०	(-)6,12.61			
<p>उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,67.53 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।</p>				
05- त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम पर व्यय-				
योजनागत				
मूल	4,33.00			
		..	1,49.42	+1,49.42
पुनर्वि०	(-)4,33.00			
<p>₹ 1,49.42 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,33.00 लाख के समस्त प्रावधान की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण थी अनावश्यक सिद्ध हुई।</p> <p>₹ 1,49.42 लाख का अंतिम व्यय बिना किसी प्रावधान के किया गया जिसके के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।</p>				

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

**4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,  
अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के  
कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति निगम में पूंजी निवेश-

## योजनागत

मूल 2,34.00

1,34.00

1,34.00

..

पुनर्वि० (-)1,00.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- कन्या छात्रवासों का निर्माण-

## योजनागत

(i) मूल 1,25.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,25.00

**4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर  
पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय-

## योजनागत

(ii) मूल 1,76.00

..

..

..

पुनर्वि० (-)1,76.00

**4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- मध्यम सिंचाई पर व्यय-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

06- कौंसिल झरेड़ा मंडप परियोजना पर व्यय-

**योजनागत**

(iii) मूल 3.00

पुनर्वि० (-)3.00

08- पारछू खड में वर्षा जल संचयन संरचना  
(त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)

**योजनागत**

(iv) मूल 6.00

पुनर्वि० (-)6.00

उपरोक्त चार मामलों में ₹ 3,10.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

21- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- नादौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना-

**योजनागत**

मूल 7,56.00

4,56.00

4,56.00

..

पुनर्वि० (-)3,00.00

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

25- मध्यम सिंचाई योजना (सुक्का हार)-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- फिना सिंह परियोजना-

**योजनागत**

मूल 3.00

..

0.10

+ 0.10

पुनर्वि० (-)3.00

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 3.00 लाख का समस्त प्रावधान संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई योजना पथान्तरण योजना-

**योजनागत**

मूल	7,60.00			
		7,60.03	6,19.00	(-)1,41.03
पुनर्वि०	0.03			

₹ 1,41.03 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

07- विभिन्न जिलों में बहाव सिंचाई पथान्तरण योजना

**योजनागत**

मूल	12,16.00			
		1,95.71	1,78.59	(-)17.12
पुनर्वि०	(-)10,20.29			

₹ 17.12 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,20.29 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई

₹ 17.12 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4705- कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-**

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- कमान क्षेत्र विकास-

**योजनागत**

मूल	6,30.00			
		6,01.00	6,25.64	+24.64
पुनर्वि०	(-)29.00			

₹ 24.64 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29.00 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई जो कि अत्याधिक सिद्ध हुई।

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 24.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं**  
**पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- बाढ़ नियंत्रण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

07- मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में  
सीर खड्ड का बरशवाड़ से जाहू तक तटीयकरण-

**योजनागत**

(i) मूल 2.58

.. .. ..

पुनर्वि० (-)2.58

08- संकर बाटा का तटीयकरण-

**योजनागत**

(ii) मूल 1,80.60

.. .. ..

पुनर्वि० (-)1,80.60

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 1,83.18 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

09- पंजाब सीमा तक स्वां नदी का तटीयकरण  
(फेज-III) -

**योजनागत**

मूल 1,17.55

29.39

29.39

..

पुनर्वि० (-)88.16

मार्च 2015 पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 88.16 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण हुई।

10- दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा  
इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण  
(IV-बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम)

**योजनागत**

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

(i)	मूल	10,40.16	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)10,40.16			
11-	जिला उन्ना में लिकरी खड्ड का तटीयकरण-				
	<b>योजनागत</b>				
(ii)	मूल	2.58	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)2.58			
13-	जिला कुल्लू में पलचन से औट तक तटीयकरण-				
	<b>योजनागत</b>				
(iii)	मूल	25.83	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)25.83			
	उपरोक्त तीन मामलों में ₹ 10,68.57 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।				
<b>4801-</b>	<b>विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय-</b>				
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-				
02-	हिमाचल प्रदेश पारेषन में इक्विटी अंशदान-				
	<b>योजनागत</b>				
(i)	मूल	11,04.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)11,04.00			
03-	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन में इक्विटी अंशदान-				
	<b>योजनागत</b>				
(ii)	मूल	53,40.00	..	..	..
	पुनर्वि०	(-)53,40.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

उपरोक्त दो मामलों में ₹ 64,44.00 लाख का समस्त, प्रावधान मार्च 2015 में लेखा शीर्षो में संशोधन के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा कम कर दिया गया।

- 01- पन विद्युत/बिजली उत्पादन-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
03- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम में इक्विटी-

**योजनागत**

पूरक	12,58.98			
		12,59.00	..	(-)12,59.00
पुनर्वि०	0.02			

₹ 12,59.00 लाख का समस्त प्रावधान जो कि पूरक अनुदान से लिया गया था, अप्रयुक्त रहा, जिसके कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
02- औद्योगिक सम्पदा का विकास-

**योजनागत**

मूल	2,16.00			
		16.00	16.00	..
पुनर्वि०	(-)2,00.00			

₹ 2,00.00 लाख की सारभूत कमी मार्च 2015 में संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण पुनर्विनियोजन द्वारा की गई।

**5054- सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 03- राज्य उच्च मार्ग-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
02- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण-

**योजनागत**

मूल	59,20.00			
		52,07.57	49,76.02	(-)2,31.55
पुनर्वि०	(-)7,12.43			



**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 2,31.55 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 7,12.43 लाख की कमी संहितागत औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई

₹ 2,31.55 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- ग्रामीण सड़के विश्व बैंक-

**योजनागत**

मूल	73,05.00			
		73,47.00	73,05.00	(-)42.00
पुनर्वि०	42.00			

₹ 42.00 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 42.00 लाख का आवर्धन कुछ निर्माणधीन कार्यों को पूरा करने के कारण हुआ जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ।

₹ 42.00 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- जिला तथा अन्य सड़के-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-  
केन्द्रीय योजना

**योजनागत**

मूल	1,45.00			
		1,30.00	1,01.31	(-)28.69
पुनर्वि०	(-)15.00			

₹ 28.69 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण थी जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुई।

₹ 28.69 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

03- क्षतिपूर्ति वनीकरण वन भूमि की  
लागत तथा निवल वर्तमान मूल्य अदायगी-

**योजनागत**

मूल	3,50.00			
		99.63	99.62	(-)0.01
पुनर्वि०	(-)2,50.37			

## विनियोग लेखे

### अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,50.37 लाख की कमी क्षतिपूर्ति मामलों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

#### 6225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
02- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत  
आने वाले परिवारों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा  
हेतु ब्याज रहित ऋण-  
योजनागत

मूल 30.00

पुनर्वि० (-)30.00

₹ 30.00 लाख का समस्त प्रावधान मार्च 2015 में ऋण मामलों की कम प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजित कर दिया गया।

(vii) उपरोक्त बचत निम्नवत् शीर्षों के अन्तर्गत हुए आधिक्य से अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
			(₹ लाख में)

#### 4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

- 01- सामान्य शिक्षा-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-  
02- भवन (माध्यमिक शिक्षा)-  
योजनागत

(i) मूल 7,55.00

8,04.69

8,04.69

..

पुनर्वि० 49.69

- 05- महाविद्यालय भवनों का निर्माण-  
योजनागत

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

(ii)	मूल	6,80.00			
			9,82.98	9,82.98	..
	पुनर्वि०	3,02.98			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,52.67 लाख का आवर्धन कुछ निर्माणधीन कार्यों को पूर्ण करने के कारण हुआ।

**4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर**  
**पूंजीगत परिव्यय-**

01- जलापूर्ति-

789- अनुसूचित जातियों के लिए  
विशेष घटक योजना-

03- हैंडपम्प-

**योजनागत**

पूरक	0.01				
			..	17.54	+17.54
पुनर्वि०	(-)0.01				

₹ 17.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

08- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	23,39.90				
		29,09.80	28,66.23		(-)43.57
पुनर्वि०	5,69.90				

₹ 43.57 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,69.90 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश को जारी करने के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 43.57 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

पूरक	0.01				
		29,31.06	27,04.91		(-)2,26.15
पुनर्वि०	29,31.05				

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

₹ 2,26.15 लाख की अंतिम बचत की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 29,31.05 लाख का आवर्धन राज्य अंश को जारी करने के कारण हुआ जो कि अत्याधिक सिद्ध हुआ।

₹ 2,26.15 लाख की अंतिम बचत के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

02- मल-जल तथा सफाई-

789- अनुसूचित जातियों के लिए

विशेष घटक योजना-

02- विभिन्न जिलों में जल निकास, सफाई

तथा मल-जल योजना-

**योजनागत**

मूल	10,89.00	10,89.00	12,29.00	+1,40.00
-----	----------	----------	----------	----------

₹ 1,40.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों**

**अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के**

**कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-**

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए

विशेष घटक योजना-

01- अनुसूचित जाति निगम में निवेश-

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**योजनागत**

पूरक	2,83.50			
------	---------	--	--	--

		3,84.00	3,84.00	..
--	--	---------	---------	----

पुनर्वि०	1,00.50			
----------	---------	--	--	--

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,00.50 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश अधिक जारी होने के कारण हुआ।

**4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

20- फिना सिंह परियोजना-

789- अनुसूचित जातियों के लिए

विशेष घटक योजना-

04- फिना सिंह परियोजना-

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजनागत**

मूल	13.00			
		3,13.00	3,13.00	..
पुनर्वि०	3,00.00			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख का आवर्धन कुछ निर्माणधीन कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ।

**4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
04- विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजनाएँ-

**योजनागत**

मूल	5,70.00			
		5,70.14	7,11.32	+1,41.18
पुनर्वि०	0.14			

₹ 1,41.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

- 06- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना-

**योजनागत**

मूल	8,10.00			
		18,01.12	18,33.32	+ 32.20
पुनर्वि०	9,91.12			

₹ 32.20 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,91.12 लाख का आवर्धन कुछ चालू कार्यों के पूर्ण होने के कारण था जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 32.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं****पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- बाढ़ नियंत्रण-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
10- दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वां तथा इसकी सहायक नदियों का तटीयकरण-  
(iv बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)  
केन्द्रीय प्रायोजित योजना

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)**

**योजनागत**

पूरक	42,70.20			
		53,20.94	56,52.49	+3,31.55
पुनर्वि०	10,50.74			

₹ 3,31.55 लाख के अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,50.74 लाख का आवर्धन केन्द्रीय अंश जारी होने के कारण हुआ जो कि अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

₹ 3,31.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

**योजनागत**

पूरक	13,82.37			
		24,22.05	24,22.05	..
पुनर्वि०	10,39.68			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 10,39.68 लाख का आवर्धन राज्य अंश जारी करने के कारण हुआ।

**4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-**

- 01- पनबिजली उत्पादन-  
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-  
01- हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड एव पावर निगम के लिए इक्यूटी अंशदान-

**योजनागत**

(i) पूरक	0.01			
		53,40.00	53,40.00	..
पुनर्वि०	53,39.99			

- 02- हिमाचल प्रदेश पारेषण निगम के लिए इक्यूटी अंशदान-

**योजनागत**

(ii) पूरक	0.01			
		11,04.00	11,04.00	..
पुनर्वि०	11,03.99			

उपरोक्त दो मामलों में मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 64,43.98 लाख का आवर्धन लेखा शीर्ष में शुद्धि के कारण हुआ।

## विनियोग लेखे

## अनुदान संख्या-32 (क्रमशः)

## 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- आदर्श औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन-

## योजनागत

पूरक	1,76.70			
		3,77.00	3,77.00	..
पुनर्वि०	2,00.30			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,00.30 लाख का आवर्धन आदर्श औद्योगिक क्षेत्रों के सृजन हेतु नोडल विभाग द्वारा योजनासीमा में वृद्धि के कारण हुआ।

## 5054- सड़कों और सेतु पर पूंजीगत परिव्यय-

03- राज्य राजमार्ग-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- राज्य उच्चमार्ग-

## योजनागत

मूल	11,00.00	11,00.00	11,61.49	+61.49
-----	----------	----------	----------	--------

₹ 61.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- ग्रामीण सड़कों का निर्माण-

## योजनागत

मूल	45,56.00			
		46,72.24	46,68.30	(-)3.94
पुनर्वि०	1,16.24			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,16.24 लाख का आवर्धन कुछ चालू निर्माणाधीन कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ।

02- उच्चमार्गों के साथ न जुड़ी पंचायतों को

सर्पक मार्ग द्वारा जोड़ना-

## योजनागत

मूल	1,50.00			
		77.00	2,76.44	+1,99.44
पुनर्वि०	(-)73.00			

**विनियोग लेखे**  
**अनुदान संख्या-32 (समाप्त)**

₹ 1,99.44 लाख की अंतिम आधिक्य की दृष्टि से मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 73.00 लाख की कमी कार्यों के कम निष्पादन के कारण हुई जो कि अविवेक पूर्ण सिद्ध हुई।

₹ 1,99.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण प्रतीक्षित थे (जुलाई 2015)।

04- सेतुओं का निर्माण-

**योजनागत**

मूल	2,80.00			
		6,68.20	6,73.79	+5.59
पुनर्वि०	3,88.20			

मार्च 2015 में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,88.20 लाख का आवर्धन कुछ चालू कार्यों के पूर्ण होने के कारण हुआ।



विनियोजन लेखे  
परिशिष्ट  
(सभी दत्तमत)

(विनियोग लेखाओं के सारांश में सन्दर्भित)

वर्ष 2014-15 के लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित वसूलियों के अनुदानवार विवरण

अनुदान संख्या व नाम	बजट प्राकल्पन		वास्तविक आंकड़े		बजट प्राकल्पनों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	वृद्धि (+) राजस्व	ह्रास (-) पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
(₹ हजार में)						
5-भू-राजस्व और जिला प्रशासन	1,58,95,00	..	..	..	(-)1,58,95,00	..
8- शिक्षा	..	..	..	1	..	+1
10-लोक निर्माण कार्य- सडर्कें,पुल तथा भवन-	9,74,55,73	..	11,58,48,43	2,08	+1,83,92,70	+2,08
11-कृषि-	..	37,49,75	..	44,82,95	..	+7,33,20
12-उद्यान-	..	3,31,53	..	11,76,54	..	+8,45,01
13-सिंचाई जलापूर्ति तथा स्वच्छता-	6,42,63,12	..	10,46,04,43	..	+4,03,41,31	..
21-सहकारिता-	..	..	..	14	..	+14
22-खाद्य और नागरिक आपूर्ति-	..	8	..	..	..	(-)8
28-शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना तथा आवास-	..	..	..	2,44	..	+2,44
31-जनजातीय विकास-	1,13,30,88	..	1,16,88,45	..	+3,57,57	..
<b>सकल जोड़</b>	<b>18,89,44,73</b>	<b>40,81,36</b>	<b>23,21,41,31</b>	<b>56,64,16</b>	<b>+4,31,96,58</b>	<b>+15,82,80</b>

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2015  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)